तृतीय माला, खण्ड १८—अंक ५७

गुरुवार, २ मई, १९६३
१२ वैशाख, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १८ में अंक ५१ से अंक ६१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित *प्रश्न संख्या ११३२ से ११४१ ५७४५--६८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० ५७६८--७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११४२ से ११५१ ५७७१--७६

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२६ से २६६७ और २६६९ से २६७३ ५७७६--९५

राज्य सभा से सन्देश ५७९५

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति ५७९५

पहला प्रतिवेदन

सदस्य के निलम्बन की समाप्ति के बारे में प्रस्ताव ५७९६-९७

संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक, १९६३ ५७९७--५८११

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव

श्री अ० कु० सेन ५७९७-९८

श्री ही० ना० मुकर्जी ५७९८-९९

श्री खाडिलकर ५७९९-५८००

श्री सेझियान ५८००-०१

श्री दी० चं० शर्मा ५८०१-०२

श्री सुब्बरामन ५८०२

श्री नरसिम्हा रेड्डी ५८०२-०३

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा ५८०३-०४

श्री हरि विष्णु कामत ५८०४--०७

खंड २ से ५ और १ ५८०७--११

पारित करने का प्रस्ताव

श्री अ० कु० सेन ५८०७--११

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा

गुरुवार, २ मई, १९६३

१२ वैशाख, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राजस्थान-पाकिस्तान की सीमा पर तस्कर व्यापार

+

*११३२. श्री प० ला० बारूपाल :
श्री हेम राज :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी तस्कर व्यापारियों तथा भारतीय पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में तीन तस्कर व्यापारी मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उन के पास से क्या क्या सामान बरामद हुआ और वह कितने मूल्य का है;

(ग) क्या यह भी सच है कि एक कुख्यात पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी की जेब में एक भारतीय नागरिक के नाम पत्र मिला है, जो कि भूमि सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी के पास भेज दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां। यह घटना १८ फरवरी, १९६३ को हुई ।

(ख) लगभग ५,००० रु० कीमत की ४$^{1}/_{2}$ मन लौंग, ५० रुपये कीमत की पुरानी हाथ घड़ियां व हलके जेवर और ३ ऊंट पकड़े गये थे। बाद में ऊंट लगभग १३०० रुपये पर नीलाम कर दिये गये।

(ग) जी हां ।

(घ) जिस आदमी के नाम वह पत्र लिखा गया है उसे राजस्थान पुलिस ने भारत रक्षा नियमों (डिफेंस आफ इंडिया रूल्स) के अधीन हिरासत में ले लिया है। मामले की छानबीन की जा रही है।

†मूल अंग्रेजी में

श्री प० ला० बारूपाल : क्या मैं जान सकता हूं कि अभी तक कितने तस्कर व्यापारियों को भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है और कितने ऐसे आदमी हैं, जो कि अभी भी गिरफ्तार नहीं किये जा सके हैं ?

श्री ब० रा० भगत : इस केस के सिलसिले में पूछ रहे हैं या सारे केसिस के सिलसिले में ?

श्री प० ला० बारूपाल : गंगानगर और बीकानेर के बारे में ।

अध्यक्ष महोदय : इसी सवाल के सिलसिले में बता दिया जाए ।

श्री ब० रा० भगत : यह तो मैं ने बता दिया है कि एक आदमी को हिरासत में लिया गया है ।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या मैं जान सकता हूं कि अभी तक कितने ऐसे तस्कर व्यापारी हैं जिन को भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार नहीं किया जा सका है ?

अध्यक्ष महोदय : सारे कितने गिरफ्तार हुए हैं या कितने अभी नहीं हुए हैं, वह तो अब नहीं बताया जा सकता है ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या यह सच है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से अब तक पश्चिम सीमा की तरफ से पाकिस्तान से राजस्थान में २०० करोड़ रुपये की लागत की वस्तुयें, अधिकतर सोना, चोरी-छिपे लाई गई हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं । मैं नहीं समझता कि जैसे ये आंकड़े हैं वे ठीक हों । मैं माननीय सदस्य को चोरी-छिपे लाई जाने वाली पकड़ी गई वस्तुओं के १९६१ और १९६२ के आंकड़े दे सकता हूं । सारे भारत-पश्चिम पाकिस्तान सीमा पर १९६१ में पकड़ी गई वस्तुओं का मूल्य १५,१५,००० रुपये हैं; १९६२ में यह २०,६१,००० पर रुपये है ।

श्री शिव नारायण : ये जो तीन स्मगलर्ज मारे गए हैं, ये पाकिस्तानी हैं या हिन्दुस्तानी ?

श्री ब० रा० भगत : स्मगलर्ज सब पाकिस्तानी हैं ।

†**श्री दी० च० शर्मा** : क्या यह सच नहीं है कि सरकार द्वारा तस्कर व्यापार के केवल १० प्रतिशत मामलों का सुराग लगाया जाता है और शेष ९० प्रतिशत बिना सुराग मिले रह जाते हैं और यदि हां, तो १९६२–६३ में पाकिस्तान से भारत में चोरी-छिपे लाई गई वस्तुओं का अनुमानित मूल्य क्या है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : सुराग किस का नहीं मिलता ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस की प्रतिशतता क्या है इस की तुलना कैसे हो सकती है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यदि हमें पता हो तो हम उन्हें पकड़ लेंगे ?

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या किसी ऐसे गिरोह का पता लगाया गया है जो भारत-पाकिस्तान सीमा पर बहुत सक्रिय है, क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई सुराग मिला है कि बहुत से गिरोह हैं जो काम कर रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस सीमा पर ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती सावित्री निगम** : जी हां ।

†**श्री ब० रा० भगत** : स्पष्ट है कि यह एक व्यक्ति का काम नहीं है । इधर भी कुछ व्यक्ति हो सकते हैं और कुछ उधर भी जो एक या एक से अधिक गिरोह बना लेते हैं । हम उन की खोज में हैं । हम बहुत से गिरोहों का पता लगा पाए हैं ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : इस सीमा ने क्योंकि पिछले समय में सोने के तस्कर व्यापार के लिये बहुत कुख्याति प्राप्त कर ली है, क्या मैं जान सकता हूं कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश की प्रस्थापना के बाद तस्कर व्यापार कहां तक बन्द किया गया है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह कहना बहुत कठिन है कि यह कहां तक बन्द किया गया है । परन्तु हम ने व्यवस्था की है और प्रभावी कदम उठाए हैं उस से हम कह सकते हैं कि इस का नियंत्रण करने में हम ने बहुत सफलता पाई है ?

†**श्री शयाम लाल सर्राफ** : क्या किन्हीं मामलों का पता लगाया गया है—इन कुछ महीनों में सोने के तस्कर व्यापार के मामलों का ?

श्री ब० रा० भगत : इस प्रश्न का सोने के तस्कर व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं है । उस के लिए मुझे एक अलग सूचना चाहिये ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : सीमा पर जो तस्कर व्यापर होता है, उस की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं और क्या पाकिस्तान सरकार इस काम में सहयोग दे रही है ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक भारत सरकार का सवाल है, हम ने बहुत से स्टेप्स लिए हैं । हमारा रेवेन्यू इंटैलीजेन्स अच्छा हो गया है और लैंड कस्टम बोर्डर पुलिस को हम ने अख्त्यार दिया है कि वह इन चीजों को पकड़ सकती है । खास तौर पर तस्कर व्यापार को रोकने की कोशिश की गई है ।

जहां तक पाकिस्तान सरकार का सवाल है, मैं तो उस का जवाब नहीं दे सकता हूं । मगर यह जाहिर है कि पाकिस्तान सरकार भी इस में लगी है कि स्मगलिंग बन्द हो ।

विदेश यात्रा करने वाले भारतीय

†*११३३. **श्री वासुदेवन् नायर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस निगम के लागू होने के बाद कि रिजर्व बैंक भी विदेश यात्रा के सभी मामलों की स्वीकृति दे, विदेश-यात्रा पर जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है; और

(ख) इस नियम के लागू होने के बाद की संख्या उस के पहिले के वर्ष की संख्या से कम है या अधिक है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). अनुमान यह लगाया जाता है कि माननीय सदस्य का निर्देश विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों की ओर है । यात्रा निर्बन्धन ८ जून, १९६२ को लागू किये गये थे और विदेश-यात्रा पर जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है इस का निर्धारण अभी नहीं किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री वासुदेवन नायर :** क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस चीज पर बल दे रही है कि उन लोगों को भी जिन्हें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है रिजर्व बैंक की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिये और यदि हां, तो इस आग्रह के पीछे क्या कारण या तर्क है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** सरकार यह आग्रह अवश्य करती है कि उन्हें भी रिजर्व बैंक से यात्रा परमिट लेना चाहिये क्योंकि अधिकतर लोग, लगभग ६० प्रतिशत लोग, इस निर्बन्धन के लगने से पहले विदेशी मुद्रा के बिना जाया करते थे और हम ने देखा कि इसका दो तरह से हमारी विदेशी मुद्रा स्थिति पर प्रभाव पड़ता था। एक यह कि वे बाहर से रुपया ले लिया करते थे और जब वे वापिस आते थे तो वे जो विदेश यहाँ आते थे उन्हें वापिस कर देते थे। दूसरा यह कि विदेशों से भारतीयों द्वारा स्वदेश भेजे गये धन में भी काफी कमी आ गई थी। इसलिये यहाँ विदेशी मुद्रा को सुरक्षित करने के लिये ये निर्बन्धन लगाये गये थे।

†**श्री वासुदेवन नायर :** उपमंत्री जी ने कहा है कि कई स्पष्ट निर्धारण अभी नहीं हो सकता। परन्तु मैं तो केवल प्रवृत्ति जानना चाहता था अर्थात् क्या इस निर्बन्धन के कारण बाहर जाने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** माननीय सदस्य तुलना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगी कि पहले आँकड़े इस प्रकार तैयार नहीं रखे जाते थे जिससे कि पिछले और वर्तमान आँकड़ों की वास्तव में तुलना हो सके। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक वर्तमान आँकड़ों का सम्बन्ध है, इसमें कम से कम कुछ और समय लगेगा। विदेश जाने वाले लोगों का उचित निर्धारण करने के लिये हमें रिजर्व बैंक को कम से कम एक वर्ष देना होता है और एक वर्ष अभी हुआ नहीं है।

†**श्री रामनाथ चेट्टियार :** क्या सुलभ चलार्थ[1] की तुलना में दुर्लभ चलार्थ[2] के बारे में सरकार ने भिन्न दरें निर्धारित कर रखी हैं और यदि हाँ, तो विदेश यात्रा के लिये दी जा सकने वाली विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा क्या दरें निर्धारित की गई हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** यदि मुझे ठीक याद है तो मैंने डालर क्षेत्र और पौंड क्षेत्र, अथवा दुर्लभ चलार्थ क्षेत्र और सुलभ चलार्थ क्षेत्र, के लिये विशिष्ट दरों के बारे में इस प्रश्न का उत्तर पहले दिया था। विदेशी मुद्रा के दिये जाने के बारे में इन दो क्षेत्रों के बीच दरों में अन्तर है। यह भी कि जो मनोरंजन भत्ता दिया जाता है वह भी डालर क्षेत्र और उन क्षेत्रों के लिये जो डालर क्षेत्र नहीं हैं भिन्न भिन्न दरों पर दिया जाता है।

†**श्री राम नाथ चेट्टियार :** मैं दरें जानना चाहता था।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** इस समय आँकड़े मुझे याद नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें आँकड़े दे सकती हूं। वे आँकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं।

†**श्री बूटा सिंह :** बावजूद इसके कि विदेश जाने वाले व्यक्तियों पर सरकार द्वारा कुछ निर्बन्धन लगाये गये हैं क्या मैं जान सकता हूं कि देश के कुछ सुप्रसिद्ध व्यक्ति जब भी चाहें कैसे बाहर जाने का बन्दोबस्त कर लेते हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** यह संभव नहीं है। परन्तु जहाँ तक एयरलाइन्स के सदस्यों और जहाजों के कर्मचारियों तथा भारत, बर्मा, लंका, मलाया, सिंगापुर, पाकिस्तान अरब की खाड़ी (पर्शियद गल्फ) और पूर्व अफ्रीका के बीच डेक यात्रियों का सम्बन्ध है, इन

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Soft Curency.

[2]Hard Currency.

यात्रियों को खुले आम आडे की अनुमति है। जहां तक उनका सम्बन्ध है कोई निर्बन्धन नहीं है। साथ ही भारत और और पाकिस्तान के बीच यात्रा की अनुमति है। इसी प्रकार मद्रास-तिरुचिरापल्ली और कोलम्बो के बीच यात्रियों को अनुमति है। इसलिये जो लोग इन रास्तों पर यात्रा करते हैं उन्हें हर बार रिजर्व बैंक से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार जानती है कि सामान्य या अभ्यस्त यात्रियों पर इन निर्बन्धनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल आम आदमी पर ही इन निर्बन्धनों का प्रभाव होता है ?

†**श्रीमती तारकश्वरी सिन्हा** : यह ठीक नहीं है। इन मामलों को छोड़ कर जिनमें कि रिजर्व बैंक से परमिट लिये बिना यात्रा की अनुमति है, मैं नहीं समझती कि माननीय सदस्य का पूर्वानुमान ठीक है।

आगरा में मुख कैंसर केंद्र

+

*११३४. { **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्री श्याम लाल सर्राफ :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा में मुख कैंसर का अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र खोला जायेगा ;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक दल इस सिलसिले में भारत आया था; और

(ग) मामले में क्या निर्णय किया गया ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) और (ख), जी हाँ।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा में ओरोफेरिंजियल ट्यूमर्स की हिस्टो-पैथोलोजी का एक अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ-केन्द्र (इंटरनेशनल रेफरेन्स सेण्टर) खोलने का प्रबन्ध कर लिया है।

श्री विश्वनाथ पाण्डय : इस वर्ष क्या होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : इन्तजाम सब हो गया है। आरम्भ एक प्रकार से हो गया समझना चाहिये। इसके विकास में तो थोड़ा सा समय लगेगा। शुरू करने के सारे अरेंजमेंट्स पूरे हो गये हैं।

†**डा० गायतोंडे** : यह देखते हुए कि आगरा, देहली और बम्बई में किये गये काम से स्पष्ट पता चलता है कि कैंसर के सारे मामलों में से लगभग ४०–५० प्रतिशत मामले मुख कैंसर के हैं। और इस बात को देखते हुए भी कि एक कारण

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को प्रश्न मेरी ओर सम्बोधित करना चाहिये, नहीं तो उत्तर भी उन्हें ही सम्बोधित किया जाएगा।

†**डा० गायतोंडे** : इस बात को भी देखते हुए कि मुख कैंसर के सम्बन्द्ध कारणों में से एक तम्बाकू का चबाना माना जाता है, मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा क्या रोगनिरोधक कार्यवाही की गई है ?

†**डा० द०स० राजू** : यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ केन्द्र है जहाँ समस्त संसार से जानकारी एकत्रित की जायेगी। यह अधिकतर हिस्टो-पैथोलाजी आधार पर है जहाँ कि एक सुप्रसिद्ध

†मूल अंगेजी में

विकृति विज्ञान (pathologist) डाक्टर बाही साज-सामान सहित पहले ही हैं। यही कारण है कि केन्द्र वहाँ खोला गया है। माननीय सदस्य द्वारा दिया गया वक्तव्य ध्यान में रखा जायेगा।

†**डा० गायतोंडे** : मेरा प्रश्न और था।

†**अध्यक्ष महोदय** : केन्द्र में उस पर विचार होगा।

†**डा० गायतोंडे** : भारत में इस पर पहले ही अध्ययन हो चुका है। और अधिक अध्ययन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। संसार में किसी भी अन्य स्थान की उपेक्षा भारत में इस पर अधिक अध्ययन किया गया है क्योंकि मुख केंसर केवल भारत में ही प्रचलित है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने जानकारी दे दी है ; इस पर ध्यान दिया जायेगा।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात को देखे बिना कि बम्बई में केंसर अनुसन्धान संस्था, बम्बई, नामक एक ऐसी संस्था पहले ही बड़ी अच्छी तरह से काम कर रही है क्या इस हस्तपताल को आगरे में संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा भारत सरकार के कहने पर स्थागित किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : ऐसा लगता है कि ओरोफेरिंजियल ग्यूमर्स मेनपुरी के कुछ इलाकों में और अन्य इलाकों में जिनकी जरूरत एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा द्वारा पूरी की जाती है अत्यधिक वर्तमान है। जैसा कि डा० गाथतोंडे ने कहा है, यहाँ क्योंकि इस रोग का इतना अधिकार और हमारे पास बहुत ही सक्षम व्यक्ति है जिसके पास सारी आवश्यक सुविधायें हैं, यही कारण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निर्णय किया है कि यह केन्द्र आगरे में खोला जाना चाहिये : उन्होंने यह केन्द्र हमें यह समझ कर दिया है कि हमें उसे आगरा में स्थापित करेंगे और वे यह आश्वासन चाहते थे कि डा० पी० एन० बाही कुछ वर्षों के लिये केन्द्र के भारसाधक होंगे।

†**श्री भागवत झा आजाद** : उस लागत की प्रतिशतता क्या होगी जो कि इस परियोजना के लिये भारत को वहन करनी पड़ेगी तथा वह लागत, यदि कोई हो, जो संयुक्त राष्ट्र संघ को उठानी पड़ेगी ?

†**डा० द० स० राजू** : जहाँ तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, कोई भी खर्चा नहीं है। इसे वहीं वहन करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसकी लागत चार या पाँच वर्षों के लिये ४,००० डालर प्रति वर्ष पड़ती है।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मुख केंसर के इस आपात का, जिसके बारे में कि माननीय मंत्री ने सदन को सूचित किया है, इस क्षेत्र में पान और तम्बाकू चबाने की व्यापक रूप से प्रचलित आदत के साथ कोई सम्बन्ध है ?

†**डा० सुशीला नायर** : सन्देह यही किया जाता है कि पान और तम्बाकू की आदत इससे अन्तर्सम्बन्धित हो सकती है। यह केन्द्र इस बात का भी और आगे विस्तार से अध्ययन करेगा।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि कैन्सर को दूर करने के लिये आयुर्वेद से कोई सहायता ली गई है ?

डा० सुशीला नायर : आयुर्वेद में कैन्सर का न कोई इलाज है और न कैंसर के बारे में आयुर्वेद की किताबों में कुछ लिखा हुआ ही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सरजू पाण्डेय : क्या मैं जान सकता हूं कि कैन्सर की शुरू से रोक थाम करने के लिये सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है और क्या वह उस का प्रचार कर रही है ?

डा० सुशीला नायर : अभी तक कैन्सर के बारे में दुनिया का ज्ञान अधूरा है। किस तरह से उस की रोक थाम हो सकती है, इसका ज्ञान अधूरा है। अलग-अलग प्रकार के कुछ कैन्सर की राकथाम की थोड़ी सी योजनायें बनी हैं। उन पर भारत सरकार भी अमल कर रही है।

श्री त्यागी : यह जो पुरानी हिन्दुस्तान की कहावत है कि जो आदमी आम तौर से गाली देता है, उस के मुहं में कैन्सर हो जाता है, यह भी क्या किसी मेडिकल साइंस से ताल्लुक रखता है ?

[प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया]

श्री द्वा० ना० तिवारी : अभी माननीया मंत्रिणी जी ने कहा कि आयुर्वेद की किताबों में इस के बारे में कोई बात लिखी हुई नहीं है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस विशेष बात का अन्वेषण करने का भी उन्होंने कभी कोई प्रयत्न किया, खुद उन को कुछ इस का ज्ञान है, या उन्होंने वैसे ही कह दिया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अब तर्क कर रहे है।

श्री तुलशी दास जाधव : देश में जहां भी माउथ कैन्सर होता है और उस का इन्तजाम वहां नहीं होता है तो क्या उस के लिये खास तौर से वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई खास इन्तजाम करवाने के सम्बन्ध में विचार किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल तो सिर्फ आगरे के सम्बन्ध में है। कैन्सर के बारे में सारी जगहों की बातें यहां नहीं आ सकतीं।

†**श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अन्य देशों की तुलना में मुख्य कैंसर भारत में अधिक चालू है और क्या ऐसा धूम्रपान के कारण है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह पहले ही पूछा जा चुका है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की तरफ से अस्पतालों को कोई ऐसी हिदायत दी गई है कि कैन्सर की बीमारी वालों की, जैसे कि और बीमारियों के सम्बन्ध में है, विशेष तौर से देखभाल की जाये और उस का मुफ्त इलाज किया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : आप और अस्पतालों के लिये कह रहे हैं या कि आगरे के अस्पताल के लिये ?

श्री विभूति मिश्र : यहां के लिये तो कह ही रहा हूं, लेकिन जैसे पटना है या मद्रास है उस के लिये भी पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल आगरे के सम्बन्ध म है।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आगरे को ही इस के लिये विशेष तौर पर से क्यों छांटा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : यह तो माननीय मंत्री महोदय बतला चुके है। माननीय सदस्य ने सुना नहीं।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिये वहां पहले से कोई व्यवस्था थी जिस को आगे बढ़ाये जाने का प्रबन्ध किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ने लम्बा चौड़ा बयान दिया कि क्यों आगरे को चुन लिया गया। शायद माननीय सदस्य उस वक्त सुन नहीं रहे थे ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि चिकित्सा विज्ञान कहता है कि तम्बाकू में निकोटिन और दूसरे विष होते है ? क्या मैं जान सकता हूं कि पान चबाने का सवाल बीच म क्यों आता है और क्या चिकित्सा विज्ञान इस बारे भी कुछ कहता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह अब इस बात पर बहस करना है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या आगरा केन्द्र एक उपचार केन्द्र तथा सर्वेक्षण केन्द्र होगा अथवा यह केवल सर्वेक्षण केन्द्र ही होगा? यदि इसे उपचार केन्द्र भी होना है तो जहां तक शैयाओं की संख्या का सम्बन्ध है हस्तपाल की क्षमता क्या होगी ?

†**डा० सुशीला नायर** : कुछ उपचार तो पहले ही किया जा रहा है । विशेष रूप से जो उसम जोड़ा जा रहा है वह अनुसन्धान कार्य है । अनुसन्धान कार्य भी कुछ हद तक वहां है । इसे और भी गहन बनाया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। इतनी देर केंसर हमारे मुंह में नहीं रहना चाहिये !

विदेशों में पढ़ने वाले अनर्ह विद्यार्थी

+

†*११३५. { **श्री याज्ञिक** :
श्री उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यद्यपि देश मैं उच्च शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध है, फिर भी क्या नान-मट्रिकुलेटों, अण्डर-ग्रेजुएटों तथा ग्रेजुटों को विदेशों त पढ़ने की अनुमति दी जाती है; और]

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** (क) नान-मैट्रिकुलेटों को विदेशों में अध्ययन के लिये कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी जाती है । अण्डर-ग्रेजुएटों को केवल प्रविधिक विषयों की पढ़ाई के लिये विदेशी मुद्रा दी जाती है और वह भी जबकि उन्होंने या तो बाहर डिग्री पाठ्यक्रम में अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये दाखिला ले लिया हो, तथा इसमें उन से यह अपेक्षित होता है कि भारत में उनके ५० प्रतिशत से कम नम्बर न आए हों। गैर-प्रविधिक विषयों के लिए उन ग्रेजुएटों को जिन्होंने बी० ए० में ६० प्रतिशत या

†मूल अंग्रेजी में

एम० ए० में ५० प्रतिशत से कम नम्बर न पाये हों। कुछेक सीमित संस्थाओं में अनुमोदित विषयों के अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा दी जाती है ।

(ख) अपने विकास कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षित और अर्ह कर्मचारियों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए देश में उपलब्ध सुविधाओ को कुछेक विद्यार्थियों की विदेशों में शिक्षा द्वारा बढ़ाना आवश्यक है ।

†**श्री उलाका** : क्या मैं ऐसे विद्यार्थियों की कुल संख्या जान सकता हूं जिन्हें पिछले वर्ष विदेशी मुद्रा दी गई है तथा उसी अवधि में उन्हें दी गई विदेशी मुद्रा की कुल राशि क्या है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यदि माननीय सदस्य अलग सूचना दें तो मैं जानकारी दे सकूंगी ।

†**श्री सोनावने** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विदेशी मुद्रा उन विद्यार्थियों को दी जाती है जो अपने ही साधनों से जाते है या केवल उन्हीं को जो सरकारी आधार पर जाते है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : सभी मामलों में विदेशी मुद्रा तब दी जाती है यदि वह स्वीकृत नियमों के अन्तर्गत आये। शिक्षात्मक प्रयोजनों के लिये विदेशी मुद्रा का अनुदान है; वे सरकार द्वारा पुरोनिधान हो कर जायें या वे अपने साधनों से जायें। यदि वे अपने साधनों से जाना चाहते हैं या वे वृत्तिका पाते हैं या यदि वे किसी फर्म में काम कर रहे हैं तो वे शिक्षा या प्रशिक्षण के लिये भेजे जा सकते हैं और तब फर्म उसका खर्च देती है ।

†**श्री उलाका** : क्या मैं ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जान सकता हूं जिन्हें १९६२–६३ में शिक्षा के लिये विदेशी मुद्रा से इन्कार कर दिया गया है और उसके क्या कारण है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : माननीय सदस्य ने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बारे में पूछा था। यह अन्य प्रश्न से सम्बन्धित है और यदि माननीय सदस्य विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो वह मैं बाद में दे सकूंगी।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस मद में सरकार ने गत वर्ष कितना रुपया फारिन एक्सचेंज का खर्च किया ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : सवाल तो दर असल यह था कि कैसे लोगों को फारिन एक्सचेंज दिया जाता है । इस के बारे में इस समय आंकड़े मेरे पास नहीं है । अगर जरुरत होगी तो पीछे दिए जा सकते हैं ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या सरकार के ध्यान में आया है कि कलकत्ता में कुछेक मामलों में रिजर्व बक ने काल्पनिक व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा दी थी जो इसे विदेशों में पढ़ने के लिये बाहर ले गये ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : सरकार के पास कोई सूचना नहीं है परन्तु यदि यह रिजर्व बैंक के ध्यान में लाया जाये तो वह उपयुक्त कार्यवाही करेगा । पीछे जब कभी ऐसे मामले हुये, कार्यवाही की गई थी । अध्ययन के किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिये यहां से जाने वाले विद्यार्थी यदि कोई

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरा पाठ्यक्रम ले लें तो रिजर्व बैंक उचित कार्यवाही करता है और देखता है कि ऐसा न हो और उन्हें दंड दिया जाता है ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : माननीय वित्त मंत्री ने कुछ समय पहले कहा था कि केवल उन्हीं विद्यार्थियों को जो प्रविधिक विषयों में उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान करना चाहते हैं विदेशी मुद्रा की कठिनाई को देखते हुये बाहर जाने दिया जाता है । परन्तु उपमंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर से ज्ञात होत है कि अंडर-ग्रेजुएटों तथा मैट्रिकुलेटों को भी शिक्षा के लिये विदेश जाने की अनुमति दी जाती है । क्या मैं जान सकता हूं कि कौन सा उत्तर ठीक है ? क्या नीति हाल ही में बदल गई है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : आज जैसी नीति है वह मैं ने मूल लिखित उत्तर में बता दी है प्रविधिक कर्मचारियों के लिये हमारी मांग बहुत है और इसलिये प्रविधिक शिक्षा के बारे में हम एक उद्धार नीति अपना रहे हैं ।

†**श्री कपूर सिंह** : भारतीय विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिये विदेश जाने की व्यापक इच्छा का सरकार क्या कारण समझती है जबकि देश के अन्दर ही ऐसी ही शिक्षा सुविधायें उपलब्ध हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मुझे माननीय सदस्य तथा अन्य लोगों की जो बाहर जाना चाहते हैं, इच्छा से पूरी सहानुभूति है परन्तु रुकावट केवल विदेशी मुद्रा की है।

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है : सभी विद्यार्थियों की बाहर जाने की इच्छा क्यों है जबकि इस विषय के अध्ययन के लिये ये सभी सुविधायें यहां उपलब्ध हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मेरे भी यही विचार हैं ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पढ़ाई के लिये बाहर जाने में ऐसे प्रविधिक या गैर-प्रविधिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन भी सम्मिलित है जिनके लिये भारत में प्रबन्ध है और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि जिन पाठ्यक्रमों के लिये भारत में सुविधायें हैं उनके लिये किसी को शिशिक्षा की अनुमति दी जा रही है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यदि किसी व्यक्ति विशेष ने किसी विदेशी संस्था में प्रवेश पा लिया हो अथवा उसे वृत्तिका मिल जाये अथवा कोई विशेष फर्म उसे प्रशिक्षण दिला रही हो तो ऐसे मामले में मानक क्रम के ५० प्रतिशत से अनधिक विदेशी मुद्रा दी जाती है ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या यह व्यक्तिगत अध्ययन भी हो सकता है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : उनका क्या अभिप्राय है मैं समझ नहीं पाई ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : सरकार द्वारा या किसी संस्था द्वारा न भेजा जाये ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यदि यह स्वीकृत पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आता हो तो विदेशी मुद्रा दी जाती है ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : मैं माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उन्हें अनुमति नहीं देता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या सरकार जानती है कि अमीर घरानों के नवयुवक और नवयुवतियां आक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज में कला के पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे हैं और यदि हां, तो उनका विदेशी मुद्रा का स्रोत क्या था ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : लोग यदि ग्रेजुएट हैं और ६० प्रतिशत से अधिक नम्बर लेते हैं अथवा यदि उन्होंने ५० प्रतिशत से अधिक नम्बरों के साथ एम० ए० की डिग्री ली है और कला के पाठ्यक्रम यदि स्वीकृत सूची में हैं तो वे कला के पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर सकते हैं यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय कला, चित्रकला, वास्तुकला आदि से है तो उन पाठ्यक्रमों के लिये कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी जाती है ।

डा० गोविन्द दास : क्या इस बात का नियमों में ध्यान रखा गया है कि विदेशों में हम ऐसे ही विद्यार्थियों को जाने दें कि जिनको उनके विषय यहां नहीं पढ़ाये जा सकते, और केवल उन्हीं विषयों के लिये विद्यार्थी बाहर भेजे जायें जिनकी शिक्षा यहां नहीं है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जी हां

†**श्री फ० गो० सेन** : क्या यह सच है कि जिन विद्यार्थियों को इटली सरकार द्वारा इटली में ३ महीने के अल्पकालीन अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां दी जाती हैं उन्हें प्रासंगिक व्यय और यात्रा व्यय तक के लिये भी विदेशी मुद्रा देने से इन्कार कर दिया जाता है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मेरे पास उन लोगों की सूची नहीं है जिन्हें विदेशी मुद्रा से इन्कार किया गया और किन कारणों से । मैंने नियमों तथा विनियमों के सामान्य सिद्धांत बता दिये हैं । केवल उन्हीं लोगों को विदेशी मुद्रा दी जाती है जो स्वीकृत सूची के अधीन आते हैं । हम इसे भी ध्यान में रखते हैं कि जिन पाठ्यक्रमों के लिये यहां सुविधायें उपलब्ध हैं उनके लिये उन्हें जाने न दिया जाये । उदाहरणार्थ, एफ० आर० सी० एस० तथा एम० आर० सी० पी० के लिये हम लोगों को विदेश जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं ।

†**श्री त्यागी** : मैं यह माननीय मंत्री से निश्चित रूप से जानना चाहता हूं । कि क्या मैं यह समझूं कि इन वर्षों में किसी भी भारतीय विद्यार्थी को ग्रामर स्कूलों में पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है.

†**श्री सोनावने** : माननीय सदस्य प्रश्न मंत्री महोदय को सम्बोधित कर रहे हैं अध्यक्ष को नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आपत्ति की जा रही है कि माननीय सदस्य प्रश्न सीधे मंत्री महोदय की ओर सम्बोधित कर रहे हैं ।

†**श्री त्यागी** : मुझे अफसोस है, उनका चेहरा ही इतना आकर्षक है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । हम सब श्री त्यागी की भावनायें जानते हैं परन्तु यहां पर उनको उन्हें दबा कर रखना चाहिये ।

†**श्री त्यागी** : क्या मैं यह समझे कि इन कुछ वर्षों में किसी भी भारतीय विद्यार्थी को साधारण ग्रामर स्कूलों में पढ़ने के लिये अथवा आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में पोस्टग्रेजुएट या ग्रेजुएट प्रशिक्षण के लिये इंग्लैंड अथवा अन्य बाह्य देशों में जाने की अनुमति नहीं दी गई है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : प्रश्न विदेशी मुद्रा के संबंध में है। कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद :** प्रविधिक विद्यार्थियों को विदेशों में जाने देने का कारण यह दिया गया है कि देश में प्रविधिक कर्मचारियों की कमी है। अधिकतर अनुपूरकों द्वारा हम यह जानना चाहते हैं कि कला संबंधी विषयों के विद्यार्थियों को, जिनके लिये अध्ययन की सुविधायें यहां उपलब्ध हैं, बाहर क्यों जाने दिया जाता है और उन्हें विदेशी मुद्रा क्यों दी जाती है तथा प्रविधिक विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा क्यों नहीं दी जा रही है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** भारत में प्रविधिक प्रशिक्षण के लिये उपलब्ध सुविधायें ऐसी नहीं हैं जिनसे कि प्रविधिक प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की आवश्यकता पूरी हो सके। इसलिये हम योजना कार्यक्रमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विदेशों में प्रविधिक प्रशिक्षण के लिये विदेशी मुद्रा अवश्य देते हैं ।

दामोदर घाटी निगम

\+

†*११३९. { **श्री प्र० र० चक्रवर्ती :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्र को भेजे गये अपने अभ्यावेदन में जोर दिया है कि दामोदर घाटी निगम के लक्ष्य तथा सफलताओं में, विशेषकर सिंचाई के क्षेत्र में जा भारी अन्तर है, उससे परियोजना का समूचा आर्थिक पहलू ही बदल गया है ;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने आग्रह किया है कि दामोदर घाटी निगम के बांधों की लागत तथा संधारण व्यय वास्तविकताओं के अनुसार तीनों भाग लेने वाली सरकारों में पुनः आवंटित किया जाये ; और

(ग) विवाद को सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगशन)** : (क) राज्य सरकार ने दामोदर घाटी निगम के बांधों की लागत जिसकी गणना निगम ने की थी तीन उद्देश्यों से स्वीकार नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि वर्तमान जलाशयों में अपर्याप्त भंडार के कारण खरीफ तथा रबी की फसल की सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तथा नौवहन तथा बाढ़ नियंत्रण के लिये दामोदर घाटी निगम योजना के आर्थिक पहलू बदल दिये गये थे ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने विभिन्न कार्यों के लिये निश्चित भंडार क्षमता के आधार पर दामोदर घाटी निगम द्वारा बनाये गये दामोदर घाटी निगम के बांधों का व्यय के आवंटन को स्वीकार नहीं किया गया है ।

(ग) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४९ के अधीन नियुक्ति मध्यस्थ के सामने मध्यस्थ निर्णय के लिये पेश है ।

†**श्री प्र० र० चक्रवर्ती :** मंत्रालय के प्रतिवेदन में दिया गया है कि सिंचाई की लागत ९.७३ लाख एकड़ थी और सिंचाई लगभग ६.५ लाख एकड़ हुई थी, मैं इस आधार पर जानना चाहता हूं कि सरकार का विचार पश्चिम बंगाल सरकार को किस प्रकार बाध्य करने का है जिससे बांध तथा सिंचाई प्रणाली के संचालन तथा संधारण की जिम्मेदारी वह स्वीकार कर लें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : यह सच है कि ९·७३ लाख एकड़ के स्थान पर ६.५ लाख एकड़ में सिंचाई हुई है। पानी की नालियां खोल कर तथा नालियों में पानी छोड़ कर शेष एकड़ में सिंचाई पूरी की जा सकती है। दामोदर घाटी निगम तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने समन्वित रूप में नालियां तथा 'फ़ील्ड चैनल' खोदना स्वीकार कर लिया है। हमने कुछ वर्ष पहले कहा था कि बांध तथा सिंचाई प्रणाली को पश्चिम बगाल सरकार अपने हाथ में ले ले। हम उनको बार बार कह रहे हैं। मेरी पश्चिम बंगाल के मंत्रियों से भी इस सम्बन्ध में बातचीत हुई थी। वह इस पर विचार कर रहे हैं तथा मैं समझता हूं कि हम शीघ्र ही निर्णय कर लेंगे।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती**: संचालन क्षमता के हित में दामोदर घाटी निगम को विद्युत् विभाग परिचालन तथा साधारण शाखा को माइथान ले जाने के आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य कार्यालय को धनबाद ज़िले के माइथान में कब तक ले जाया जायेगा तथा क्या विलम्ब विवाद अथवा किसी अन्य कारण से हुआ है ?

†**श्री अलगेशन** : इस प्रश्न का उत्तर मैं कई बार सभा में दे चुका हूं। इसको सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है। भवन निर्माण आदि पर बहुत सा धन व्यय करना होगा। यह क्रमशः किया जायेगा।

†**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : माननीय मंत्री ने बताया कि मामला मध्यस्थ निर्णय के लिए है। क्या वह हमको निर्देश पद बतायेंगे ?

†**श्री अलगेशन** : मैंने बताया कि दामोदर घाटी निगम ने सिंचाई, विद्युत तथा बाढ़ नियंत्रण की लागत के आवटन की गणना की है। इस आवंटन को बिहार तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वीकार नहीं किया है क्या इसलिए मामला मध्यस्थ निर्णय को सौंप दिया गया है ?

†**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : निर्देश पद क्या हैं ?

†**श्री अलगेशन** : दोनों पक्ष अपना अपना मामला मध्यस्थ के सामने रखेंगे तथा मध्यस्थ निर्णय दे देगा। निर्देश पद यह है कि आवेटन किस प्रकार किया जाना चाहिए। दामोदर घाटी निगम द्वारा किया गया आवंटन बिहार तथा पश्चिम बंगाल सरकार दोनों को ही स्वीकार नहीं था।

†**श्री भागवत झा आजाद** : बिहार तथा पश्चिम बंगाल सरकारों को, ऐसे काम के लिए जो वहां नहीं है के लिए धन देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहां कार्य आशानुकूल नहीं हुआ है तो क्या केन्द्र सरकार दामोदर घाटी निगम के कार्यों का निर्धारण करेगी ?

†**श्री अलगेशन** : यह कहना ठीक नहीं है कि दामोदर घाटी निगम में काम आशानुकूल नहीं हुआ है। मैंने बताया कि ९·७३ लाख एकड़ के स्थान पर ६·५ लाख एकड़ में सिंचाई हुई है। कई सिंचाई योजनाओं का पूरा पूरा उपयोग नहीं किया गया है। दामोदर घाटी निगम में भी ऐसा ही हो रहा है। विद्युतजनन इससे ठीक प्रकार से हो रहा है। यह सच है कि हमने दामोदर घाटी निगम के विभिन्न बांधों में पर्याप्त बाढ़ क्षमता नहीं बनाई है तथा वह बाढ़ पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में कमी हो सकती है।

†**श्री विभूति मिश्र** : माननीय मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने अपने वक्तव्य में बताया है कि दामोदर घाटी निगम का कार्यवहन संतोषजनक नहीं है। इस सम्बन्ध में सरकार की क्या राय है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : माननीय मंत्री उपस्थित हैं । उनका क्या कहना है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री विभूति मिश्र** : अध्यक्ष महोदय, श्री ति० त० कृष्णमाचारी यहां इस समय बैठे हुए हैं । उन्होंने कहा था कि इसका काम सन्तोषप्रद नहीं है और डी० वी० सी० में उनकी राय में कहीं कहीं खराबियां हैं, अब सरकार को इस बारे में जवाब देना चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है ? हम मेम्बर्स लोग इसके बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं कि आखिर इस बारे में क्या सही स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : जिस शक्ल में आप सवाल करते हैं उस में वह एलाऊ नहीं हो सकता है माननीय सदस्य ने बतलाया कि एक दफा एक मिनिस्टर ने इसके बारे में एक राय दी थी तो अब आपकी क्या राय है, अब मैं इसको कैसे एलाऊ करूं ?

श्री विभूति मिश्र : दो मिनिस्टर्स दो तरह की बातें करें तो क्या यह जरूरी नहीं है कि सरकार द्वारा उसके बारे में सही स्थिति क्या है यह हाउस को बतलाई जाय ? यह हाउस एक सावरन बौडी है और आप उसके अध्यक्ष हैं । इसकी सफाई होनी चाहिए कि कौन आदमी ठीक कहता है और कौन गलत कहता है ।

अध्यक्ष महोदय : जरूर होनी चाहिए, यह मैं भी चाहता हूं मगर शक्ल इसकी दूसरी होनी चाहिए ।

†**श्री द्वा०ना० तिवारी** : क्या सरकार ने श्री ति० त० कृष्णमाचारी के वक्तव्य के आधार पर मामले पर विचार किया है ? मैं इस मामले में सरकार का निर्णय जानना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि क्या श्री ति० त० कृष्णमाचारी द्वारा व्यक्त की गई राय के आधार पर मामले पर विचार कर लिया गया है तथा निर्णय कर लिया गया है ।

†**श्री अलगेशन** : यदि इसका यह अर्थ है कि हमें सुधार करना चाहिए तो हमने निश्चित रूप में ऐसा किया है ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी**: बिहार तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने कितने प्रतिशत पानी तथा बिजली का उपयोग किया है तथा सम्बन्धित सरकारों और केन्द्र द्वारा कितना कितना वित्तीय भार वहन किया है ?

†**श्री अलगेशन** : मैं ठीक आंकड़े नहीं बता सकता हूं । पूर्व सूचना चाहिए ।

†**डा०रानेन सेन** : क्या दामोदर घाटी निगम में तापीय विद्युत् इत्यादि उत्पादन तथा सिंचाई क्षमता में कमी आई है ? क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के तीनों भागीदारों में से पश्चिम बंगाल सरकार को सब से अधिक धन व्यय करना पड़ा है ?

†**श्री अलगेशन** : लागत का आवंटन कुछ सिद्धान्तों के आधार पर किया गया है । बाढ़ नियंत्रण का पूरा काम पश्चिम बंगाल सरकार को करना है तथा अधिकांश सिंचाई काम भी । विद्युतजनन का काम तीन सरकारों द्वारा किया जाना है । ऐसा अधिनियम में निहित सिद्धान्तों के आधार पर किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : दामोदर घाटी निगम की असफलता के लोक लेखा समिति ने गलत आयोजन तथा प्रशासनिक अदक्षता कारण बताये हैं, इस आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने संगठन में परिवर्तन करने का, जैसा कि हिन्दुस्तान स्टील में किया गया है, विचार किया है ?

†**श्री अलगेशन** : मैं माननीय सदस्य की कल्पना को ठीक नहीं मान सकता हूं कि दामोदर घाटी निगम अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो रहा है ।

†**श्री हेम बरुआ** : लोक लेखा समिति ने ऐसा कहा है ।

†**श्री अलगेशन** : दामोदर घाटी निगम ने यथासंभव उद्देश्य पूरा करने का प्रयास किया है ।

नीमड़ी में भूमिगत जल

†**११३७. श्री रा० गि० दुबे** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब निम्न आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण आरम्भ हुआ तो नीमड़ी में भूमिगत जल भूमि तल से लगभग तीन फुट नीचे था ;

(ख) क्या यह सच है कि भूमिगत जल के कारण नीमड़ी में ६४८ मकान खतरे में हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार मकानों और उनमें रहने वाले लोगों को खतरे से बचाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० श० नास्कर)**: (क) दिल्ली प्रशासन ने अल्प आय वर्ग आवास योजना के अधीन नीमड़ी में मकानों के निर्माण के लिए दिल्ली नगर निगम को ३२ लाख रुपया ऋण के रूप में पेशगी दिया है । यह मालूम हुआ है कि सन १९६१ में निगम ने मकानों की नींव रखी थी तब यहां भूमिगत जल भूस्तर में ३ फीट नीचे था ।

(ख) और (ग). नीमड़ी में भूमिगत जल वास्तव में ऊंचा है परन्तु निगम की योजना में नालियों की तथा वर्तमान सिंचाई नालियों में पानी पहुचाने की व्यवस्था है जिससे भूमिगत पानी का स्तर नीचा हो जाये । मकानों को कोई ख़तरा नहीं है । मकान पूरे होने को हैं ।

†**श्री रा० गि० दुबे** : क्या निर्माण कार्य के लिए ज़मीन का चुनाव करने से पहले परीक्षण छिद्रण किया गया है ?

†**श्री पू० श० नास्कर** : मैं समझता हू कि दिल्ली नगर निगम जो योजना को पूरा कर रहीहै, ने सभी सभव कार्यवाही की है ।

†**श्री रा० गि० दुबे** : क्या इसका यह अर्थ है कि भूमिगत जल ऊंचा होने पर तथा इस कारण निर्माण व्यय अधिक होने पर भी विशषज्ञों ने इस ज़मीन का चुनाव करने की सलाह दी थी ?

†**श्री पू० श० नास्कर**: मुझ इसकी जानकारी नहीं है परन्तु निगम ने हमें बताया है कि भूमिगत जल के कारण इन मकानों को कोई खतरा नहीं है ।

†**श्री दी० च० शर्मा** : भूमिगत जल की समस्या केवल नीमड़ी की ही नहीं है अपितु समस्त दिल्ली की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न नीमड़ी के सम्बन्ध में है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** :मैं यह कह रहा था कि भूमिगत जल की समस्या केवल नीमड़ी की ही नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह बता रहा था कि प्रश्न नीमड़ी के बारे में है ।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या मैं जान सकता हू कि नीमड़ी और उसके आस पास के क्षेत्रों में जो इससे लगती हुई कौलोनियां हैं, उन की जमीन में पानी का स्तर कुछ ऊपर आ गया है, यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी ली थी ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : हमें इसका कोई इल्म नहीं है ।

लवण आयोडीकरण संयंत्र[1]

\+

†*११३८. { **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** :
श्री राम हरख यादव :
श्री दी० च० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि (यनीसेफ) लवण के आयियोडीकरण के लिये एक संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार के साथ सहयोग कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र पर कितना पूंजीगत व्यय होगा और उसका उत्पादन लक्ष्य क्या होगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) और (ख). भारत सरकार तथा यूनीसेफ के बीच हुए करार के अनुसार यूनीसेफ ने प्रति वर्ष १६००० मीट्रिक टन को साफ करने की क्षमता वाला आयोडीकरण सयंत्र मुफ्त दिया था, जिसको सांभर झील पर स्थापित कर दिया गया है और जो नवम्बर, १९६२ के मध्य से चालू हो गया है। भारत सरकार ने संयंत्र के लिए भवन बनाने तथा रेल की पटरी डालने के लिए ५,१४,३४० रुपया व्यय किया है ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : यह संयंत्र किस तिथि तक चालू हो जायेगा ?

†**डा० स० द० स० राजू** : यह चालू हो गया है । काम कर रहा है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मैं जानना चाहता हूं कि संयंत्र में यूनीसेफ ने कितना धन लगाया है तथा संयत्र के कुल पूंजीगति व्यय का यह कितना अंग है तथा यह सहायता विस्तार के लिए थी अथवा संयंत्र को पुनः लगाने के लिए थी ?

†**डा० द० स० राजू** : मैंने बताया कि संयंत्र पर पूरा व्यय यूनीसेफ ने किया है । सरकार ने भवन निर्माण, रेल की पटरी लगाने आदि पर धन व्यय किया है ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : कितना तथा अनुपात क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री दी० चं० शर्मा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Plant for Iodisation of Salt

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस संयंत्र का उत्पादन किस काम आयेगा तथा क्या उसके लिए देश में पर्याप्त बाजार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** १५०० मील की हिमालय की तराई में समस्त देश में गलगंड रोग फैला हुआ है तथा इसका लगभग १५५ लाख व्यक्तियों पर प्रभाव है । आयोडीन वाला नमक इसका उपचार है । हम आयोडीन वाला नमक मुफ्त दे रहे हैं और चाहते हैं कि यथासंभव शीघ्र यह नमक लोगों तक पहुंच जाये ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी :** उन क्षेत्रों जिन में गलगंड बहुत है नमक की अनुमानित खपत क्या है? क्या इस संयंत्र से इस नमक की कितनी मांग पूरी हो जायेगी ?

†**डा० द० स० राजू :** इस संयंत्र से लगभग १६००० टन आयोडीन वाला नमक बनने की आशा है जो अब ४५ लाख जनता में वितरित किया जा सकता है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या संयंत्र में पूरी क्षमता से उत्पादन हो रहा है और यदि नहीं, तो इस में उत्पादन लक्ष्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्री द० स० राजू :** १६००० टन का लक्ष्य है । अब १२,००० टन का उत्पादन हो रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उत्पादन पूरी क्षमता से कब होने लगेगा ?

†**डा० द० स० राजू :** शीघ्र ही ।

†**श्री काशी राम गुप्त :** इस आइओडाइज्ड नमक के वितरण का क्या तरीका होगा ?

डा० सुशीला नायर : तरीका यह है कि जिन एरियाज़ में गायटर प्रिवेलेंट है, वहां पर साल्ट कमिश्नर के साथ यह इन्तज़ाम किया गया है कि यही नमक वहां भेजा जायगा । स्वाद में कोई फ़र्क नहीं है । जनता दूसरे नमक की जगह इस नमक को इस्तेमाल करे ।

†**श्री कपूर सिंह :** क्या हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों के अतिरिक्त देश के बड़े क्षेत्रों में पोषक तत्वों की कमी वाले रोगों में आयोडीन की कमी होना सामान्य की बात है ?

†**डा० सुशीला नायर :** सब से अधिक संख्या हिमालय की तराई में है । हम बिहार, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में काम कर रहे हैं । पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में रोग की संख्या सब से अधिक है और हम वहीं काम कर रहे हैं ।

†**श्री हेम राज :** क्या आयोडीन वाले नमक को सोते, जहां कहीं भी हैं, की देखभाल इस काम के लिये की जायेगी ?

†**डा० सुशीला नायर :** हमारी जानकारी के अनुसार आयोडीन वाले नमक के प्राकृतिक सोते नहीं हैं । एक विशेष संयंत्र लगाया गया है तथा एक और सांभर झील पर लगाया जायेगा । हमें आशा है कि रोग वाले क्षेत्र की जनता की आवश्यकता के लिए गुजरात के खरगोदा में दो और संयंत्र स्थापित कर दिये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दिल्ली में चेचक

+

†*११३९. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, १९६२ से राजधानी में चेचक के कारण अधिक व्यक्ति मर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है अथवा करने का विचार कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)**:(क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिय सख्या एल० टी० १२७५/६३]** ।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि क्या कारण था कि दिल्ली में तो चेचक का इतना अधिक प्रकोप हुआ और आस-पास के इलाके बचे रहे ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : यह बात तो ग़लत है कि आस-पास के इलाके बचे हुए हैं । आस-पास के इलाकों में दिल्ली से बहुत ज्यादा केसिज़ हुए हैं । दिल्ली में जो केसिज़ हुए हैं, वे अधिकतर आस-पास के ज़िलों से आये हुए लोगों के हैं ।

श्री यशपाल सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने चेचक का टीका लगवाने से इन्कार किया, उन के खिलाफ़ क्या कार्यवाही की गई है ।

डा० सुशीला नायर : दिल्ली में प्राइमरी वैक्सीनेशन कम्पलसरी है और जिन्होंने इन्कार किया है, उन को फ़ाइन किया गया है । कानून के मुताबिक तो उन को जेलख़ाना भी हो सकता है, लेकिन अभी समझाने की कोशिश ही हो रही है और फ़ाइन किया गया है ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या सरकार यह महसूस करती है कि चेचक-रोग के नियंत्रण में मुख्य समस्या ताल मेल की कमी की है ? सरकार ने विभिन्न उन एजेंसियों के बीच ताल मेल सुनिश्चित करने के लिए क्या किया है, जो उन्मूलन प्रोग्राम की कार्यान्विति के लिए उत्तरदायी हैं और क्या सरकार इसे आवश्यक समझती है कि इसे केन्द्रीय विषय बनाने के लिए विधान बनाया जाये ?

†**डा० सुशीला नायर** : ताल मेल बहुत ही आवश्यक है । भारत सरकार ने राज्य सरकारों को विशेष कर्मचारी नियुक्त करने के लिए सहायता दी है । राज्य सरकारों के साथ यह शर्त है कि जिन जिलों में भी उन्मूलन-कार्य आरम्भ किया जाये, वहां सभी कर्मचारी वे चाहे नगरपालिका के अधीन हों या जिला बोर्डों के, उन्मूलन प्रोग्राम के लिए भर्ती किये जाने वाले कर्मचारियों के साथ रखे जायेंगे और एक इकाई के रूप में कार्य करेंगे । अभी तक इस बारे में केन्द्रीय विधान

†मूल अंग्रेज़ी में

बनाना आवश्यक नहीं समझा गया है। अनेक राज्यों ने महामारी रोग अधिनियम बनाये हैं और आवश्यकता होने पर भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन भी कार्यवाही की जा सकती है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि चेचक का टीका सब लोगों को लगाने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

डा० सुशीला नायर : मेरे पास इस वक्त इस के आंकड़े नहीं हैं, लेकिन करोड़ों लोगों को टीके लग चुके हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण से मालूम पड़ता है कि फ़रवरी से आगे चेचक से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इतना प्रयत्न किया जा रहा है, तो फिर इतनी असफलता क्यों हो रही है। क्या इस की जांच की गई है ?

डा० सुशीला नायर : मैंने पिछले साल एपिडेमिक यीअर की बात की थी। हकीकत यह है कि उस की बिना पर इस वक्त ज्यादा केसिज़ होने वाले थे। उन की आशंका पहले से थी। जैसा कि मैंने निवेदन किया है, आस-पास के ज़िलों में से, दूसरी स्टेट्स में से, बहुत से केसिज़ यहां पर आ रहे हैं। तो भी हमने एक विशेषज्ञ कमेटी, स्पेशलिस्ट्स कमेटी, नियुक्त की है, जो पापुलेशन में से यह देखने के लिए रैंडम सैम्पल ले रही है कि हकीकत में यह स्मालपाक्स के केसेज़ बाहर से आये हुए लोग हैं, या उन की कोई और वजह है।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि एक बार और दो बार टीका लगाने पर भी चेचक रोग बढ़ रहा है और यह कि टीके में ही कुछ दोष है ?

†**डा० सुशीला नायर :** मद्रास के बारे में यह बात सच है। हमने उन के टीके की जांच की थी और पाया कि वह बहुत ही अप्रभावी थी। उसे ठीक करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

श्रीमती बसंत कुमारी : मैं यह जानना चाहती हूं कि चेचक से किस देश में ज्यादा आदमी मरते हैं।

डा० सुशीला नायर : हिन्दुस्तान ऐसा देश है, जिस में सारी दुनिया से ज्यादा आदमी चेचक से मरते हैं ?

श्री ओंकार लाल बैरवा : श्रीमन्, सब से ज्यादा

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या का तो मैंने लिहाज़ किया है कि उन्होंने बग़ैर पूछे सवाल किया, लेकिन बेरवा साहब को भी यह टैम्प्टेशन कैसे हो गया ?

†**श्री सोनावाने :** जिन बच्चों को चेचक हुई है उन में से कितने प्रतिशत को टीका नहीं लगा है और कितने प्रतिशत को टीका लगा है ?

†**डा० सुशीला नायर :** उच्चतम संख्या उन की है जिन को टीका नहीं लगा है और दूसरा नम्बर उनका है जिन्हें कई वर्ष पहिले टीका लगा था और दुबारा टीका नहीं लगा है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री बालकृष्णन : विवरण से विदित होता है कि मृत्यु-दर प्रति मास बढ़ रहा है । क्या इस का कारण यह है कि सावधानी देर से की गई या यह कारण है कि टीका बहुत बाद में लगवाया गया ?

†डा० सुशीला नायर : ऐसे मामले हैं जिन में टीका देर से लगा गया । रोगी पहिले से ही रोगग्रस्त था । रोग टीका लेने के दो, तीन दिन बाद ही हो गया । बाकी मामलों में, हम इसलिए जांच कर रहे हैं कि यह मामले कहां हो रहे हैं ?

हीराकुद बांध परियोजना

†*११४०. { श्री प्र० कु० घोष :
श्री यो० ना० सिंह :
डा० कोहोर :
श्री महानन्द :
श्री यशपाल सिंह : }

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीराकुद बांध के निर्माण में जिन व्यक्तियों की जमीनें जलमग्न हो गई थीं क्या उनको उनके दावों के मुताबिक मुआवजा दे दिया गया है ; और

(ख) क्या मुआवज़े की दर बराबर एकसी रही है ?

†सिंचाई औल विद्युत् मंत्री के सभा-सचिव (श्री सै० अ० मेहदी : (क) और (ख). जानकारी राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और यथा समय पटल पर रख दी जायेगी ।

†श्री प्र० कु० घोष : क्या राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा किये गये मूल्यांकन के विरुद्ध जनता ने जो मामले पेश किये हैं उनकी संख्या बताये अर्थात् उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने अदालत में दावे किये हैं ?

†श्री सै० अ० मेहदी : मेरे पास उन मामलों की संख्या नहीं है जिन्हें भेजा गया है ।

†श्री प्र० कु० घोष : क्या मामलों की संख्या बताने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो हम वह संख्या ज्ञात करेंगे । हमारे पास वह जानकारी नहीं है ।

†श्री बूटा सिंह : हीराकुड डैम की वजह से जो बहुत से लोग बेघरबार हुए हैं, डिसप्लेस हुए हैं, उन में से बहुत से मज़दूर और खास कर उन में से भी बहुत से हरिजन हैं जिन को अभी तक भी बसाया नहीं गया है, जो अभी भी बेघरबार हैं और जिन के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके लिए कुछ किया जा रहा है ?

†अध्यक्ष महोदय : अधिकतर विस्थापित होने वाले व्यक्ति पिछड़े वर्गों के हैं या हरिजन हैं । उनके पुनर्वास के लिए क्या किया गया है ?

†श्री अलगेशन : बहुत बड़ी मात्रा में प्रतिकर दिया गया है और उन्हें फिर से बसा दिया गया है । हमारे पास यह जानकारी नहीं है कि जलमग्न भूमि के लिए कितना धन मांगा गया था, कितना दिया गया और कितना देना है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री तुलसीदास जाधव : जिन की ज़मीन इस डैम में आ गई है, उनको दूसरी ज़मीन देने का इंतज़ाम क्या सरकार ने किया है ?

श्री सैं० अ० मेहदी : जिन लोगों की ज़मीन इस में ली गई है उनको कम्पेंसेशन देने का इंतज़ाम है ।

अध्यक्ष महोदय : ज़मीन के बदले ज़मीन देने का कोई इंतज़ाम किया है ?

श्री सैं० अ० मेहदी : हम लोगों को इसकी इत्तिला नहीं है ।

†**श्री प्र० कु० घोष** : माननीय मंत्री राज्यों से कब तक जानकारी पाने की आशा करते हैं और मंत्रालय का कब तक सारा प्रतिकर दे देने का विचार है ?

†**श्री सैं० अ० मेहदी** : कुछ मामले विवादग्रस्त हैं । कुछ पंचाट से तय हो गये हैं और कुछ में संबंधित व्यक्ति प्रतिकर लेने नहीं आये हैं । अन्य अभी अदालतों में पड़े हैं । आशा है कि निश्चय एक आध वर्ष में किया जायेगा । यदि व्यक्ति प्रतिकर लेने न आयें, तो हम नहीं कह सकते कि इसमें कितना समय लगेगा ।

परिवार नियोजन

†*११४१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य उपमंत्री के सभापतित्व में परिवार नियोजन के क्षेत्र में किये गये कार्य का मूल्यांकन करने के लिए तथा चौथी योजना अवधि के लिए कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के कौन-कौन सदस्य हैं तथा उसके निर्देश पद क्या हैं ; और

(ग) क्या समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी हां ।

(ख) समिति के प्रस्तावित सदस्य निम्न हैं :

यह बीस व्यक्तियों की भावी नामावली है । क्या आप मुझे यह पढ़ने की अनुमति देंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह पटल पर रखी जा सकती है ?

[सभा-पटल पर रखी गई । सूची नीचे दी जाती है]

सूची

१.	डा० द० स० राजू, स्वास्थ्य मंत्रालय में उप-मंत्री, भारत सरकार ।	सभापति
२.	श्रीमती धनवन्ती रामा राव, अध्यक्ष, इन्टर्नेशनल प्लाण्ड पेरन्टहुड फीड्रेशन ।	सह-सभापति

†मूल अंग्रेज़ी में

३.	डा० श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन, शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री, भारत सरकार ।	सह-सभापति
४.	महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि ।	सदस्य
५.	उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधि ।	तदेव
६.	श्रीमती अवाबाई बी० वाडिया, अध्यक्ष, फैमिली प्लानिंग एसोसियेशन आफ इण्डिया ।	तदेव
७.	श्रीमती रेणुका राय, संसत्सदस्य ।	तदेव
८.	श्री तिरुमल राव संसत्सदस्य ।	तदेव
९.	प्रो० पी० सी० महलनोविस, सभापति, संचार कार्य अनुसन्धान संबंधी विशेषज्ञ समिति ।	तदेव
१०.	डा० वी० के० आर० वी० राव, सभापति, डेमोग्राफिक एडवाइजरी समिति ।	तदेव
११.	डा० वी० आर० खनोलकर, सभापति, आई० सी० एम० आर० के परिवार नियोजन के वैज्ञानिक पहलू संबंधी सलाहकार समिति ।	तदेव
१२.	श्री आ के० रामध्यानी, सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय, अथवा उनके प्रतिनिधि ।	तदेव
१३.	योजना आयोग का एक प्रतिनिधि ।	तदेव
१४.	सामुदायिक विकास, तथा सहकार मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।	तदेव
१५.	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का प्रतिनिधि ।	तदेव
१६.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।	तदेव
१७.	श्री अशोक मित्र, महा-पंजीयक ।	तदेव
१८.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान का एक प्रतिनिधि	तदेव
१९.	श्री के० आर० नायर, केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन	तदेव
२०.	लेफ्टीनेन्ट करनल बी० एल० रैना	सदस्य-सचिव

संसत्सदस्यों के बारे में सदस्यों/संबंधित मंत्रालयों/संसद-कार्य विभाग की अनुमति प्राप्त की जा रही है ।

समिति के निर्देश-पद निम्न हैं :-

(१) परिवार नियोजन प्रोग्राम का पुनरीक्षण ;

(२) परिवार नियोजन के क्षेत्र में किये गये कार्य का मूल्यांकन ; और

(३) चौथी पंच वर्षीय योजना में शामिल किये जाने के लिए सुझाव देना ।

(ग) समिति की रिपोर्ट यथा समय पटल पर रखी जायेगी ।

श्री दी० चं० शर्मा : निश्चित निर्देश पद क्या हैं और क्या रिपोर्ट केवल चौथी योजना के बारे में होगी या यह उस योजना के बाद आगे की कार्यवाही का भी उल्लेख करेगी ?

†**डा० द० स० राजू :** निर्देश पद है : परिवार नियोजन कार्यक्रम का पुनर्रीक्षण, दो योजना-कालों में जो कार्य हो चुका है उसका मूल्याँकन और चौथी योजना में शामिल किये जाने के लिए कार्यवाही का सुझाव ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** किये गये कार्य का मूल्याँकन क्या है ? क्या यह सच नहीं है कि कार्य प्रायः न होने के बराबर है ?

†**डा० द० स० राजू :** जी नहीं । यह सच नहीं है ।

श्री यशपाल सिंह : परिवार नियोजन फेल हो गया है, जितना फैमिली प्लानिंग बढ़ा जितना बर्थ कंट्रोल बढ़ा, उतनी ही आबादी भी बढ़ती चली गई । ऐसी सूरत में सरकार के लिए यह उचित न होगा कि वह इस करोड़ों रुपये की धन राशि को रोक कर सैल्फ-कंट्रोल के प्रचार में लगाये ?

अध्यक्ष महोदय : श्री सरजू पाण्डेय ।

श्री यशपाल सिंह : श्रीमन्, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है ।

अध्यक्ष महोदय : पहले तो आपने यह एज्यूम कर लिया कि यह फेल हो गया है । दूसरे आपने सजैशन दी कि करोड़ों को बचा कर दूसरे काम में लगाया जाए

श्री यशपाल सिंह : सैल्फ-कंट्रोल में लगाया जाए जैसा कि गाँधी जी ने कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री सरजू पाण्डेय : परिवार नियोजन योजना के लागू होने के बाद से देश के बच्चों की पैदाइश पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : देश की आबादी तो बढ़ी है, बढ़ रही है । लेकिन उसका कारण यह नहीं है कि परिवार नियोजन चल रहा है । लेकिन मृत्यु संख्या बहुत कम हो गई है स्वास्थ्य की योजनाओं के कारण से । अगर परिवार नियोजन न होता तो आबादी इससे भी ज्यादा बढ़ती । एक दो जगहों पर जहाँ पर खास स्टडी की गई है, वहाँ पर यह पता चला है कि १६ परसेंट और १८ परसेंट रिडक्शन बर्थ रेट में हुआ है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या माननीय मंत्री का ध्यान योजना मंत्री श्री नन्दा के हाल के इस वक्तव्य की ओर आकर्षित हुआ है "रिदम मैथड" आशानुसार सफल नहीं हुआ और इसलिये उन्होंने सभी नैतिक तथा भौतिक दृष्टियों के सन्तुलन के लिए सुझाव दिया और यदि हाँ, तो क्या सरकार ने योजना मंत्री के सुझाव के अनुसार काई कार्यवाही की है ?

†**डा० सुशीला नायर :** योजना मंत्री ने केवल देश में आज तक व्यवहार हो रही प्रथा का उल्लेख किया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० र० पटेल :** क्या कोई सर्वेक्षण यह जानने के लिए किया गया है कि उन संसत्सदस्यों ने यह योजना कहाँ तक लागू की है जिनके समाज के अपने आदर्श हैं ?

†**डा० गायतोंडे :** क्या यह सच है कि गर्भ निरोधक स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बनाये जाने के बजाये अणु शक्ति आयोग द्वारा बनाये जा रहे हैं ?

†**डा० सुशीला नायर :** मैं नहीं जानती कि गर्भ निरोधक अणु शक्ति आयोग द्वारा बनाये जा रहे हैं या नहीं, परन्तु मैं यह अवश्य जानती हूं कि गर्भ निराधकों तथा सभी दवाओं का उत्पादन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के नियन्त्रण में है, स्वास्थ्य मंत्रालय के नियन्त्रण में नहीं है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** इस बात के बावजूद भी कि दूर गाँवों के लोग भी परिवार नियोजन के लिए तैयार हैं, क्या यह सच है कि जो भी थोड़ी राशि इसके लिए आवंटित की जाती है वह भी अनुसूची के अनुसार व्यय नहीं होती ?

†**डा० सुशीला नायर :** यह बात सच नहीं है । सच बात तो यह है कि पिछले एक वर्ष में हमारा कुल व्यय, जिससे प्रयास का पता लगता है, दूसरी योजना के पाँच वर्षों के कुल व्यय से अधिक था । मैं यह भी बता दूं कि परिवार नियोजन के हमारे समस्त प्रयास का तीन चौथाई कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य मंत्राणी जी ने यह जानने का भी यत्न किया है कि देश में कुछ इस प्रकार के भी धार्मिक संगठन हैं जिन के प्रचारक विधिवत् इस प्रकार का आन्दोलन कर रहेहैं कि परिवार नियोजन हमारी धार्मिक परम्पराओं के विपरीत है, यदि हाँ, तो उसके निराकरण के लिए क्या यत्न किया जा रहा है ?

डा० सुशीला नायर : सिवाय कैथोलिक धर्म के किसी धर्म ने, एक धर्म के रूप में परिवार नियोजन का विरोध नहीं किया है । धर्म की स्वतन्त्रता हमारे देश में कायम है और कायम रहेगी, लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि बहुत से उन धर्मों के लोग भी, जिन धर्मों के नेता परिवार नियोजन का विरोध करते हैं, फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसस का इस्तेमाल करते हैं ।

श्री मानसिंह पृ० पटेल : समस्था के महत्व की दृष्टि से क्या सरकार ने उन माता पिता पर अधिकर लगाने पर विचार किया है जिनके तीन से अधिक बच्चे हैं ?

†**डा० सुशीला नायर :** यह कार्य के लिए एक सुझाव है ।

पीने का पानी सप्लाई करने वाला बोर्ड

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १०. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण जल-प्रदाय योजना को शीघ्रता से कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने एक पीने का पानी सप्लाई करने वाला बोर्ड बनाया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में,

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बोर्ड के सदस्यों के नाम, कार्यविधि तथा कृत्यों और उसके संचालन पर होने वाले अनुमानित व्यय और इस प्रयोजन के लिये उपलब्ध किये गये समस्त साधनों की जानकारी प्रदान करने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

आजकल देहाती क्षेत्रों में पानी की पूर्ति का सवाल अनेक ऐंजसियों द्वारा हल किया जा रहा है । उदाहरणार्थ स्वास्थ्य मंत्रालय में राष्ट्रीय जलपूर्ति और (ग्रामीण) सफाई कार्यक्रम के अधीन सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधीन और गृह मंत्रालय में पिछड़ी जातियों के कल्याण कार्यक्रम के अधीन हल किया जा रहा है । राज्य सरकारें इसको कार्यान्वित करने की प्राधिकारी हैं । इन परियोजनाओं की शीघ्र कार्यान्विति राज्य सरकारों और उन विभिन्न मंत्रालयों, जो कि परियोजनाओं की मंजूरी देते हैं, के निकट सम्पर्क और सहयोग तथा विभिन्न योजनाओं में समन्वय की मात्रा पर निर्भर हैं । इसको पूरा करने के लिए भारत सरकार ने एक पीने के पानी का बोर्ड बनाया है ।

इस बोर्ड के सदस्य इस प्रकार हैं :—

१. श्री बलवन्त राय मेहता	अध्यक्ष
२. डा० के० एल० राव, संसद सदस्य	सदस्य
३. श्री आर० मोरारका, संसद सदस्य	सदस्य
४. श्री जी० मुखर्जी, सह-सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय	सदस्य
५. श्री एस० राजगोपालन उप-महानिदेशक (जन स्वास्थ्य इंजीनियरी)	सदस्य
६. श्री बी० एस० श्रीकंठैया उप-सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय	सचिव सदस्य

जब जरूरत होगी तब यह बोर्ड राज्यों का दौरा करेगा और जब राज्य सरकारों की विशिष्ट समस्याओं पर चर्चा की जाएगी तब सम्बन्धित राज्य सरकारों के उचित सदस्यों को बोर्ड में शामिल कर लिया जायेगा ।

३. बोर्ड के नीचे लिखे विचारणीय विषय हैं :—

(१) राज्य सरकारों से उनकी ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं की अन्तिम रूप देने के उपायों की चर्चा करना ताकि वे प्रक्रिया की कठिनाइयों और प्रशासकीय अड़चनें दूर हो सकें और योजनाओं को कार्यान्विति के लिये उचित संगठन का सुझाव दिया जा सके ;

(२) ग्रामीण जल पूर्ति की योजनाओं की कार्यान्विति के बारे में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार में सम्पर्क बनाये रखना ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सलाह देना ;

(४) पानी की कमी और जहाँ पानी दुर्लभ है उन क्षेत्रों में खास तौर से ग्रामीण जल पूर्ति की योजनाओं को जल्दी से कार्यान्वित करने के लिए जो भी बातें आवश्यक और संभव हों उन सब में सहायता पहुंचाना ।

बाद में यह बोर्ड शहरी जल पूर्ति के मामले में भी इसी प्रकार का कार्य केन्द्रीय सरकार की अनुमति से कर सकता है ।

बोर्ड के लिए कोई विशेष कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया । उस बोर्ड के कार्यचालन के बारे में हर माह केवल वेतन और भत्तों पर लगभग २४०० रुपये खर्च होने का अनुमान है । इसके अलावा यात्रा भत्ता और महंगाई पर भी खर्च होगा । यह खर्च बोर्ड की बैठकें होने के स्थान और वे कितनी होती हैं, इस पर निर्भर होगा ।

बोर्ड के अधीन विशेष संसाधनों की कोई व्यवस्था नहीं की गई क्योंकि वह कार्यान्वित करने वाली ऐजेंसी नहीं है और सलाहकार संस्था है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : हमें जो विवरण पढ़ कर सुनाया गया है उसमें यह कहा गया है कि गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था का काम कई मंत्रालयों के जिम्मे है । इसमें सब से बड़ी जरूरत समन्वय की है और इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बोर्ड समन्वय करने का कार्य करेगा अथवा केवल सलाहकार संस्था या मंजूरी प्राधिकार के रूप में कार्य करेगा या केवल सरकार की सलाहकार संस्था के रूप में होगा ।

†**डा० सुशीला नायर** : यह एक सलाहकार संस्था है और इसकी सलाह हर मामले में स्वीकार किये जाने की संभावना है, इससे अड़चनें दूर होंगी और योजनाओं की मंजूरी और कार्यान्विति आदि का काम जल्दी हो सकेगा ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : हमें इसकी बड़ी चिन्ता है क्योंकि इसके पहले भी ग्रामीण जल पूर्ति समिति की रिपोर्ट दी जा चुकी है । उस समिति की सिफारिशों के बारे में क्या हुआ ? उसकी सिफारिशें कहां तक लागू की गई है और क्या इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए देश के सारे ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए और अधिक साधन उपलब्ध किये गये है ?

†**डा० सुशीला नायर** : माननीय सदस्य जिस समिति की सिफारिशों का हवाला दे रहे ह उसकी सिफारिशों पर अमल करने के बारे में बहुत कम काम हुआ है । यह रिपोर्ट विभिन्न राज्य सरकारों को भेज दी गई थी । यह बोर्ड इस समिति की कुछ सिफारिशों को अमल करने के बारे में प्रेरणा देगा और उनका शीघ्रता से अमल करायेगा । इसके अलावा हमें यह आशा है कि हमारे पास जो संसाधन हैं जब वे समाप्त हो जायेंगे तब यह संभव हो सकेगा कि हम योजना आयोग से और अधिक निधियां ले सकें । परन्तु फिलहाल यदि पैसा मिल भी जाए तो नलों, पम्पों छन्नों आदि की और अन्य दूसरी कठिनाइयां है जिन्हें हल करना जरूरी होगा और इसके बाद ही ये योजनायें आगे बढ़ सकेंगी ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या यह समिति अपने आप उन व्यवहार्य योजनाओं पर अमल करने के लिए सक्षम है जो उसके पास सीधे ही भेजी जाती हैं ?

†**डा० सुशीला नायर** : निश्चय ही वे जो उचित समझें सिफारिश कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : क्या माननीय मंत्री को यह सर्वव्यापी योजना, मंत्रि परिषद् द्वारा स्वीकृत योजना प्राप्त हुई थी ? क्या मंत्रि परिषद् ने वास्तव में इस योजना पर विचार किया तथा इसे स्वीकार किया ? अनेकों मंत्रालयों के अखिल भारतीय कार्य करने पर भी मेरा ख्याल है कि यह केवल जल संभरण के विरुद्ध गर्भ निरोधक कार्यवाही होगी ।

†**डा० सुशीला नायर** : माननीय सदस्य की शंकायें निर्मूल हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अब भी परिवार नियोजन के ख्याल में हैं ।

†**डा० सुशीला नायर** : यह बोर्ड स्वास्थ्य मंत्रालय में है । इस बोर्ड ने सभी अनेक मंत्रालायों को नहीं मिलाया है । एक पृथक समिति है जो ताल मेल के लिए बनाई गई है । यह बोर्ड राज्य सरकारों के पास जाकर प्रत्येक समस्या का अध्ययन करेगा और देखेगा कि उनकी कठिनाइयां दूर होंती हैं तथा विभिन्न ऐंजेंसियां इसे शीघ्र प्रभावी रूप में लागू करती हैं ।

†**श्री त्यागी** : राज्य अपना कार्य भली भांति जानते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बर्मा में राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंक

†*११४२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकार ने बर्मा में राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंकों को अपनी मूल पूंजी भारत वापस भेजने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो कितने बैंकों को यह अनुमति दी गई है तथा अभी कितने और बैंकों को ऐसा करने की अनुमति दी जानी है; और

(ग) कुल कितनी पूंजी अन्तर्ग्रस्त है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) और (ख). पांच भारतीय बैंकों में से दो बैंक, को जिन की शाखायें बर्मा में थीं, अपने मुख्यालय की राशि जो प्रत्येक की ५ लाख रु० थी वापस लाने की अनुमति दी गई है । जहां तक अन्य तीन बैंकों का प्रश्न है, वह अभी अनिश्चित पड़ा है ।

(ग) भारत में मुख्यालयों द्वारा बर्मा को भेजी गई राशियां, जो यूनियन बैंक आफ बर्मा एक्ट के अनुसार थीं, २५ लाख रु० थी । इस राशि में से १५ लाख रु० अभी आने शेष हैं । इसके अतिरिक्त, भारत में मुख्यालयों को विभिन्न खातों में देय राशियां तथा आस्तियां भी वापस लानी होंगी, परन्तु अभी यह अनुमान ठीक से नहीं लगाया जा सकता कि इनकी निश्चित राशि क्या होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्कूल स्वास्थ्य समिति

†*११४३ { श्री उलाका :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २० अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल स्वास्थ्य समिति द्वारा की गई सिफारिशों की इस बीच जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सिफारिशों पर सरकार का क्या निर्णय है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० १२७७/६३]** ।

कोलार की सोने की खानें

†*११४४. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोलार की सोने की खानों में सोने के उत्पादन व्यय को कम करने के लिए कार्यवाही करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री व० रा० भगत)** : (क) जी हां ।

(ख) विचारार्थ अनेक उपाय निम्न हैं :

(१) सोने का उत्पादन बढ़ाना;

(२) सोना उत्पादन के अनेक उपायों में मितव्ययता करना;

(३) कारखानों, स्टोरों, आदि जैसी सेवाओं को एक जगह करना; और

(४) वर्तमान तकनीकों में सुधार करना ।

कोलार सोना क्षेत्र में गहन खोज कार्य भी किया जा रहा है ताकि संभाव्य अयस्क निक्षेपों का पता लग सके क्योंकि उत्पादन-लागत कम रखने में उच्च श्रेणी के अयस्क का बड़ी मात्रा में उपलब्ध होना बड़ी बात है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दिल्ली में पानी की कमी

*११४५. श्री भक्त दर्शन :
श्री राम हरख यादव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री काशी राम गुप्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा नई दिल्ली के कई क्षेत्रों में पानी की अत्यधिक कमी अनुभव की जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पटेल नगर, दिल्ली के प्रेम नगर क्षेत्र में १५, १६ और १७ अप्रैल, १९६३ को नलों में एक बूंद भी पानी नहीं आया;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) जल प्रदाय पूरी तौर पर बन्द नहीं किया गया था बल्कि इन दिनों पानी का दबाव कम था ।

(ग) मूलतः प्रेम नगर दो जलाशयों अर्थात् शादीपुर और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ था परन्तु दिल्ली दुग्ध योजना को राहत देने के लिये शीदीपुर जलाशय से प्रयोगात्मक रूप में कनेक्शन काट दिया गया था और प्रयोग पूर्ण होने पर नगर निगम ने दोनों क्षेत्रों को राहत देने के लिये इस ओर से एक छोटा सा कनेक्शन फिर दे दिया ।

(घ) स्लूइस वाल्व के विनियमन तथा पानी देने के समय को सीमित करके राहत दी जा रही है ।

चीनी के कारखानों द्वारा गन्दे पानी का निष्कासन

†*११४६. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बालगोविन्द वर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि चीनी के कारखानों द्वारा निष्कासित गन्दे पानी का जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस गन्दगी को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) चीनी के कारखानों से निष्कासित गन्दे पानी का बुरा प्रभाव जन स्वास्थ्य पर पड़ेगा यदि उन्हें उचित रूप में साफ किये बिना आबादी के पास निकाला जाता है या उन नदियों या तालाबों में बहाया जाता है जिन का प्रयोग मनुष्य करते हैं ।

(ख) राज्य सरकारें तथा स्थानीय निकाय इस गन्दगी को रोकने के लिए विभिन्न कारखाना अधिनियमों या नगरपालिका उप-विधियों के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकती हैं । खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय चीनी संस्था, कानपुर में चीनी के कारखाने से निकाले गये पानी को साफ करने का एक ढंग निकाला है जो चीनी के कारखाने प्रयोग कर सकते हैं । भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय में जुलाई, १९६२ में एक समिति बनाई थी । वह समिति घरेलू तथा औद्योगिक गन्दगी से पानी के गन्दे होने के बारे में कार्यवाही करने के लिए अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिए बनी थी । समिति की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है ।

राज्य विद्युत् बोर्डों के अध्यक्षों का सम्मेलन

*११४७. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, १९६३ के पहले सप्ताह में नई दिल्ला में राज्य विद्युत् बोर्डों के अध्यक्षों का सम्मेलन बुलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये अथवा सिफारिशें की गईं; और

(ग) उन निर्णयों तथा सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य सुझावों का विवरण सभा पटल पर रखा है ।

(ग) इन सुझावों की जांच की जा रही है और इन पर राज्य सरकारों के साथ सलाह करके विचार किया जायेगा । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० १२७८ / ६३]**

जल संभरण योजना

†*११४८. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री ओंकारलाल बैरवा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो रूसी विशेषज्ञों ने, जो दिल्ली, बम्बई तथा नागपुर नगरों की जल संभरण समस्याओं का अध्ययन करने के लिए वहां गये थे, पानी लेने के स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय किये जाने के बारे में विशिष्ट सुझाव दिये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली में ओखला वाटर वर्क्स पर मल द्वारा पानी को गन्दा होने से बचाने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ग) क्या इन विशेषज्ञों द्वारा बताई गई बातों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से समस्या को हल करने की कोई योजना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) दिल्ली में रूसी वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि पानी लेने के स्थानों को गन्दा होने से बचाना चाहिये। बम्बई और नागपुर में कोई विशेष सुझाव नहीं दिये गये।

(ख) जी हां। बरसाती नालों में बहने वाली गन्दगी बाहरी स्थानों को बहाई जा रही है। तेरह बरसाती नालों में से नौ को निगम ने नियंत्रित कर लिया है।

(ग) जी नहीं।

मंत्रियों के निवास स्थानों पर पानी तथा बिजली पर होने वाले खर्च की सीमा का निर्धारण

†*११४९. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने निर्णय किया है कि वे अपने निवास स्थानों पर प्रति मास अधिकतम २५० रुपये की बिजली तथा पानी का उपयोग करेंगे;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से; और

(ग) क्या संघ सरकार के राज्य मंत्रियों तथा उपमंत्रियों के निवास-स्थानों पर भी पानी तथा बिजली के उपभोग के लिये इसी प्रकार की सीमा निर्धारित करने का निर्णय किया गया है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (ग). मंत्रियों ने अपने मकानों में बिजली व पानी के प्रयोग की अधिकतम सीमा स्वेच्छा से इतनी निर्धारित की है कि उन पर व्यय की अधिकतम राशि २०० रु० प्रति मास हो।

(ख) १ अप्रैल, १९६३ से।

अखिल भारतीय जल 'ग्रिड'

†*११५०. { **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री पें० बेंकटासुब्बया :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में ही अखिल भारतीय जल 'ग्रिड' बनाने के लिये देश की बड़ी नदियों को मिलाने की योजना पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि कोई अस्थायी निर्णय किया गया है, तो क्या ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) अखिल भारतीय 'ग्रिड' बनाने के लिए देश की बड़ी नदियों को मिलाने की कोई विशिष्ट योजना विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

स्थायी सिन्धु आयोग

†*११५१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में स्थायी सिन्धु आयोग की हाल की बैठक में किन मुख्य विषयों पर विचार किया गया था ; और

(ख) उक्त बैठक में क्या निर्णय किये गये ?

†**सिंचाई और विद्युत् में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). स्थायी सिन्धु आयोग ने हाल में २० से २६ अप्रैल, १९६३ तक नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में ३१ दिसंबर, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष की अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया । शीघ्र ही इस रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय ऋण निधि से दिये गये ऋण

†२६२६. **श्री उलाका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के रक्षित बैंक द्वारा राष्ट्रीय ऋण (दीर्घकालीन संचालन) निधि में से १ जुलाई, १९६२ से अब तक कितने ऋण और पेशगियां मंजूर किये गये हैं ;

(ख) उसी अवधि में उस में से कितना राज्य सरकारों को दिया गया है और कितना उड़ीसा सरकार को ; और

(ग) सहकारी बैंकों को कितना दिया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** :(क) १ जुलाई, १९६२ और ३१ मार्च, १९६३ के बीच दीर्घकालीन संचालन निधि में से राज्य सरकारों और राज्य सहकारी बैंकों को १०.९० करोड़ रुपयों के ऋण मंजूर किये गये और इस अवधि में ६.०६ करोड़ रुपये उठाए गए ।

(ख) उपरोक्त १०.९० करोड़ रुपये में से ४.९४ करोड़ रुपये के ऋण राज्य सरकारों को मंजूर किये गये थे और सम्बन्धित राज्य सरकारों ने समस्त राशि ले ली थी । उड़ीसा सरकार को १२,९१,५०० रुपये मंजूर किये गये थे और समस्त राशि उस राज्य को दे दी गई थी ।

(ग) सहकारी बैंकों को ५.९६ करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे और उन्होंने १.१२ करोड़ रुपये उठाये थे । उड़ीसा राज्य सहकारी बक को ५१.०१ लाख रुपये मंजूर किये गये थे परन्तु वह राशि न उठाई गई और न उपयोग में लाई गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कटक और रायगाडा में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग के क्वार्टर

†२६२७. **श्री उलाका :** क्या **वित्त** मंत्री २५ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कटक और रायगाडा में केन्द्रीय आबकारी विभाग के उड़ीसा स्थिति अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये रहने के क्वार्टरों के निर्माण के सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** कटक में निर्माण कार्य के लिए टेंडर आमंत्रित किये गये हैं और रायगाडा का काम आपात के कारण फिलहाल रोक दिया गया है ।

उड़ीसा में राज्य बैंक की शाखायें

†२६२८. **श्री उलाका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में १ जुलाई, १९५५ से अभी तक राज्य बैंक की कितनी शाखायें खोली गई हैं ; और वे कहां कहां स्थित हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** भारत के राज्य बैंक ने उड़ीसा में १ जुलाई, १९५५ से ३१ मार्च, १९६३ तक निम्नलिखित २८ शाखायें खोली हैं :

१. पुरी
२. बारीपाड़ा
३. सुन्दरगढ़
४. ढेंकानाल
५. बोलनगीर (पटना)
६. खुर्दा
७. क्योंझर
८. छतरपुर
९. भुवनेश्वर
१०. भवानी पटना
११. रायगाडा
१२. बारगढ़
१३. जैपुर
१४. कोरापट
१५. तितलागढ़
१६. पारलकीमेदी
१७. अंगुल
१८. भंजनगर
१९. भद्रक
२०. केन्द्रपाड़ा
२१. जाजपुर
२२. रूरकेला
२३. तलचेर
२४. फूलबानी
२५. नवापाड़ा
२६. आसका
२७. नयागढ़
२८. कपटीपाड़ा (रैरंगपुर)

नर्सिंग होम के शुल्क की दरें

†२६२९. { **श्री उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २० अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०९० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के प्रबन्ध वाले नर्सिंग होम के शुल्क की दरें घटाने के प्रश्न पर इस बीच में विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) और (ख). विलिंगडन अस्पताल के नर्सिंग होम और स्पेशल वार्डों के नियमों के संशोधन का प्रश्न अभी विचाराधीन है। सफदरजंग अस्पताल में कोई नर्सिंग होम नहीं है।

दिल्ली में निर्वाह व्यय देशनांक

†२६३०. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में निर्वाह व्यय देशनांक बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो १९६२-६३ में किस प्रकार की वृद्धि हुई ; और

(ग) निर्वाह व्यय देशनांक में इस वृद्धि का मुख्य कारण क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). दिल्ली का उपभोक्ता मूल देशनांक (१९६०-१००) मार्च, १९६२ में १०६ ; अगस्त, १९६२ तक वह ११० हो गया परन्तु दिसंबर, १९६२ तक वह फिर कम हो कर १०७ रह गया। मार्च, १९६३ में देशनांक १०८ था। इसलिए वर्ष १९६२-६३ में देशनांक में २ प्वाइंट की वृद्धि हुई है।

(ग) यह वृद्धि दालों, मांस, मछली और अंडों, मसालों के मूल्यों में वृद्धि और बजट प्रस्तावों के पेश किये जाने के बाद मिट्टी के तेल, साबुन, तम्बाकू आदि के मूल्यों में वृद्धि और जुलाई, १९६२ से रेलवे भाड़े में हुई वृद्धि के कारण है।

आयकर अधिनियम का गोआ में विस्तार

†२६३१. **डा० सरोजिनी महिषी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिनियम और धन कर अधिनियम का गोआ, दमन, दीव, दादरा, नगर हवली और पांडिचेरी में विस्तार किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). आयकर अधियिनम, १९६१, धन कर अधिनियम, १९५७ और केन्द्र के अन्य प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित अधिनियमों को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद २४० के अन्तर्गत प्रख्यापित विनियम द्वारा १-४-१९६३ से गोआ, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली तथा पांडिचरी के संघ राज्य क्षत्रों में लागू कर दिया गया है।

अन्तर्राज्यिक बिक्री कर

†२६३२. **श्री र० ना० रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि अन्तर्राज्यिक बिक्री कर में अधिकांश 'सी' फार्म बैंकों के द्वारा एकत्रित किये जाते हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि दिल्ली के व्यापारियों द्वारा बाहर के व्यापारियों, जो रजिस्टर्ड हैं, से प्राप्त किये गये 'सी' फोर्म दिल्ली के बिक्री-कर प्राधिकारियों द्वारा 'सी' फार्मों के भरने में छोटी मोटी गलतियों पर अस्वीकार किये जा रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रकार की परेशानी केवल दिल्ली में ही सीमित है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है और क्या सरकार समस्त राज्यों के लिये एक समान नीति बनायेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी ,हां ।

(ख) और (ग) यदि 'सी' फार्म अथवा उस में किये गये किसी संशोधन पर हस्ताक्षर नहीं होंगे अथवा यदि उस में (१) खरीदने वाले व्यापारी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अथवा (२) बिल/कैशमीमो और 'सी' फार्म में आने वाली वस्तुओं की खरीद की राशि संबंधी ब्यौरा नहीं दिया गया होगा तो उन फार्मों को दिल्ली में अथवा किसी अन्य राज्य में अस्वीकार किया जा सकता है ।

इस स्थिति के बावजूद दिल्ली के बिक्री कर प्रशासन द्वारा व्यापारियों को ये गलतियां ठीक करने का मौका प्राय: हमेशा ही दिया जाता है ।

(घ) चूंकि 'सी' फार्म देने से वसूली रियायाती दर पर की जाती है, इसलिए उस का उचित सत्यापन आवश्यक है ।

उपरोक्त (ख) और (ग) में जो कुछ बताया गया है उस के कारण इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा और कोई कार्यवाही किये जाने की जरूरत नहीं है ।

केन्द्रीय बिक्रीकर

†२६३३. **श्री र० ना० रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्तर्राज्य व्यापार में खरीददार को, जो रजिस्टर्ड व्यापारी हो, विक्रता को 'सी' फार्म के अतिरिक्त १ प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री-कर देना पड़ता है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि कुछ रजिस्टर्ड व्यापारी ऐसा करते हैं हैं कि १ प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री-कर पर माल ले कर 'सी' फार्म अथवा शेष केन्द्रीय बिक्री कर जमा नहीं करते हैं जिस से विक्रेता व्यापारियों को नुकसान होता है ; और

(ग) सरकार का विक्रेता व्यापारियों के हित की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत विक्रेता को माल की अर्न्तराज्यीय बिक्रियों पर रजिस्टर्ड व्यापारी को २ प्रतिशत की रियायती दर पर कर देना होता है यदि विक्रेता व्यापारी से 'सी' फार्भ में घोषणा पेश करे । ठेके की शर्तों के अनुसार विक्रेता खरीददार से उतनी रकम प्राप्त कर सकता है जो उसने बिक्री पर कर के रूप में अदा की हो ।

(ख) और (ग). खरीददार द्वारा विक्रेता के 'सी' फार्म का दिया जाना अथवा शेष केन्द्रीय बिक्री कर का भुगतान दोनों पक्षों के सामान्य व्यापारिक संबंधों और ठेके की शर्तों पर निर्भर है और सरकार का इस संबंध में कोई हस्तक्षेप करने का विचार नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

केन्द्रीय बिक्री कर

६

†२३३४. **श्री र० ना० रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल राज्य में किसी व्यापारी द्वारा अन्तर्राज्य बिक्रियों में जारी किये गये 'सी' फार्म में एक वर्ष की खरीदें शामिल रहती हैं जबकि अन्य राज्यों में वह एक तिमाही के लिये ही मान्य होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार केन्द्रीय बिक्री कर के संबंध में विभिन्न राज्यों में अपनाई जाने वाली विभिन्न सरकारी नीतियों का स्पष्टीकरण करेगी ;

(ग) क्या सरकार का समस्त राज्यों के लिये समान नियम बनाने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जब कोई सप्लायर उसको दिये गये बड़े आर्डर का माल थोड़ा थोड़ा करके देता है तो पश्चिम बंगाल सरकार उस आर्डर के संबंध में की गई समस्त सप्लाई के लिये एक ही 'सी' फार्म स्वीकार कर लेती है । ऐसी स्थिति में मद्रास सरकार भी एक वित्तीय वर्ष में की गई सप्लाई के लिये एक फार्म स्वीकार कर लेती है । अन्य राज्य सामान्यतः एक तिमाही में की गई सप्लाई के लिये एक फार्म दिये जाने की अनुमति देते हैं ।

(ख) केन्द्रीय बिक्रीकर का प्रशासन राज्यों के बिक्रीकर प्राधिकारियों को सौंप दिया गया है जन्द्रीय बिक्रीकर के संबंध में भी सामान्यतः उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हैं और वही प्रक्रिया अपनाते हैं जो संबंधित राज्यों के सामान्य बिक्रीकर कानूनों के अन्तर्गत लागू होती हैं ।

(ग) और (घ) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में बताई गई स्थिति को देखते हुये सरकार का समस्त राज्यों के लिये समान नियम बनाने का कोई विचार नहीं है ।

बहुप्रयोजनीय नदी घाटी एवं विद्युत् परियोजनायें

६

†२३३५. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहु प्रयोजन नदी घाटी एवं विद्युत परियोजनायें तैयार करने में प्रमापीकरण का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के विशेषज्ञों द्वारा वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख) जल संबंधी स्थिति की अत्यधिक असमानता एवं अन्य सीमितताओं के कारण बहु प्रयोजन नदी घाटी एवं जल विद्युत् परियोजनायें तैयार करने में पूर्ण प्रमापीकरण कठिन है । परन्तु ताप विद्युत् केन्द्रों के संबंध में कुछ प्रमापीकरण प्राप्त कर लिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प बचतें

६
†२६३६. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री दलजीत सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती जमुना देवी :
श्री महेश्वर नायक :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना अवधि में छोटी बचतों के कुल लक्ष्य के संबंध में वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार प्रगति हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो तीसरी योजना के प्रारम्भ से छोटी बचतों द्वारा अभी तक कितना धन जमा हुआ है ; और

(ग) १९६२–६३ में (१) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रमाणपत्रों, (२) प्रतिरक्षा निक्षेप प्रमाणपत्रों और (३) प्रीमियम इनाम बांडों की बिक्री से प्रत्येक राज्य में कितना कितना रुपया जमा हुआ ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) कोई वर्षवार लक्ष्य निश्चित नहीं किये गये हैं परन्तु योजना के संसाधनों में छोटी बचतों द्वारा ६०० करोड़ रुपये जमा होने की कल्पना की गई है ।

(ख) योजना के प्रथम दो वर्षों की कुल जमा लगभग १६९ करोड़ रुपये है।

(ग) १९६२–६३ के पृथक राज्यवार आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

बिना बारी के मकान दिया जाना

†२६३७. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री २२ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीनों में बिनाबारी के आवंटन (एलाटमेंट) की सूची के अनुसार कितने मकान दिये गये ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा सिफारिश की गई चिकित्सा प्राथमिकता के आधार पर ६२ ।

संयुक्तराष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से प्राप्त दुग्ध चूर्ण

†२६३८. **श्री रवीन्द्र वर्मा**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेंट्रल मेडिकल स्टोर्स द्वारा संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात-निधि से मुर्शिदाबाद में वितरण के लिये प्राप्त १५,००० पौंड दुग्ध चूर्ण को ढोने के लिए रखा गया ट्रक गुम हो गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ट्रक और उस पर लदे दुग्धचूर्ण का पता लगाने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** :(क) जी हां । वह ट्रक पश्चिम बंगाल सरकार के केन्द्रीय मेडिकल स्टोर डिपो द्वारा काम पर लगाया गया था।

(ख) राज्य सरकार द्वारा जांच होने तक के लिये संबंधित ट्रांसपोर्ट कम्पनी की जमानत को जड़ कर दिया गया है और बिलों की अदायगी रोक दी गई है। पुलिस की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा उत्पादन

†२६३९. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रक्षित बैंक ने गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा उत्पादन के संवर्धन के प्रयोजन के लिये अब ऋण सुविधाओं की व्यवस्था कर दी है ;

(ख) इस प्रकार कुल कितना ऋण मिला है ; और

(ग) ये सुविधायें किन चीजों के उत्पादन के लिये दी जायेंगी और उनके द्वारा किस प्रकार का उत्पादन होने की आशा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** (क) जी, हां ।

(ख) अनुसूचित बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से उधार लिये जाने का जून, १९६३ को समाप्त होने वाली तिमाही का कोटा ६६.३९ करोड़ रुपये निश्चित किया गया है। चालू मौसम में, जबकि काम बहुत है, अनुसूचित बैंकों के लिये अतिरिक्त उधार लेने की सीमा ८२ करोड़ रुपये है । इनके अतिरिक्त कुछ बैंकों को एक या दो महीनों के लिये ३८.९३ करोड़ रुपये और मंजूर किये गये हैं।

(ग) बैंकों के लिये अतिरिक्त ऋण सीमा मुख्यतः प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यक सामान अथवा आवश्यक असैनिक खपत अथवा निर्यात संवर्धन के सामान का उत्पादन करने वाले संगठनों की आवश्यकता को पूरी करने के लिये मंजूर की गई है ।

प्रोटीन सम्बन्धी आवश्यकता के लिए सोयाबीन

†२६४०. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिये अधिकाधिक सोयाबीन के प्रयोग के विचार का समर्थन करती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सोयाबीन के भारत में भोजन के मुख्य अंग के रूप में विकास एवं उसे लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख) भारत सरकार का सोयाबीन के अधिक मात्रा में प्रयोग किये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि सोयाबीन की खेती बहुत

---

†मूल अंग्रेजी में

कम होती है और मूंगफली तथा खरीफ की दालों जैसे प्रोटीनयुक्त तिलहन काफी उपलब्ध है। सोयाबीन के संबंध में विगत अनुभव भी यह बताता है कि वह अपनी विचित्र गंध के कारण भारत में लोकप्रिय खाद्य पदार्थ नहीं बन सका है।

यात्रा अभिकरण

†२६४१. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में बम्बई के एक यात्रा अभिकरण में अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा का गोलमाल पकड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस यात्रा अभिकरण का नाम क्या है और क्या यह यात्रा अभिकरण अन्य देशों में भी काम कर रहा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख) एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के कर्मचारियों ने बम्बई के एक यात्रा अभिकरण मेसर्स एयरो एजेंसीस प्राइवेट लिमिटेड और उसके सेल्स रेप्रेजेंटेटिव और उनके सहयोगी के निवास स्थान की १५ जनवरी, १९६३ को और बम्बई के अन्य यात्रा अभिकरण मेसर्स हीरप ट्रैवेल सर्विस की २८ मार्च, १९६३ को तलाशी ली थी। इन तलाशियों में कुछ कागजात पकड़े गये। उन मामलों के संबंध में जांच चल रही है। सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि ये दोनों यात्रा अभिकरण विदेशों में भी काम कर रहे हैं या नहीं।

पाकिस्तान में बह कर चले गए लकड़ी के स्लीपर

२६४२. **श्री ओंकार लाल बेरवा** :
श्री कछवाय :
श्री बूटा सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २१ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५३३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान उन लकड़ी के स्लीपरों की कीमत देने को राजी हो गया है जो हाल में बह कर उसके राज्य क्षेत्र में चले गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उन स्लीपरों की कीमत कितनी है ; और

(ग) यह रुपया कब तक प्राप्त हो जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ३१ मार्च, १९६३ तक नदियों से पाकिस्तान को बह गई लकड़ी के नीलामी द्वारा एतदर्थ निपटान के संबंध में प्रक्रिया अभी भी स्थाई सिंध कमीशन द्वारा विचाराधीन है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

'एम्पायर आफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड'

२६४३. **श्री मुरारका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "एम्पायर आफ इंडिया लाइफ एंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड" के प्रशासक ने लाला शंकरलाल तथा अन्य लोगों के विरुद्ध चलाये अभियोग में कितने रुपये फीस में दिये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किन किन लोगों को कितनी-कितनी राशि दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ६२,६८६ रुपये ।

(ख) श्री के० जी० खंडेलवाला ४०,०२८ रुपये

मैसर्स तयाब जी दाया भाई ऐंड कम्पनी (श्री पी० वी० पकवासा) २२,६५८ रुपये

"एम्पायर आफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी के लिए परिसमापक

†२६४४. **श्री मुरारका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "एम्पायर आफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी" के परिसमापक कब नियुक्त किये गये थे ;

(ख) अब तक इन परिसमापकों पर कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ग) परिसमापकों के नाम क्या हैं ; और

(घ) परिसमापन कार्रवाई कब पूरी होने की संभावना है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) "एम्पायर आफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी" के लिये कोई परिसमापक नियुक्त नहीं किया गया ।

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

चुंगी अधिकारियों द्वारा भारत-नेपाल सीमा पर तिब्बती ऊन का रोका जाना

२६४५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-नेपाल सीमा पर स्थित नौतनवा (जिला गोरखपुर) में तिब्बती ऊन से लदे हुए कई ट्रक चुंगी अधिकारियों द्वारा रोक लिये गये हैं यद्यपि वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय ने उस ऊन के आयात के लिए परमिट दे दिया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ है ; और

(ग) इस समस्या को किस प्रकार हल किया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) और (ख) नेपाल से आई० टी० सी० (आयात व्यापार नियन्त्रण) लाइसेंस के आधार पर मंगाये गये तिब्बती ऊन से लदे पांच ट्रक नौतनवा की सीमा चौकी पर रोक लिये गये थे, क्योंकि ऊन एक अनधिकृत मार्ग से, और लाइसेंस की मान्यता की अवधि समाप्त होने के बाद लाया गया था ।

(ग) अब यह ऊन बिना किसी जुर्माने या दण्ड के छोड़ दिया गया है ।

तम्बाकू की अनधिकृत खेती

†२६४६. **श्री दाजी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला कांगड़ा (पंजाब) में तहसीलवार १९६२–६३ में तम्बाकू की अनधिकृत खेती कितने मामलों का पता चला ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक मामले में कितना दण्ड दिया गया ; और

(ग) क्या उपरोक्त मामलों में वे मामले भी शामिल है, जिनमें, ऐसे लोग शामिल थे, जिन्हें पिछले पांच वर्षों में ऐसे ही मामलों में दण्ड मिल चुका है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) तहसील डेरा गोपीपुर, (जिला कांगड़ा) में तम्बाकू की अनधिकृत खेती के तीन मामले १९६२–६३ में पकड़े गये ।

(ख) दो मामलों में १०–१० रुपये का जुर्माना दिया गया और एक मामला वापिस ले लिया गया ।

(ग) जी नहीं ।

आन्ध्र प्रदेश में फाइलेरिया उन्मूलन

†२६४७. **श्री द० ब० राजू** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६३–६४ में आन्ध्र प्रदेश में फाइलेरिया उन्मूलन की योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) और (ख) अभी तक देश के किसी राज्य में फालेरिया उन्मूलन की कोई योजना तैयार नहीं की गई । तथापि राष्ट्रीय फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम १९५५ से लागू है । अनुमान है कि आन्ध्र प्रदेश में लगभग ४० लाख लोगों को फाईलेरिया का भय है । राष्ट्रीय फाईलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत ३ सर्वेक्षण और नियन्त्रण एकांश राज्य में स्थापित किये गये है । केन्द्रीय सरकार सामग्री और उपकरण, कृमि नाशक दवाइयों और अंडे नाशक दवाइयों आदि के रूप में राज्य सरकार को सहायता दे रही है । धन के रूप में दी गई सहायता इस प्रकार है :

वर्ष	रुपये
१९५५–५६	२·३७ लाख
१९५६–५७	४·५६ ,,
१९५७–५८	४·४३ ,,
१९५८–५९	१·७२ ,,
१९५९–६०	१·२७ ,,
१९६०–६१	०·१८ ,,
१९६१–६२	०·०६ ,,
१९६२–६३ (अनुमान से)	१·६२ ,,
	१६·२१ ,,

राष्ट्रीय फाईलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम के प्रस्तावित पुनर्गठन के अधीन, केन्द्रीय सरकार ने १९६३–६४ में आन्ध्र प्रदेश में राजामुन्दरी में फाईलेरिया प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का फैसला किया है ।

†मूल अंग्रेजी में

कृष्णा तथा गोदावरी के जल का वितरण

†२६४८. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामपुरे :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के एक प्रतिनिधिमण्डल ने कृष्णा और गोदावरी नदियों के जल के वितरण के सम्बन्ध में महाराष्ट्र का दावा उनके सामने प्रस्तुत किया ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**सिंचाई था विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

(ख) मामले अभी सरकार के विचाराधीन हैं ।

लघु जल विद्युत यंत्र[१]

†२६४९. **श्री हेम राज : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में किन किन स्थानों पर लघु जल यन्त्र लगाये गये हैं ;

(ख) प्रत्येक की क्षमता क्या है ; और

(ग) वे किन क्षेत्रों में काम करेंगे ?

†**सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिला में भारमौर में १५ किलोवाट का एक लघु जलयन्त्र स्थान का काम पूरा किया गया है ।

(ग) यह भारमौर को बिजली देगा ।

नार्थ तथा साउथ एवेन्यू नई दिल्ली में बन्दरों और चूहों का उत्पात

†२६५०. **श्री गो महन्ती** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजकल साउथ तथा नार्थ ऐवेन्यू, नई दिल्ली में बहुत से संसद् सदस्यों के क्वार्टरों में बन्दरों और चूहों ने उत्पात मचा रखा है ; और

(ख) इस उत्पात को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) नवाबसिंह चौहान द्वारा जुलाई, १९६२ में बन्दरों के उत्पात सम्बन्धी शिकायत को छोड़ कर, बन्दरों या चूहों के उत्पात की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, और श्री चौहान की शिकायत पर तुरन्त ध्यान दिया गया । बन्दरों को भगा दिया गया ।

(ख) उत्पात को मिटाने के लिये बन्दर पकड़ने वाले विशेषज्ञ लोगों की आवश्यकता होती है, किन्तु भरसक प्रयत्न करने के बावजूद नई दिल्ली नगरपालिका समिति ऐसे विशेषज्ञ व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त नहीं कर सकी । इस समय केवल उनको भगा दिया जाता है ।

चूहा उत्पात के सम्बन्ध में नई दिल्ली नगरपालिका समिति शिकायत प्राप्त होने पर चूहे पकड़ कर इस उत्पात को समाप्त करने की कोशिश करती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Micro Hydel Set

नये मैडिकल कालेज

†२६५१. **श्री राम हरख यादव** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ६० नवीन तथा तीसरी योजना के अन्त तक ८० नवीन मेडिकल कालेज खोलने का विचार है।

(ख) यदि हां, तो उन कालेजों में उत्तर प्रदेश का अभ्यंश कितना है ; और

(ग) इस कार्य में राज्यों का अंशदान क्या होगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) जी नहीं। तीसरी योजना अवधि में १८ नये मेडिकल कालेज खोलने का विचार है। चौथी योजना अवधि के बारे में अभी विचार नहीं किया गया।

(ख) १८ नवीन कालेजों में ४ उत्तर प्रदेश में होंगे, जिनमें से तीन, अलीगढ़, वाराणसी तथा इलाहाबाद में खोले जा चुके हैं।

(ग) मेडिकल कालेज स्थापित करने तथा वर्तमान कालेजों का विस्तार करने की योजना केन्द्रीय सहायता से चलने वाली हैं। केन्द्रीय सहायता इस प्रकार होगी।

अनावर्तक (१) उपकरण के लिये ७५% प्रत्येक के लिये अधिकतम २२५०० रुपये।

(२) इमारतों के लिये ७५% प्रत्येक के लिये अधिकतम ३७५०० रुपये।

आवनार्तक ५०% प्रत्येक के लिये अधिकतम ४००० रुपये।

आसाम के लिये उच्च शक्ति सम्पन्न बाढ़ नियंत्रण बोर्ड

†२६५२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : **क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में असम के लिये एक उच्च शक्ति सम्पन्न बाढ़ नियंत्रण बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड की ठीक रचना तथा कार्य क्या होंगे ?

†**सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख) असम में अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन विविध बाढ़ नियन्त्रण उपायों का नियन्त्रण एवं समन्वय करने की दृष्टि से, असम सरकार ने, भारत सरकार के एक सुझाव पर, राज्य के लिये एक उच्च शक्ति सम्पन्न बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड स्थापित करना स्वीकार कर लिया है। बोर्ड की रचना तथा कार्यों को अभी राज्य सरकार ने अन्तिम रूप से तय नहीं किया।

विद्यार्थियों में लिये विदेशी मुद्रा

२६५३. **श्री याज्ञिक** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में देशवार विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस काम के लिये खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा में मितव्ययता लाने का प्रयत्न किया गया है ; और

(ग) विदेशों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा देने के मामले में प्रतिबन्ध लगाने के लिये बनाये गये नवीन नियम क्या थे ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) से (ग) विदेशों में शिक्षा के लिये दी गई विदेशी मद्रा के आंकड़े तथा विदेशो मुद्रा का व्यय व्यय करने के लिये लगाये गये प्रतिबन्ध सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं। **[पुस्कालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १२७९ / ६३]** ।

फील्ड चैनल का निर्माण

२६५४. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने फील्ड चैनल बनाने का निर्णय किया है,

(ख) १९६३–६४ में कितने मील लम्बी फील्ड चैनल बनाई जायेगी; और

(ग) उपलब्ध पानी के पूर्ण उपयोग के लिए कितने मील की फील्ड चैनल बनाने की जरूरत है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

समेकित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कार्यालय

†२६५५. **श्री इम्बीचीबावा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों में समेकित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव केरल में कार्यान्वित नहीं किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां।

(ख) कुछ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टरेटों में समेकित स्वरूप प्रयोगात्मक उपाय के तौर पर चलाया गया है। प्राप्त होने वाले अनुभव के आधार पर इसका विस्तार अन्य उ०शु० कलक्टरेटों में भी किया जा रहा है। केरल में समेकित स्वरूप चालू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, विशेषकर उस राज्य में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क काम की हालत को देखते हुए उस राज्य में किस ढंग का स्वरूप लाया जाए प्रशासनिक कुशलता एंव प्रशासन लागत का मितव्ययता की दृष्टि से अधिकतम परिणाम निकलें, यह प्रश्न विचाराधीन है।

पालना

२६५६. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालने में झूलने का बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है ;

(ख) क्या सरकार ने विशेषज्ञों द्वारा इन तथ्यों की जांच कराई है ; और

(ग) सरकार ने जनता को उसकी जानकारी कराने के लिये क्या प्रयत्न किये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे यह पता चले कि पालने में झूलने का बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।

(ख) सरकार ने ऐसी कोई जांच नहीं कराई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

ग्वालियर में सोना पकड़ा जाना

२७५७. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्वालियर में १५ अप्रैल, १९६३ को एक बिजली के पंखे में छिपाया हुआ १५ तोले सोना बरामद किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सोना बाहर ले जाया जा रहा था ; और

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

राज सम्पत्ति अधिकारी की न्यायिक शक्तियां

†**२६५८. श्री काशी राम गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी भूगृहादि निष्कासन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, एक राजसम्पत्ति अधिकारी (एस्टेट आफ़िसर) को भूमि और विकास अफसर दिल्ली तथा उसके पट्टधारियों के बीच निष्कासन के मामलों का निपटारा करने की कुछ न्यायिक शक्तियां दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस अफसर को वेतन भूमि और विकास अधिकारी दिल्ली द्वारा दिया जाता है और यह सीधे उसके नियंत्रणाधीन है; और

(ग) यदि हां, तो पट्टेधारियों के हितों की रक्षा कैसे की जाती है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) अधिनियम में निष्कासन सम्बन्धी मामली का निर्णय करने की शक्तियों वाला राज सम्पत्ति अधिकारी (एस्टेट आफिसर) नियुक्त करने का उपबंध है। यह अफसर भूमि तथा विकास अफसर दिल्ली तथा उसके पट्टधारी के बीच न्यायिक ढंग से मामलों का निपटारा करता है और उसके आदेश के विरुद्ध अपील जिला जज को की जाती है।

(ख) और (ग). राजसम्पत्ति अधिकारी का वेतन भूमि और विकास कार्यालय के बजट से दिया जाता है। इस बात का कि वह भूमि और विकास अधिकारी, दिल्ली के कार्यालय से जुड़ा होता है, उन अनधिकृत लोगों के हितों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता, जिन के मामलों का निपटारा वह करता है, क्योंकि कार्रवाई न्यायिक होती है और ये लोग हमेशा उसके निर्णय के विरुद्ध जिला जज को अपील कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सिंचाई तथा बिजली बोर्ड के वरिष्ठ इंजीनियरिंग अफसर

†२६५९. **श्री द्वारकादास मंत्री :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १० अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न सख्या ८१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सिंचाई व जल बोर्ड के कितने वरिष्ठ इजीनियरिंग अफसरों ने पिछले पांच वर्षों में मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् व्यवसायिक फर्मों में नौकरी कर ली है, और किन शर्तों पर;

(ख) क्या आद्यतन सूची सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) उन में से कितने लोग दिल्ली में हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) अभी तक कोई नहीं। केन्द्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड में काम करने वाले इंजीनियर अफसर या तो बोर्ड के कर्मचारी हैं या राज्य/केन्द्रीय सरकार से बोर्ड में प्रति नियुक्ति पर आये हैं। प्रति नियुक्त अफसरों को व्यवसायिक फर्मों में नौकर होने से पूर्व संबद्ध सरकार की अनुमति प्राप्त करके अपने विभाग को वापिस जाना पड़ता हैं; किन्तु बोर्ड अपने भरती किये अफसरों को ऐसी अनुमति दे सकता है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते

व्यावसायिक फर्मों में वरिष्ठ अधिकारी

†२६६०. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या **वित्त** मंत्री १० अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ८१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) केन्द्रीय राजस्व बोर्ड, भारतीय कर तथा राजस्व सेवा के कितने वरिष्ठ अफसर पिछले पांच वर्षों में सरकार से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात व्यवसायिक फर्मों में भरती हुए हैं, और किन शर्तों पर;

(ख) क्या सभा पटल पर आद्यतन सूची रखी जायेगी; और

(ग) उन में से कौन कौन दिल्ली में हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :** (क) संभवत: वरिष्ठ अधिकारियों से माननीय सदस्य का अभिप्राय सेवा निवृत्त प्रथम श्रेणी अफसरों से है। यदि हां, तो १९५८ से १९६२ के वर्षों में, २९ अफसरों को व्यावसायिक फर्मों में नौकरी करने की अनुमति दी गई थी। तथापि सेवा निवृत्त होने के दो वर्ष पश्चात व्यावसायिक नौकरी करने के लिये सरकार की अनुमति प्राप्त करना जरूरी नहीं होता।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १२८०/६३]।**

कोलार स्वर्ण खनन उपक्रम

†२६६१. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार स्वर्ण खनन उपक्रम को चलाने के लिये इस समय कोई प्रबंध बोर्ड है; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के पदाधिकारी कौन-कौन हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख)

१. श्री मोरारजी देसाई, वित्त मंत्री	सभापति
२. श्री बलिराम भगत, वित्त उपमंत्री	उपसभापति
३. श्री एम० आर० यार्डी, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (अर्थ-कार्य विभाग)	सदस्य
४. श्री एस० एम० शिरालकर, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)	,,
५. श्री एन० एन० कश्यप, संयुक्त सचिव, खान और इंधन मंत्रालय	,,
६. श्री एन० एन० चटर्जी, संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय	,,
७. श्री के० नारायणस्वामी, मुख्य सचिव, मैसूर सरकार	,,
८. श्री एस० नानजुंदिया, उप आयुक्त, कोलार जिला, मैसुर	,,
९. श्री एफ० एन० चोलमेले, मैसर्स जान टेलर ऐंड संज के सलाहकार इंजनियर	,,
१०. श्री एम० एच० पार्थ सार्थी, प्रबंध निदेशक, कोलार स्वर्ण खनन उपक्रम	,,

कोलार स्वर्ण क्षेत्र

†२६६२. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कोलार स्वर्ण क्षेत्र में कितने सलाहकार इंजनियर हैं ;

(ख) उन में कितने विदेशी हैं; और

(ग) उन को इस समय क्या वेतन भत्ते आदि मिलते हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) कोई व्यक्ति सलाहकार इंजनियर नहीं है । मैसर्स जान टेलर ऐंड सन्ज, लन्दन, कोलार स्वर्ण खनन उपक्रम के सलाहकार इंजनियर हैं और उन के दो रैजीडेंट प्रतिनिधि कोलार स्वर्ण क्षेत्र में हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मैसर्स जान टेलर ऐंड सन्ज को प्रति वर्ष ४ लाख रुपये शुल्क दिया जाता है । इस के अतिरिक्त, क्षेत्र में उन को दो रैजीडेंट प्रतिनिधियों में प्रत्येक को रहने के क्वार्टरों के लिये, नौकर रखने के लिये तथा मोटर कारों के लिये पेट्रोल और तेल की लागत के लिये प्रति मास ३२५ रु० का भत्ता दिया जाता है ।

कोलार स्वर्ण क्षेत्र का अस्पताल

†२६६३. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलार सोना क्षेत्र अस्पताल में बाहरी रोगियों का वार्ड बनाने के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) निर्माण की अनुमानित लागत क्या होगी ; और

(ग) अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) बाहरी रोगियों के वार्ड का निर्माण अभी आरम्भ नहीं किया गया ।

(ख) ५ लाख रुपये ।

(ग) शून्य ।

कोलार स्वर्ण खानें

†२६६४. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलार स्वर्ण खानों में कर्मकार का वर्तमान प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या है;

(ख) प्रति व्यक्ति उत्पादन लागत क्या है; और

(ग) कोलार स्वर्ण खानों में इस समय कर्मकार, सुपरवाइजर और अफसर की औसत मासिक आय कितनी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) एक कर्मचारी की प्रति मास ३.१ मीट्रिक टन अयस्क ।

(ख) प्रति व्यक्ति लागत लगभग मासिक है २६२ रुपये ।

(ग)

कर्मचारी .	१२४ रुपये मासिक
सुपरवाइजर	२६९ रुपये मासिक
अफसर	११७१ रुपये मासिक

केरल समुद्र कटाव रोकथाम परियोजनायें

†२६६५. **श्री वासुदेवन नायर** :
श्री वारियर :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने समुद्र कटाव रोधक परियोजनाओं के लिये १९६२–६३ में केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस मामले में केन्द्रीय सरकार का निर्णय क्या है ?

†**सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). केरल राज्य के लिये १९६२–६३ के लिये समुद्र कटाव रोधक तथा बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये ८० लाख रुपये की वित्तीय सहायता के आवंटन में से, जनवरी १९६३ में ११२.५५ लाख रुपये के ऋण की प्रार्थना प्राप्त हुई थी। १९६२–६३ के लिये वास्तव में मंजूर किये गये ऋणों को ८० लाख रुपये की बजट व्यवस्था के अन्दर रखना था।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोटा में अफीम की खेती

२६६६. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा (राजस्थान) के कुछ भागों में अफीम की बड़े पैमाने पर खेती होती है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपज बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) उपज बढ़ाने के लिये तीसरी योजना में कितनी राशि मंज़र की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):(क) जी हां।

(ख) अफीम की खेती, दवाओं और वैज्ञानिक कामों के लिए, इसकी अन्तर्राष्ट्रीय मांग के आधार पर की जाती है।

(ग) यह मद आयोजना में शामिल नहीं है।

रूसी डाक्टर द्वारा हृदय का आपरेशन

२६६७. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस के एक डाक्टर श्री बी० बी० पैट्रोबस्की ने हाल में दिल्ली में भारतीय डाक्टरों के समक्ष हृदय के एक जटिल आपरेशन का प्रदर्शन किया था; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने अन्य कौन से रोगों के बारे में हमारे डाक्टरों को विस्तृत जानकारी दी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). जी हां। प्रोफेसर पैट्रोवस्की ने १७ अप्रैल, १९६३ को सफदरजंग अस्पताल में एक रोगी का माइट्रल स्टेनोसिस विथ आरीक्यूलर फाइब्रिलेशन का आपरेशन किया। यह आपरेशन जटिल नहीं है। उन्होंने सफदरजंग अस्पताल में डाक्टरों को कोई भाषण नहीं दिया।

मकानों के लिये नियत धन का अन्यत्र उपयोग

†२६६९. **श्री हरि विष्णु कामत** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री १८ अप्रैल १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास योजना का नियतन किसी अन्य राज्य द्वारा अन्य परियोजनाओं के लिये दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों द्वारा ; और

(ग) किन परियोजनाओं या कार्यों के लिये ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग). राज्य सरकारों से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली कैनल क्लब

†२६७०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या दिल्ली कैनल क्लब ने सरकार से प्रार्थना की है कि वह अन्धे लोगों के लिये "सीइंग आईडाग्ज़" के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिये क्लब की सहायता करे ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्लब ने इस काम के लिये कोई विशद योजना भेजी है ; और

(ग) इस अपील के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) स्वास्थ्य मंत्रालय में ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक

†२६७१. **श्री राम सेवक यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षकों के पदों के लिये १९६२ में इलाहाबाद क्लेक्ट्रेट में कितनी रिक्त असामियां हुईं ;

(ख) १९६२ में कितने रिक्त स्थान भरे गये ;

(ग) १९६२ की तालिका में से कितने अग्रतर श्रेणी के अभ्यर्थियों को १९६२ में निरीक्षक के तौर पर नियुक्ति मिली ;

(घ) पुनर्वास विभाग के कितने छंटनीकृत लोगों को इन पदों पर लगाया गया ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) २१ ।

(ख) १८ ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) कोई नहीं ।

(ङ) अग्रतर श्रेणी के अभ्यर्थी, जिन में पुनर्वास विभाग के छंटनीकृत कर्मचारी शामिल हैं, सीधी भरती अभ्यंश में ही भरती के लिये अर्ह हैं । सीधी भरती के ३ रिक्त स्थान हैं और वे अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति द्वारा भरे गये क्योंकि पद उनके लिये आरक्षित थे ।

भारत में नेत्र दान

२६७२. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अनेक व्यक्तियों ने अपने नेत्र दान किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने व्यक्तियों ने अपने नेत्र दान किए हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Delhi Kennel Club.

समवायों की आय

†२६७३. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ से १९६१–६२ तक वर्षवार भारत में समवायों की कुल आंकित आय कितनी है ;

(ख) प्रति वर्ष अधिकारियों के लाभांश कर कर समेत कुल कितना कर दिया गया ; और

(ग) वर्षवार कर भुगतान के पश्चात् उक्त समवायों की कुल आय कितनी थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १२८१ । ६३]**

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव :** मुझे राज्य सभा सचिव, से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य सभा, लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत हो गई है कि वह १ मई, १९६३ से आरम्भ होकर ३० अप्रैल, १९६४ को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक-सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के हेतु राज्य सभा के सात सदस्यों को मनोनित करे और उसने समिति के लिए निर्वाचित किये गये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम भेजे हैं :—

१ श्रीमती के० भारती
२ श्री नवाब सिंह चौहान
३ श्रीमती माया देवी छेत्री
४ श्री बी० डी० खोबरगड़े
५ श्री दया भाई वि० पटेल
६ श्री एस० डी० पाटिल
७ श्री सादिक अली

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

†**श्री बालकृष्णन :** (कोइलपट्टी) : मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य के विलम्बन की समाप्ति के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : १ मई, १९६३ को श्री रामचन्द्र विट्ठल बड़े द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार :—

"कि १३ अप्रैल, १९६३, को स्वीकार किये गये संकलप द्वारा (श्री हुकम चन्द कछवाय के विरुद्ध किये गये विलम्बन आदेश को समाप्त कर दिया जाय ।"

†**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) : मैं तीन आधारों पर उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं एक यह कि प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता ने समस्त दल की ओर से खेद प्रकट किया है ; दूसरे, सम्बद्ध सदस्य स्वयं उस घटना के पश्चात आप के पास आये और उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसा केवल उत्तेजना में आकर किया ; तीसरे, सम्बद्ध सदस्य ने आप को पत्र लिखा कि उन्होंने उत्तेजना में आ कर ऐसा किया था और कि उन्हें उसके लिए खेद है ।

माननीय सदस्य ने यह शब्द लिखे हैं कि 'मुझे खेद है' । अब हमें उन शब्दों का विश्लेषण कर के देखना है कि उन शब्दों के क्या अर्थ निकल सकते हैं । इन शब्दों का एक अर्थ यह निकल सकता है कि सदस्य ने अपनी गलती को महसूस कर के खुले तौर पर उस के लिये खेद प्रकट किया है ; दूसरे यह कि वह मानते हैं कि उन्हों ने गलती की परन्तु उस के लिए वह माफी मांगने की आवश्यकता नहीं समझते ; और तीसरे यह कि सदस्य महोदय मानते हैं कि उन्हों ने गलती की और वह यह भी समझते हैं कि उन्हें इस के लिए माफी मांगनी चाहिये, परन्तु वह कु छ एक बाहय् कारणों से माफी मांगना नहीं चाहते ।

मैं समझता हूं कि उन शब्दों में यह अभी भी विदित है कि उन्हों ने मांफी मांगी है जो खुले तौर पर उन्हों ने ऐसा नहीं किया । इसलिये हमारे लिए उचित मार्ग यही होगा कि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और खुले आम माफी के लिये आग्रह न करें ।

†**श्री खाडिलकर** (खेड़) : मैं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में न जाता हुआ यह समझता हूं कि उस दिन माननीय सदस्य का आचरण अत्यन्त खेदजनक था । उन्हों ने बहुत गन्दी भाषा का प्रयोग किया (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : इस प्रकार की बातें रिकार्ड में नहीं हैं । (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : माननीय सदस्य ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं जिन का उच्चारण नहीं किया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हो सकता है कि उस दिन के आचरण को देख कर माननीय सदस्य ने यह निष्कर्ष निकाला हो । वह जो कहना चाहते हैं कहने दीजिये ।

†**श्री नाथ पाई** : माननीय सदस्य ने ऐसे हावभाव किये थे जो संसद् की गरिमा के स्तर की दृष्टि से ठीक नही थे, यह हम रिकार्ड में भी देख सकते हैं, परन्तु श्री खाडिलकर का यह कहना कि उन्हों ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया सर्वथा गलत है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बारे में मैं अपनी कोई राय नहीं देना चाहता कि उन्हों ने क्या कहा था । श्री नाथ पाई बता सकतें हैं कि उन्हों ने क्या कहा था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथ पाई** : उन्होंने बड़ी जोशीली आवाज़ में कहा था, "सभापति जी यह क्या हो रहा है, बाहर चलिए । प्रधान मंत्री जी यह क्या हो रहा है ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री बड़े का कहना है कि यदि सभा एक मत न हो तो वह अपना प्रस्ताव वापिस ले लेंगे ।

†**श्री बड़े** : मुझे अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाय ।

†**श्री नाथ पाई** : इस मामले में सदन के नेता की राय का पता लगना चाहिये । यदि वह इस क्षमा याचना को काफी न समझें तो इस पर विचार किया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने कहा है कि––उत्तेजना में मैंने जो कुछ कहा उस के लिए मुझे खेद है । ये शब्द सदन के सामने हैं । हाऊस यह देखे कि यह सफीशेंट एपालाजी है या नहीं । मैं ने कल भी कहा था । आज फिर श्री कपूरसिंह की इनफारमेशन के लिए बतला देना चाहता हूं कि जब उनके लीडर साहब यानी श्री त्रिवेदी मेरे पास आये थे मैं ने साफ तौर पर कहा था कि बिना शर्त क्षमा याचना की जानी चाहिये ।

†**प्रधान मंत्री तथा सदन के नेता (श्री जवाहर लाल नेहरू)**: बड़ा सरल सा मामला है, यद्यपि बड़ा खेदजनक है । यह तो सब ही मानेंगे कि माननीय सदस्य का व्यवहार खेदजनक था । परन्तु यदि वह क्षमा याचना करते हैं तो सदन को इसे तूल नहीं देना चाहिये । इस मामले में प्रतिहिंसाकी भावना से काम नहीं लेना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, सारे सदन को तो इस पर विचार करने की जरूरत भी नहीं । आप माननीय सदस्य से बातचीत करके फैसला कर सकते हैं ।

श्री त्यागी (देहरादून) "खेद" के माने हाऊस में साफ तरीके से नहीं आये हैं । खेद के माने अफसोस के हैं, रिग्रेट के हैं और पश्चाताप के मिले हुए हैं । खेद के माने एक तरीके से एपौलोजी के भी होते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय**: हाऊस की मंशा यही है कि मैं उन से मिल कर अपने आप फैसला कर लूं ।

संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक १९६३

†**अध्यक्ष महोदय** : अब विधि मंत्री संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करेंगे ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रुप में विचार किया जाय ।"

यह विधेयक राष्ट्रीय एकता समिति की सिफारिश के अनुसार प्रस्तुत किया गया है । श्री सी० पी० राम स्वामी अय्यर उस के सभापति थे । उनका कहना था कि अनुच्छेद १९ में संशोधन किया जाय । इस का उद्देश्य यही था कि देश को और आगे विभाजित करने से बचाया जाय । और ऐसे दलों की गति विधियों पर रोक लगाई जाय जोकि देश में तोड़ फोड़ का काम कर रहे हैं । अनुच्छेद १९(२) तथा १९ (४) संसद् को यह अधिकार नहीं देते कि देश की सार्वभौमिकता तथा एकता

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

की दृष्टि से किसी पर कोई रोक लगाई जाय। अतः उसमें कुछ और जोड़ देने की आवश्यकता है। इस प्रकार पृथकता के विषयों चुनावों में भी ले लिया जाता है। लोगों की क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक तथा भाषायी भावनाओं को भड़काया जाता है।

इस संशोधन के बाद ऐसे सभी दलों और लोगों की गतिविधियों के लिये उन्हें समुचित सजा दी जायेगी। हम चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिये यह अनिवार्य कर रहे हैं कि वह देश की सार्वभौमिकता तथा एकता को हानि पहुंचाने वाली कोई बात नहीं करेगा। इसके लिए उसे विधेयक के खण्ड ५ के अन्तर्गत शपथ लेनी होगी। इसे संयुक्त समिति के सुपुर्द किया गया था, अतः इसे तो बिना मतविभाजन के ही पारित कर दिया जाना चाहिये। ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर कोई विपत्ति की जा सके। चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार का यह प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह अपने देश के प्रति वफादार हो और उस की एकता का ध्यान रखे।

सचमुच यह खेद की बात है कि आज जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सबसे बड़े खतरे का मुकाबला कर रहा है तब ऐसी भी देश में गतिविधियां चल रही हैं जो देश की एकता और सुरक्षा के विरुद्ध जाती हैं। स्थानीय, साम्प्रदायिक, भाषायी तथा अन्य कुछ ऐसे मामले ले कर लोगों की भावनाओं को भड़का दिया जाता है। और चुनावों में लाभ उठाने का यत्न किया जाता है। आज समस्त देश का कर्तव्य है कि राष्ट्र की एकता तथा सुरक्षा का एक मत हो कर मुकाबला किया जाय। जो भी व्यक्ति इस के विरुद्ध चलले उस का एक मत हो कर मुकाबला किया जाय। अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रताव को एक मत से स्वीकार किया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री सेझियान** (पेरम्बलूर) : मेरा संशोधन है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं तथा उस पर भाषण भी कर सकते हैं।

†**श्री सेझियान** : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि वाद विवाद को स्थगित कर दिया जाय। क्योंकि आज के आपात में इस पर विचार नहीं होना चाहिये। इसे किसी अगली तिथि पर डाला जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस संशोधन को इसी समय मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक १९६३ पर वाद विवाद स्थगित किया जाय।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता केन्द्रीय) : हमने इस विधान का पूरी तरह समर्थन किया है। संयुक्त समिति में भी इसके पक्ष में मत दिया है। इस पर भी मेरा मत यह है कि जो भी शक्तियां देश में तोड़ फोड़ कर रही हैं, उनके मुकाबले के लिए इस संशोधन विधेयक के अतिरिक्त अन्य साधनों से भी काम लिया जा सकता है और देश की एकता की रक्षा की जा सकती है। इसके अति-

---

†मूल अंग्रेजी में

रिक्त इस संशोधन विधेयक के विरुद्ध कुछ तकनीकी आपत्तियां भी हो सकती हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं। इस पर विधि मंत्रालय से एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ने एक पुस्तिका लिख कर प्रकाश डाला है। उसमें बहुत सी व्यवहारिक कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया गया है और विधि की दृष्टि से उस पर विचार किया गया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस दृष्टि से इस विधेयक पर और इस समस्या पर विचार करें।

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी बातों की ओर भी श्री कामत ने ध्यान दिलाया है जिन्हें शिष्ट नहीं कहा जा सकता। शपथ इत्यादि लेने का मामला उचित नहीं समझा जा सकता। मेरे विचार में जिस उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, दि उद्देश्य वही है तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में थोड़ा परिवर्तन करके इसे प्राप्त किया जा सकता था। संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। इस संशोधन विधेयक के पारित होने से तो व्यवस्था यह हो जायेगी कि किसी मंत्री के लिये भी संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक प्रस्तुत करना असम्भव हो जायेगा। हमने कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार किये हैं, यदि यह विधेयक पारित हो गया तो उन्हें भी कार्यान्वित करना बड़ा कठिन होगा। हम तो इस विधेयक का इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि देश की सार्वभौमिकता और एकता पर हमें पूर्ण विश्वास है। खेद है इस देश में ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस की अखण्डता में विश्वास नहीं रखते।

हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हर बात कानून से करना उचित नहीं है। देश की एकता के बारे में हमें लोगों को प्रेम से समझाना है। उत्तर दक्षिण सभी इस देश का एक जैसा अंग है। चार शताब्दी ई० पू० विष्णु पुराण में लिखा गया था :—

"उत्तरं यत् समुद्रस्य
हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं
वर्षम् तद् भारत नाम
भारती यत्र सन्तति।

सागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में भारत देश है और इस देश की सन्तति भारतीय कहलाती है। यह परम्परा से, पुरातन काल से चली आ रही भारत की धारणा है। हम पूजा करते समय समस्त देश की नदियों का आह्वान करते हैं। दक्षिण और भारत की नदियों को एक ही मानते हैं :—

गंगे च यमुने चैव गोदावरी, सरस्वति।
नर्मदे सिन्धों कावेरि, जलेस्मिन् सन्निधि कुरु॥

यह है हमारे देश का संयुक्त स्वरूप जिसका उल्लेख हमारे धार्मिक ग्रंथों में स्थान स्थान पर आया है। देश के सन्तों ने देश की इस एकता को पैदा करने में बहुत अधिक भाग लिया है। हम अपने देश के तत्वज्ञान पर गौरव कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि उत्तर और दक्षिण की भावना उत्पन्न करना ठीक नहीं है। साथ ही यह भी सत्य है कि कानून के द्वारा एकता का निर्माण नहीं हो सकेगा।

देश हमारा है, हमें इसके प्रति श्रद्धा और भक्ति है। संविधान में शपथ की व्यवस्था कर देने से ही हमारी देश के प्रति अधिक वफादारी हो जायेगी? अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि उन्हें ये समस्यायें मानवीय दृष्टिकोण से हल करने का यत्न करना चाहिये।

†श्री खाडिलकर (खेड़) : मैं श्री ही० ना० मुकर्जी के मत से कुछ अंशों तक सहमत हूं। जब देश भर में भाषा विवाद भीषण रूप कर उठा, और भयंकर घटनायें हो गयीं तो राष्ट्रीय एकता सम्मेलन

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खांडिलकर]

बुलाया गया। देश में स्थान स्थान पर आंदोलन हुये, पृथकता की भावना ने उग्र रूप धारण किया। देश की एकता को खतरा स्पष्ट दिखाई देने लगा। हमारी सरकार ने इसका इलाज यह समझा कि कानून बनाये जायें और संविधान में संशोधन किया जाय।

देश की विभिन्नता में एकता का निर्माण करने के लिये ही हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे संघ राज्य का रूप दिया था। और धर्म निरपेक्षता का आधार रखा था। छोटे मोटे मतभेद तो लोकतंत्रीय देशों में होते ही हैं। परन्तु लोकतंत्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लेने के पश्चात्, एक बात तो स्पष्ट हो जानी चाहिये कि हमें नये दृष्टिकोण से काम करने की आदत डालनी चाहिये ? संविधान में संशोधन करने से इस समस्या का हल नहीं होना चाहिये। यदि हम चाहें तो एक समिति नियुक्त कर दी जानी चाहिये और वह गत १५ वर्षों के अनुभव पर विचार कर जो भी तबदीलियां करनी चाहें कर दें। और उसके लिये एक ही बार में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत कर दिया जाय। हमें बिना सोचे समझे किसी आंदोलन तथा मांग को राष्ट्र विरोधी नहीं घोषित कर देना चाहिये। हर बात का व्यावहारिक तथा यथार्थता के दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाना चाहिये।

यद्यपि मैं विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु मेरा मत यह है कि भावात्मक एकता निर्माण करने का यह साधन कदापि नहीं है। आज की विकसित हो रही अर्थ व्यवस्था में यदि कुछ इधर उधर के मतभेद उभर आये तो इसे देश की एकता के लिये खतरा नहीं समझ लिया जाना चाहिये।

†**श्री सेझियान** : इस विधेयक द्वारा संविधान में संशोधन करके लोगों को मूलभूत अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और पृथकता का मुकाबला करने के लिये वैधानिक व्यवस्था की जा रही है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये।]

इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि पूर्ण स्वतंत्रता तो किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। इससे समाज को खतरा हो सकता है। समाज और व्यक्ति के अधिकारों में एक उचित तथा व्यावहारिक समन्वय होना चाहिये। परन्तु इसका यह मतलब कभी भी नहीं लिया जाना चाहिये कि सरकार लोगों को उनको उनके मूलभत अधिकारों से ही वंचित कर दे। इस बात को भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पदासीन दल को इसे नष्ट करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। जैसा कि अनुच्छेद ३६८ में संशोधन करके किया जा रहा है। हमें इसके प्रति सचेत रहना चाहिये। हमारी सरकार के आगे तनिक कठिनाई आती है तो संविधान में संशोधन होना आरम्भ हो जाता है। अन्य लोकतंत्रीय देशों में ऐसा कदापि नहीं किया जाता। बहुमत के बल पर जन अधिकारों को छीनना अच्छा नहीं कहा जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण बना रहना चाहिये। ऐसा लगता है कि सरकार संविधान के अन्तर्गत नहीं है, संविधान पदासीन दल के अन्तर्गत चलता है। देश के महत्वपूर्ण मामलों पर राय व्यक्त करने का अधिकार सब को होना चाहिये।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पदासीन दल के सदस्यों को शक्ति से अपनी बात लोगों से हीं मनवानी चाहिये। हमें लोकतंत्र में विश्वास कर साहस से अपनी बात कहनी चाहिये यह अधिकार तो लोगों का है कि वह अच्छे और बुरे में भेद कर सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

ऐसा अधिनियम बनाने की बजाये, हमें लोगों में प्रचार कर के उन्हें मनवाना चाहिये। १९४५ में एक प्रजातंत्रात्मक नेता होने के नाते, श्री नेहरू ने कहा था कि यदि भारत के किसी भाग ने पृथक होने की मांग की, कांग्रेस उन्हें समझाने की कोशिश करेगी किन्तु जहां पर संभव न हो, तो वह आज्ञा दे देगी। किन्तु १९६३ में प्रधान मंत्री होते हुये हम क्या देख रहे हैं : मूल अधिकारों को कम किया जा रहा है, अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य दबाया जा रहा है।

बेरुबारी के मामले में भारत संघ ने अभ्यर्पण किया था। उच्चतम न्यायालय ने अपनी राय देते हुये कहा था कि प्रभुसत्ता में अर्जित करने और अभ्यर्पण करने की शक्ति भी सम्मिलित है।

अब हम एकता के प्रश्न को लेते हैं। इस संबंध में यह याद रखना चाहिये कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, जिस में विभिन्न संस्कृतियां, इतिहास, वंश, भाषायें और राष्ट्रीयतायें हैं। जब तक इस बात को न माना जाये, कोई प्रगति नहीं हो सकती।

इस विधेयक को संविधान—सोलहवां संशोधन—विधेयक कहा गया है, किन्तु समाचारपत्रों में इसे डी० एम० के० विरोधी विधेयक कहा जाता है। और यह ख्याल जोर पकड़ रहा है। सत्तारूढ़ दल ने इतनी गलतियां की हैं कि एक सजग जनता के द्वारा इसे हटा दिया जाना चाहिये। उसको यह समझाना चाहिये कि इस की शक्ति ऐसी नहीं है, जिसे तोड़ा न जा सके। यदि वह इस प्रकार संविधान को संशोधित करता रहा, तो इसे कोई चीज बचा नहीं सकती।

कानूनी दमन से हमें दबाया नहीं जा सकेगा। राजनीतिक अभिव्यक्ति को, चाहे वह सत्तारुढ़ दल के लिये कितनी ही अरूचिकर क्यों न हो, समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि नवयुवक और युवतियां इन सिद्धांतों के लिये लड़ते रहेंगे। ऐसे कानून राष्ट्रीय एकता के नाम में लाये जा रहे हैं, किन्तु इनसे कोई लाभ नहीं होगा। यह बिल्कुल व्यर्थ हैं। इसलिये जिस तरह आप अपने विचारों में विश्वास करते हैं, तो हमें भी अपने विचारों में विश्वास करने दीजिये। इस प्रश्न पर हमारे साथ बहस करें और हमें मनवायें, यदि हमें मनवाने में आप असफल रहते हैं, तो जनता से सम्पर्क कीजिये और उन्हें मनवाइये, वास्तविक प्रजातंत्र यही है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : किसी सदस्य का यह कहना कि भारत में दो भावनायें हैं—उत्तरी भागों के लोगों की भावनायें और दक्षिण भारत के लोगों की भावनायें, देश के लिये बहुत हानिकर हैं। देश में केवल एक ही भावना है और वह है भारतीय भावना और हम इस भावना पर कायम हैं।

इस समय प्रश्न भारत की एकता और प्रभुत्ता का है और इस विषय पर दो रायें नहीं हो सकतीं, क्योंकि यह मूलभूत प्रश्न है। यदि भारत की प्रभुता और एकता कायम न रहे और अलग होने की प्रवृत्तियां दिखाई देने लगें, तो हमारे डी० एम० के० के मित्र कहां होंगे और अनेकों सूबों की मांग करने वाले व्यक्ति वहां होंगे। यदि भारत ही न रहा, तो डी० एम० के० या अमुक सूबा भी नहीं रहे गा। मैं समझता हूं कि सरकार ने इस समय यह विधेयक ला कर बिल्कुल उचित काम किया है क्योंकि हमें न केवल बाहर से बल्कि अन्दर से भी खतरा है। क्या यह भूला जा सकता है कि देश में ऐसे लोग हैं जो चीनियों के पक्ष में हैं और चीनी सेना को आजाद करवाने वाली सेना समझते हैं। भारत की एकता और प्रभुता को चुनौती दी गई है इसलिये यह विधेयक ठीक समय पर आया है। मैं मानता हूं कि डी० एम० के० के मित्रों ने प्रतिरक्षा के लिये अपना योगदान दिया है, किन्तु उन्हें तमिलनाड के भारत से अलग करने की मांग छोड़ देनी चाहिये। भारत की एकता और प्रभुता एक ऐसी चीज है, जिस से खेला नहीं जा सकता या इसे किसी और चीज के बदले में नहीं दिया जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

इस विधेयक में हमें जो शपथ लेने के लिये कहा गया है, उस में कोई हानि नहीं है और यह हमारी भारतीय संस्कृति तथा विचार धारा के अनुकूल है ।

हमें साम्प्रदायिक या प्रादेशिक भावनायें जागृत नहीं करनी चाहियें ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जायेगा ।

†**श्री सुब्बारामन** (मदुरै) : यह संशोधन विधेयक वियोजन की प्रवृत्तियों को रोकने के लिये लाया गया है । हमें खेद है और हमें मानना पड़ेगा कि प्रदेश, भाषा आदि के नाम पर ऐसी प्रवृत्तियां चल रही हैं । धर्म के नाम पर हमें इसे वियोजन का कटु अनुभव है । और १५ वर्षों के बाद भी पाकिस्तान और भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं । विभाजन से लाखों लोगों की मृत्यु और आने जाने से जो कष्ट उठाने पड़े थे, उन्हें अभी तक भूला नहीं जा सकता । देश के किसी भाग के अलग होने का विचार करते समय इन सब बातों को याद रखना चाहिये ।

भारत एक है । यद्यपि यहां भिन्न भिन्न भाषायें, परम्परायें आदि हैं, बुनियादी तौर पर यह एक है । कई शताब्दियां पूर्व इसमें विभिन्न राजनीतिक एकक थे, किन्तु अंग्रेजों के बाद, सब एक केन्द्रीय सरकार के नीचे आ गये हैं । हमें इसका लाभ उठाना चाहिये । दुनियां तंग होती जा रही है और एक विश्व का विचार जोर पकड़ रहा है । ऐसी परिस्थितियों में अलग होने का कोई विचार नहीं होना चाहिये । देश का विकास तेजी से हो रहा है और एक नये भारत का निर्माण हो रहा है । इस लिये वियोजन के विचार को समय पर दबाना चाहिये । यदि हम एक हों, तो प्रगति और भी तेज हो सकती है ।

चीनी आक्रमण के बाद पृथक होने की भावना समाप्त हो गई है और एकता की भावना आ गई है, किन्तु इस भावना को स्थाई रूप देना चाहिये ।

देश के कुछ भागों में यह भावना है कि उनकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा और उनको दबाया जा रहा है । इस भावना का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं और प्रत्येक राज्य में विधानमंडल हैं । यदि आंकड़े आदि देखे जायें, तो इस भावना का कोई औचित्य नहीं है कि तमिलनाड की उपेक्षा की जा रही है । यह किसी भी पहलू से किसी अन्य राज्य से पीछे नहीं है ।

डी० एम० के० दल के प्रतिनिधि ने कहा है कि एक समय पर प्रधान मंत्री ने पृथक होने की मांग को स्वीकार कर लिया था । किन्तु हमें अपने अनुभव से लाभ उठाना चाहिये । हमें देखना चाहिये कि जब हमने देश के एक भाग को अलग होने दिया था और एक पृथक राज्य बनने दिया था, तो उसका क्या परिणाम निकला था । लाखों लोगों को कष्ट उठाना पड़ा, फिर भी समस्या हल नहीं हुई । तमिलनाड की किसी प्रकार उपेक्षा नहीं हुई । हम भी डी० एम० के० के प्रतिनिधियों की तरह सरकार से उचित भाग और अधिकार लेना चाहते हैं । इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का स्वागत करता हूं ।

†**श्री नरसिंहा रेड्डी** (राजमपेट) : मैं श्री हीरेन मुकर्जी के इन उच्च विचारों से पूर्णतया सहमत हूं कि देश में कोई उत्तर या दक्षिण नहीं है और सारा देश हिमालय से कन्या कुमारी तक जिसमें इतनी पवित्र नदियां हैं, जिसका उल्लेख वेदों और पुराणों में भी

---

†मूल अंग्रेजी में

है, एक है। यह एकता कागज के अधिनियम बनाने से नहीं पैदा हुई, पारस्परिक सहिष्णुता और दायित्वों से पैदा हुई है। मैं श्री खाडिलकर से भी सहमत हूं कि संविधान में छोटे छोटे संशोधन नहीं करने चाहिये और इस प्रयोजन के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिये।

मैं उन लोगों के सहमत नहीं हूं जो दक्षिण में एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं और न ही मैं चाहता हूं कि हमारा देश चीनी या रूसी साम्यवाद पर निर्भर रहे। राज्य-क्षेत्रातीत निष्ठा और आदर्शवाद उतना ही खतरनाक है, जितना कि पृथकवाद की विचारधारा। देश में एकता न होने के कारण इस पर हमले होते रहे हैं और हम इनका शिकार होते रहे हैं। अब १३ वर्ष की अवधि में न केवल पृथक्करण की आवाज़ उठाई जा रही है बल्कि वियोजन की शक्तियां भी अपना सिर उठा रही हैं।

चीनी आक्रमण हमारे लिए एक छुपा हुआ वरदान सिद्ध हुआ है और इससे वे लोग जो चीन की प्रशंसा किया करते थे अब एकमत से उसकी निन्दा करते हैं और वे सब लोग पंडित नेहरू के नेतृत्व में इकट्ठे हो गये हैं। इसके अतिरिक्त आपातकाल को देखते हुए लगभग सभी लोगों ने पृथकवाद की आवाज उठाना बन्द कर दिया है। इसलिए मेरी राय है कि सरकार को इस विधेयक के मामले में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिये थी, बल्कि इसे निलम्बित रखती, विशेषकर इस समय जबकि सब परस्पर विरोधी तत्वों ने एकमत हो कर चीनी आक्रमणकारियों का मुकाबला करने की ठान ली है यह विधेयक जिसे संविधान का सोलहवां संशोधन विधेयक कहा जाता है, मद्रास में डी० एम० के० विरोधी विधेयक कहा जाता है। दुर्भाग्य से अब डी० एम० के० पर मद्रास की कांग्रेस सरकार के क्रोध का शिकार हो गई है। इसलिए मद्रास के कांग्रेस नेता इस प्रकार का उपबन्ध रखने के लिए उत्सुक थे, जिस से कि उनका गिरता हुआ उत्साह बढ़ सके। इस बात का कोई लाभ नहीं कि केवल डी० एम० के० के लोगों को वियोजन का दोषी ठहराया जाये। मेरे विचार में वह दिन जब कि सरकार ने भाषावाद प्रांत बनाने का निर्णय किया था वह हमारे देश के इतिहास में एक काला दिन था, क्योंकि इससे हमारे देश की एकता समाप्त हो गई है और वियोजन की स्थाई प्रवृत्तियां बन गई हैं।

हमें सोचना चाहिये कि क्या डी० एम० के० वास्तव में इतनी खतरनाक चीज है जिसके कारण ऐसा संशोधन लाना पड़े। वह संस्था केवल श्री कामराज को तंग करने के लिए है और उससे कोई खतरा नहीं है।

इसलिए मैं विधि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक को वापस ले लें।

†**श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा** (खम्मम) : यह सच है कि सामान्य खतरे के सामने देश के सब भागों के लोग एक हो गये हैं और सबने प्रतिरक्षा में योगदान दिया है।

मैं श्री मुकर्जी और श्री खाडिलकर से सहमत हूं कि यह काम केवल विधान बनाने से नहीं हो सकता, किन्तु विधान भी आवश्यक है, विदेशी शासन के विरुद्ध देश ने एक होकर मुकाबला किया था, किन्तु आज़ादी के बाद अब कुछ त्रुटियां आ गई हैं। जातिवाद और अन्य शक्तियां वियोजन की दिशा में काम कर रही हैं। जैसा कि श्री नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है राज्यों के बीच (सीमाओं) नदियों के पानी, जलविद्युत् योजनाओं के कारण कुछ हद तक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। इसलिए राष्ट्रीय एकता को खतरे से बचाने के लिए ऐसा कदम उठाना आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता को स्थाई आधार पर स्थापित करना पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा]

संसद् में देखा गया है कि विभिन्न राज्यों के सदस्य अपने अपने राज्य की वकालत करते हैं। हमें एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और हर एक समस्या को राज्य या प्रदेश के आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय आधार पर हल करना चाहिए।

राष्ट्रीय एकता नर्सरी स्कूलों में आरम्भ होनी चाहिए। मातृभाषा के अतिरिक्त कोई एक और भाषा भी प्रारम्भिक या सेकेण्डरी अवस्था में पढ़ाई जानी चाहिए। पाठ्यपुस्तकें अच्छी होनी चाहिए। भारत का सांस्कृतिक इतिहास पाठशालाओं में पढ़ाना चाहिए।

२८ अप्रैल के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के रविवारीय संस्करण में "टैम्परिंग टैक्जज" लेख जैसे लेखों से हिन्दी को हानि होती है।

राष्ट्रीय एकता के विरोधी तत्वों जैसा कि जातिवाद आदि को दूर करना चाहिए। जो कार्यवाइयां देश की एकता को हानि पहुंचाती हैं उन्हें कठोरता से दबा देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करती हूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगावाद): देश में एकता कायम रखने के लिए विधान ही जरूरी नहीं है। उचित वायुमण्डल पैदा किया जाना चाहिए। सरकार ने क्या कदम उठाए हैं कि देश में विघटनकारी शक्तियां दबी रहें।

डी० एम० के० क्या है। डी० एम० के० गलत रास्ते पर हैं। मद्रास में यह क्या चीज है। डी० के० की औलाद है। मद्रास में कांग्रेस दल जिसके नेता श्री कामराज को डी० के० दल का समर्थन प्राप्त है। उसकी सहायता से उन्होंने निर्वाचन में कई क्षेत्रों में विजय प्राप्त की। मद्रास के कांग्रेस दल के नेता कैसे कह सकते हैं कि हम ने उन शक्तियों को प्रोत्साहन नहीं दिया जिनको अब हम दबाना चाहते हैं। मैं विधि मंत्री को बताना चाहता हूं कि किस तरह से उनकी कार्यवाइयों का उन पर ही प्रभाव पड़ा। अब कांग्रेस दल संविधान के अनुच्छेद १९ का संशोधन करना चाहता है।

संविधान के अनुच्छेद १९ में की गई स्वाधीनताओं पर संविधान में पहले ही प्रतिबन्ध लगाए गए हैं। उस सूची में अब "भारत की सार्वभौमिकता तथा अखण्डता" भी जोड़े जा रहे हैं। इस बात से सभी सहमत हैं कि देश की सार्वभौमसत्ता और अखण्डता कायम रखनी चाहिए।

कांग्रेस और कम्युनिस्ट दल में ऐसे तत्व हैं जो कि कुछ भाग चीन को देने के पक्ष में हैं। कुछ लोग मकमहोन रेखा ही नहीं मानते।

प्रश्न यह है कि किस हद तक भाषण पर सजा दी जानी चाहिए। यदि भाषण किसी कार्यवाही के लिए उकसाता है या पृथककरण का विष फैलता हो तो इस के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि कोई भाषण किसी अहिंसात्म र्गवाई के लिए न उकसाता हो, तो देश की शक्ति ही उसका मुकाबला कर सकेगी।

चीनी अतिक्रमण के बाद देश में एकता आ गई है।

विधेयक लाने का यह उचित समय नहीं है। इसे अगले सत्र तक स्थगित कर दिया जाए।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस समय तो पृथककरण की मांग ऐसी मांग करने वाले ने भी करनी छोड़ दी है। अतः इस विधेयक को लाने का यह उचित समय नहीं है।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस समय पर विधेयक नहीं लाया जाना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि श्री कामत और श्री मुकर्जी द्रा० मु० का० पार्टी को क्यों घसीट लाए हैं। और भी हैं, जो कि भारत से पृथककरण चाहते हैं और केवल भारत के विघटन का ही प्रचार करते हैं पूर्वी सीमा पर नागा विद्रोही हैं। क्या श्री कामत और श्री मुकर्जी कहते हैं कि आपातकाल में नागाओं ने अलग नागालैंड की मांग छोड़ दी है?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : अब तो नागालैंड भी है।

†**श्री राजा राम** (कृष्णगिरि) : वे इन सब चीजों या संशोधनों की चिन्ता नहीं करते हैं।

†**श्री अ० कु० सेन** : हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि लोग संविधान की इज्जत करें। चिन्ता का शब्द संविधान के बारे में भी प्रयोग किया जाना चाहिये। श्री मुकर्जी ने इसी आधार पर तर्क वितर्क किया कि सरकार एकता के लिए इस विधान का आश्रय ले रही है। सरकार ने कभी नहीं कहा कि कानून से ही राष्ट्रीय एकता लाई जा सकती है। जब उत्तर में देश में साम्प्रदायिक दंगे आदि होने लगे और जब कुछ मनोवृत्तियां बहुत खतरनाक हो गईं तो प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय एकता सम्मेलन बुलाया जिस में विभिन्न दलों के नेता बुलाए गए और राष्ट्रीय एकता की व्यापक योजना स्वीकार की गई जो कि शिक्षा तथा अन्य तरीकों से कार्यान्वित की गई है। अतः हम ने कभी भी नहीं सोचा कि केवल कानून से ही राष्ट्रीय एकता हो सकती है।

"राष्ट्रीय एकता" उचित पदावलि नहीं है। राष्ट्रीय एकता तो पहले ही है। क्या कुछ हठधर्मी सांझी तौर पर तकलीफों को बर्दाश्त करने सामान्य भाषा सामान्य निष्ठा और सामान्य परम्पराओं को नष्ट कर सकते है? कुछ पागलपन की बातों से इस देश के जीवन के ढंग को नष्ट नहीं किया जा सकता। सांझे इतिहास, सांझी संस्कृति और सभ्यता के बंध इतने मजबूत हैं कि उन को कोई तोड़ नहीं सकता। कानून का लक्ष्य शरारत को रोकना होता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने अमेरिका का उल्लेख किया है। मेरे मित्र भूल जाते हैं कि सामान्य नीति, सामान्य भाषा, सांझे इतिहास और सांझी निष्ठा होने के बावजूद अमेरिका में इस सरल संवैधानिक लक्ष्य को स्थापित करने के लिए कई वर्षों तक गृह-युद्ध बना रहा जिस में हजारों लोग अपने भाईयों द्वारा मारे गए, कि कोई भी राज्य पृथक् नहीं हो सकता। सौभाग्यवश इस देश में गृहयुद्ध नहीं हुआ है। हम तो इस तरफ ले जाने वाली परिस्थितियों को पैदा करने की कोशिश करने की शरारत करने वालों को रोकना चाहते है। कुछ हिस्सों में घरेलू झगड़े की निशानियां थीं। हमारा यह दृढ़ निश्चय है कि जो राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने वाली शक्तियां पैदा करने की कोशिश करते है उनको बर्दाश्त न किया जाय।

खेद है कि जब भी हम राष्ट्रीय एकता की बात करते है तो हम द० मु० का० या दक्षिण का जिक्र करते ह। जैसा कि प्रो० मुकर्जी ने ठीक कहा है कि कोई उत्तर और दक्षिण नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

यद्यपि, भाषा और अन्य चीजों में भेद होते हुए भी एक सी विचारधारा, निष्टा और कार्यवाई से हम बंधे हुए है।

जब भी मैं दक्षिण मैं जाता हूं तो कन्याकुमारी अवश्य जाता हूं और जब हम तीनों समुद्रों के संगम में स्नान करते हैं और अपनी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति और सभ्यता को याद करते हैं और सामने बड़े समुद्र को देखते हैं तो हम भारत की एकता महसूस किए बिना नहीं रह सकते।

स्वा० विवेकानन्द ने भी कन्याकुमारी के तट पर भक्ति की थी और बाद में शिकागो भारतीय सभ्यता का प्रचार करने गए। दक्षिण भारत की विचारधारा और संस्कृति का संसाधन रहा है। दक्षिण के मन्दिरों में जो कला का प्रदर्शन है उस का श्रेय दक्षिण के लोगों को है। क्या हम आपत्ति कर सकते है कि वे कला की चीजें दक्षिण के लोगों ने क्यों बनाई? उत्तर में विदेशी आक्रमणों ने प्राचीन भारतीय सभ्यता को नष्ट कर दिया है। प्राचीन भारत दक्षिण में रहता है। हमें दक्षिण की ही बात नहीं करनी चाहिये। हमें भारत की महान संस्कृति जो कि उत्तर और दक्षिण ने मिल कर बनाई, की ओर ध्यान देना चाहिये। उस संस्कृति बनाने में दक्षिण का अंशदान बहुत ज्यादा है।

हिन्दू धर्म द्राविड़ों की धारणा पर आधारित है। प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करने की पुरानी वैदिक कालीन प्रथा भी द्राविड़ जीवन और द्राविड़ संस्कृति से ही उद्भव हुई है। जो कुछ भी हो अब हिन्दू धर्म एक है।

मैं प्रायः कहा करता था "मैं भारत के उस प्रान्त का निवासी हूं जिसे बंगाल कहते है"—उस समय बंगाल अविभक्त था। हम यह भी कह सकते है कि "हम भारत के उस प्रान्त के निवासी है जिसे तामिलनाद के नाम से पुकारा जाता है"। टैगोर ने अपनी महान कविता "भारतीय" में कहा है :

"भारत रूपी मानवता के इस महान समुद्र तट की तीर्थ यात्रा पर ओ मेरे मानस ! जाग उठ !"

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

"भारत", इस शब्द में उन्होंने समस्त जातियों और संस्कृतियों को संमिश्रित कर दिया है। किन्तु आज उन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता। वह वहां होते हुये भी नहीं हैं। भारत मानवता का महासमुद्र है। द्रा० मु० का० यहां विद्यमान है। उसके नाम का लेबल हमारे माथे पर लिखा हो तो कोई बात नहीं, हमारी शिराओं में तो भारतीय संस्कृति ही बहती है। आप चाहे कोई भी हों, चाहे कोई भी भाषा बोलते हों, आप भारतीय तो रहेंगे ही। मैं यह आध्यात्मिक बातें इसलिये कह रहा हूं कि प्रोफेसर मुकर्जी ने यह संदेह प्रकट किया था कि मैं सांस्कृतिक विकास में रुचि नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि मैं सांस्कृतिक विकास में योग दूं, किन्तु मैं तर्क अथवा विचार की बातों की बलि देकर ऐसा नहीं कर सकता।

इन बातों को देखते हुये यह कहना नितान्त मिथ्या होगा कि यह विधान किसी दल अथवा प्रदेश के विरुद्ध बनाया जा रहा है। वास्तव में यह विधेयक उन सब दलों और प्रदेशों के विरोध में है जो प्रभुसत्ता और अखंडता को स्वीकार नहीं करते। वास्तविकता यही है। दुर्भाग्य-वश अब भी सर्वत्र कुछ लोग ऐसी है, केवल दक्षिण में ही नहीं। मैं समझता हूं कि विधेयक के प्रति की गई अधिकतर आलोचनाओं का यही उत्तर है।

दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि शपथ का रूप क्यों बदला जाये ? यदि हम भारत की एकता, प्रभुसत्ता और अखंडता में विश्वास करते हैं तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि संसद् अथवा विधान सभाओं में चुने जाने वाले व्यक्ति चुनाव लड़ने के पहले और निर्वाचित होने के बाद शपथ ग्रहण करें। चुनाव लड़ने के पहले शपथ लेने की आवश्यकता इसलिये है कि वह फिर इस बात को चुनाव का विषय न बना सकें जैसा कि कुछ स्थानों पर किया गया है। यदि हम ने इसे निषिद्ध घोषित नहीं किया तो कल नागा लैण्ड के बहुत से लोग भारत से नागालैण्ड के पृथक्करण को चुनाव का विषय बना लेंगे। वस्तुतः हम ऐसी ही घटनाओं को रोकना चाहते है क्योंकि स्थानीय समस्यायें हर प्रदेश के निवासियों को अपील करती है।

श्री कामत ने स्कटिश फ्रीडम पार्टी का उल्लेख किया था। किन्तु वह ब्रिटेन से पृथक होना नहीं चाहते। वह तो आन्तरिक शासन चाहते हैं जो हमारे राज्यों में पहले से ही है। मद्रास और नागालैण्ड में आन्तरिक शासन व्यवस्था है। इनके निजी विधान मण्डल हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उन्हीं अर्थों में नहीं।

†**श्री अ० कु० सेन** : वह केवल प्रादेशिक स्वायत्तता के रूप में ही आन्तरिक शासन चाहते हैं। तथापि जहां प्रादेशिक विभिन्नतायें नहीं है, जहां एक भाषा और एक संस्कृति है वहां भी यह प्रादेशिक, स्थानीय समस्यायें होती है जो एक बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर देती है। देशों में यह और भी अधिक होती है जहां के विभिन्न प्रदेश समान रूप से विकसित नहीं है और भाषा की तथा अन्य दूसरी समस्यायें हमें एक दूसरे से दूर कर देती है।

मुझे यही निवेदन करना था; और मैं अब भी सब से यह अपील करूंगा कि इस विधेयक को बिना मत-विभाजन के ही पारित किया जाये।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मत विभाजन तो अवश्य होना चाहिये। यह संविधान के अनुसार अनिवार्य है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

लोक-सभा में मतविभाजन हुआ।

पक्ष में २६१; विपक्ष में ८

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २—अनुच्छेद १९ का संशोधन

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री कामत।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : खंड २ में विधान मंडलों और संसद् के लिये चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यार्थियों के लिये शपथ लेने का उपबन्ध किया गया है। मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरि विष्णु कामत]

इस विषय में मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब कांग्रेस दल १९३७ में सत्तारूढ़ हुआ था। उस समय भी शपथ ली गई थी। किन्तु श्री नेहरू ने जो इस समय भी दल के नेता थे यह स्पष्ट रूप से कह दिया था कि यद्यपि हम भारत शासन अधिनियम के अधीन शपथ ले रहे हैं किन्तु हम नया संविधान बना कर उसके अनुसार कार्य करेंगे। मेरे कहने का अर्थ यह है कि चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिये स्वयं शपथ का कोई मूल्य नहीं है। वैसे भी उनके द्वारा ली गई शपथ से, इसके कार्यकर्ता और उसके सहायक अपने को बंधा हुआ नहीं समझेंगे। शपथ के विषय में आयरलैण्ड के डी वेलैरा का भी यही मत है कि यह लेने और तोड़ने के लिये ही है।

विधेयक में कहा गया है: "ऐसा प्राधिकार जिसे चुनाव आयोग विहित करे" चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसने एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिसमें अभ्यर्थीयों के लिये कुछ सिद्धान्त और आदर्श दिये हुये हैं। इस आयोग के मत में नाम-निर्देशन की पूर्ति आसान ही होनी चाहिये। हाल ही में उन्होंने यह शर्तें और अधिक आसान कर दी हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के अनुसार पात्र है आसानी से नाम-निर्देशित कर दिया जाता है।

यह उपबन्ध न आवश्यक है और न उपयोगी। प्रधान मंत्री भी इससे पूरी तरह सहमत नहीं हैं। यह संविधान की भावना के अनुकूल भी नहीं है। यदि आवश्यक ही हो तो इसके स्थान पर १९५१ के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर दिया जाये। उसका संशोधन कर के यह उपबन्ध कर दिया जाये कि चुनाव के लिये साम्प्रदायिक भावनाओं का प्रचार करने की आज्ञा नहीं होगी।

†**श्री बड़े** (खारगोन): मैं श्री कामत का समर्थन करता हूं। संविधान में प्रभुसत्ता और अखंडता को परिभाषित नहीं किया गया है। अखंडता के विभिन्न अर्थ लगाये जा सकते हैं। यदि किसी ने भाषा सम्बन्धी कोई प्रश्न उठाया तो उसे भी अखंडता के विरुद्ध समझा जा सकता है। यदि किसी ने कांग्रेस के विरुद्ध कुछ कह दिया तो वह भी गलत समझा जायेगा। मंत्री महोदय को चाहिये कि कम से कम अखंडता की परिभाषा कर दें। मैं श्री कामत की इस बात का समर्थन करता हूं कि इस उपबन्ध को संविधान में नहीं अपितु एक पृथक् विधि में सम्मिलित किया जाये।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी**: श्री कामत के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं। शपथ यदि अनावश्यक है तो संविधान में चुनाव के बाद शपथ लेने का उपबन्ध क्यों किया गया है। शपथ किसी राष्ट्र को सर्वमान्य भावनाओं की द्योतक है। देश में एकता स्थापित करने का यह भी एक साधन है। इसलिये मैं इस बात से सहमत हूं कि देश द्रोह के विरुद्ध उपयुक्त विधि बना कर राष्ट्र की एकता सुनिश्चित की जाये।

†**श्री अ० कु० सेन**: मैं समझता हूं मैं पहले ही इस बात का उत्तर दे चुका हूं किन्तु वह अपनी अथक शक्ति के कारण एक के बाद दूसरा प्रश्न उठाने में सफल हो ही जाते हैं।

यह कहना कि शपथ का कोई उपयोग नहीं निरर्थक है। हम सदस्य चुने जाने के बाद शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। मैं शपथ को उपयोगिता के आध्यात्मिक प्रश्न पर विचार करना नहीं चाहता। किन्तु यह हमारे संविधान का एक अत्यन्त आवश्यक अंग है। उन्हें भगवान के नाम पर शपथ लेने में आपत्ति हो सकती है। किन्तु दूसरा मार्ग—प्रतिज्ञान का—भी है...।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत :** अधिकांशतः इसका कोई उपयोग नहीं है।

†**श्री अ० कु० सेन :** फिर भी यह है और हमारे दृष्टिकोण से इसका उपयोग भी है। इस मामले में इसका उपयोग यह होगा कि संसद् या राज्य विधान सभाओं की सदस्यता के लिये चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों को शपथ या प्रतिज्ञान लेना होगा और इस प्रकार वह पूर्ण रूप से भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता की रक्षा करने के पवित्र कर्त्तव्य से बंध जायेगा और इसलिये वह पृथक्करण को चुनाव का विषय नहीं बना सकेगा। हम इसी बात को रोकना चाहते हैं। संभवतः श्री कामत भी इस बात से सहमत होंगे।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** बिलकुल।

†**श्री अ० कु० सेन :** आजकल भी न्यायालयों आदि में शपथ लेने की प्रथा है। मैं समझता हूं कि इस शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उपबन्ध अत्यन्त लाभकारी होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने।"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में २९५, विपक्ष में १

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंद २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में २९३, विपक्ष में कोई नहीं।

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ४ विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में २९१, विपक्ष में कोई नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ५ (तीसरी अनुसूची का संशोधन)

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या श्री कामत अपने दोनों संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** नहीं, श्रीमान ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : अध्यक्ष महोदय, चुनाव के पहले जो हम शपथ लेते हैं उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है । इसमें जो शपथ की धारा शामिल की गई है उसका अनथक समर्थन करता हूं । कुछ भाई पहले पशथ लेते हैं और बाद में उस पर अमल करने से बाज़ रहते हैं, इसी से हमारी राष्ट्रीय एकता में बाधा आती है । मैं यहां पर एक सूचना कर देना चाहता हूं और अपने भाइयों से और सदन के नेता से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकता उस वक्त तक कायम नहीं रह सकेगी जब तक कि हम यह परम्परा न डालें कि अपने रीजन या कम्युनिटी या स्टेट की मांग पेश करने के साथ राष्ट्रीय एकता का ध्यान रखें और उसमें बाधा न आने दें । हमको देखना होगा कि हमारे देश में एकता में क्या चीज बाधक रही है । पुराने जमाने में जाति पांत इसमें बाधक थी क्योंकि एक जाति यह समझती थी कि अगर दूसरी जाति बढ़ेगी तो हमारा नुकसान होगा । मगर आज भी हम देखते हैं कि दलों में इसी तरह की भावना है । अपौजीशन वाले समझते हैं कि जब तक कांग्रेस वाले रहेंगे हमारी उन्नति नहीं हो सकती और कांग्रेस वाले समझते हैं कि अपोजीशन वाले बढ़ेंगे तो हमको हानि पहुंचेगी । तो इन विचारों से तकसीम की बात आ जाती है और देश की एकता में बाधा पड़ती है । इसलिये मेरा निवेदन है कि जब तक इस चीज को दूर नहीं किया जाएगा तब तक एकता कायम नहीं हो सकती ।

अध्यक्ष महोदय : यह कहने की अब जरूरत नहीं है ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : इसमें कहा गया है :

> "मैं भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता की रक्षा करूंगा और जो कर्त्तव्य मुझे सौंपा जाने वाला है उसका मैं निष्ठापूर्वक पालन करूंगा ।"

अध्यक्ष महोदय : जो क्लाज पहले पास हो चुके उनके बाद यह अपने आप फोलो करता है ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मेरा कहना यह है कि जब तक यह पक्षपात की भावना दूर नहीं होगी एकता नहीं कायम रह सकती । इसको दूर करके एकता लाना हमारा फर्ज है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं ?

†**श्री अ० कु० सेन :** कुछ भी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ५ विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में २९७, विपक्ष में कोई नहीं ।

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, पारित किया जाये

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, पारित किया जाये ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में ३००, विपक्ष में कोई नहीं ।

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) विधेयक

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण द्वारा भारत के निर्यात व्यापार के ठोस विकास और तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की विभिन्न विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को माननीय सदस्य पहले ही जानते हैं । इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये हमें अपने निर्यात को बढ़ाना है । इस के लिये जो उपाय हैं उनमें से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उपाय यह है कि निर्यात वस्तुओं का किस्म नियंत्रण और लदान से पूर्व निरीक्षण हो । इसके अतिरिक्त, विदेशों में अपनी वस्तुओं की बिक्री को बढ़ाने के लिये केवल वस्तुओं का उच्च गुण का होना ही आवश्यक नहीं है वरन् विदेशी आयातकों को इनके गुण के बारे में विश्वास भी होना चाहिए । दूसरे शब्दों में, हमें अपनी निर्यात वस्तुओं के गुण की ख्याति को कायम करना है ।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा को देखते हुए और पहले भेजी जाने वाली मदों के व्यापार की मात्रा को बनाये रखने के लिये विदेशी खरीदारों के लिये हमारी वस्तुओं को अधिक आकर्षक होना है और अधिक विकसित देशों की वस्तुओं के मुकाबले में प्रतिस्पर्धी होना है । इसलिये जब तक ठोस कदम न उठाये जायें हम ऐसी स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते । केवल किस्म नियंत्रण और निरीक्षण जैसे उपायों द्वारा ही हम अपनी वस्तुओं के गुण और ख्याति को विदेशी बाजारों में स्थापित कर सकते है ।

वर्ष १९४९ से, जब कि निर्यात प्रोत्साहन समिति ने सुझाव दिया था कि भारतीय पण्य के गुण को विदेशों में बनाये रखने के लिये प्रभावशाली कदम उठाने चाहिएं, किस्म नियंत्रण का मामला निरन्तर सरकार के पुनर्विलोकन में है । एक समिति ने १९५७ में इसी पहलू का निरीक्षण किया था । वर्ष १९६० में सरकार ने, भारतीय निर्यात वस्तुओं के किस्म नियंत्रण और लदान से पूर्व निरीक्षण का अध्ययन करने के प्रयोजन से और इस सम्बन्ध में सुधार लाने के लिये सुझाव देने के लिये, एक तदर्थ समिति नियुक्त की थी । इस समिति ने देखा कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिये विभिन्न प्रकार के किस्म नियंत्रण का प्रयोग हो रहा है, और अभिकरण आदि किस्म नियंत्रण तथा लदान पूर्व निरीक्षण सम्बन्धी योजनाओं में लगे हुए थे । स्थिति असन्तोषजनक पाई गई । इन विभिन्न योजनाओं को तदर्थ आधार पर कार्यान्वित किया गया था और इसके परिणामस्वरूप उचित सहयोग की इनमें कमी थी ।

यह नियोगात्मक योजनायें औषधियां अधिनियम, अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत फल उत्पाद नियंत्रण आदेश, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम अथवा अन्य कुछ अधिनियमों से शक्तियां प्राप्त करती रही हैं । कुछ अन्य वस्तुओं के मामले में किस्म नियंत्रण और लदान पूर्व निरीक्षण योजनायें पूर्णतः स्वैच्छिक रही हैं जिन के पीछे कोई विधायी शक्ति नहीं थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सी वस्तुओं का निर्यात गुण स्तर की ओर ध्यान दिये बगैर ही किया जाता है । तदर्थ समिति ने ठीक ही कहा था कि सीमा शुल्क अधिनियम किस्म नियंत्रण के सभी पहलुओं से निबटने के लिए पर्याप्त नहीं है । ऐसी ही दुर्बलताओं और त्रुटियों को दूर करने के प्रयोजनार्थ वर्तमान विधेयक प्रस्तुत करना आवश्यक समझा गया जो अधिक विस्तृत है और जिस द्वारा केवल वस्तुओं के गुण को ही नहीं वरन् यह भी सुनिश्चित किया जायगा कि केवल यह वस्तुयें निर्यात की जायें जो उल्लिखित स्तरों के अनुसार हों ।

यह भी महसूस किया गया है कि भारतीय निर्यात वस्तुओं के गुण में सुधार सबंधी अंतिम उद्देश्य के लिये और विदेशों में भारतीय माल की मांग में वृद्धि लाने के लिए सरकार को एक परिषद की मंत्रणा

प्राप्त करनी चाहिये जिस में वह व्यक्ति और सरकारी कर्मचारी हों जिन का संबंध अन्त में किस्म नियत्रण तथा निर्यात प्रोत्साहन की समस्याओं से हो। विधेयक में उपबंध होने से सरकार को होगा कि वह एक निर्यात निरीक्षण परिषद स्थापित कर सके जिसे में १५ सदस्य हों और एक सभापति हो। यह परिषद सरकार को मंत्रणा देगी और किस्म नियंत्रण या लदान पूर्व निरीक्षण संबंधी कार्यक्रम तैयार करेगी। यह परिषद एक निगमित निकाय होगा और यह सरकार से अनुदान और केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य निकायों अथवा संस्थाओं से दान प्राप्त कर सकेगी। केन्द्रीय सरकार की सम्मति से यह परिषद उन अभिकरणों को सहायक अनुदान दे सकेगी जिन्हें किस्म नियंत्रण तथा लदान पूर्व निरीक्षण के कार्य को करने के लिये स्थापित किया गया हो अथवा मान्यता दी गई हो।

इस विधान में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण निदेशक के नियुक्त किये जाने का उपबंध है जो किस्म नियंत्रण तथा लदान पूर्व निरीक्षण के लिये केन्द्रीय प्राधिकारी होगा। यह निदेशक निर्यात निरीक्षण परिषद का सदस्य-सचिव भी होगा।

प्रस्तावित विधान के प्राधिकार की अनुमति सरकार परिषद से परामर्श के पश्चात उन वस्तुओं के बारे में अधिसुचित कर सकेगी जिन का निर्यात से पूर्व किस्म नियंत्रण और निरीक्षण किया जाना होगा और अधिसुचित वस्तुओं पर लागू होने वाले किस्म नियंत्रण अथवा निरीक्षण के प्रकार का उल्लेख कर सकेगी। इस विधान के अन्तर्गत सरकार नये मानक स्थापित कर सकेगी अथवा वर्तमान मानकों को ग्रहण कर सकेगी अथवा मान्यता दे सकेगी ताकि निर्यात वस्तुओं का किस्म नियंत्रण सूनिश्चित किया जा सके और एसी वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाई जा सके जिन पर इस लक्ष्य के मान्यता प्राप्त प्रमाणित चिन्ह अथवा सीलें न हों कि वह वस्तुयें उल्लिखित मानकों के अनुसार ठीक है।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मेरे साथ सहमत होंगे कि निम्न स्तर की वस्तुओं के निर्यात से देश की ख्याति को चोट लगती है। अतः जो व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने का अपराधी हो उसके विरूद्ध कड़ी कारवाही की जानी चाहिये। इसलिये निम्न स्तर की वस्तुओं के निर्यात करने पर उपबन्ध किया गया है जो २ वर्ष तक कैद की सजा अथवा ५००० रूपये जुर्माना अथवा यह दोनों तक हो सकता है। दूसरी बार और उसके पश्चात अपराध करने पर विधान में भारी दण्ड का उपबन्ध है।

हमारा विचार कई एक निर्यात वस्तुओं के किस्म नियंत्रण तथा लदान पूर्व निरीक्षणों संबंधी वर्तमान विनियमों में हस्तक्षेप करने का नहीं है परन्तु मुझे आशा है कि माननीय सदस्य मेरे साथ सहमत होंगे कि सरकार के पास अधिकार होना चाहिये कि, आवश्यकता पड़ने पर वह किसी एसी वस्तु को उस विस्तृत विधान की सीमा में ला सके इस लिये इस विधेयक में एक खंड मिलाया गया है जिस से सरकार ऐसा कर सकेगी।

यहां पर मैं देश के व्यापार समवाय को आश्वाशन देना चाहता हूं कि किस्म नियंत्रण तथा पूर्व निरीक्षण को लागू करते हुए हम ऐसे सभी अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात संविदाओं को मान्यता देंगे जिन के अर्न्तगत उल्लिखित किस्मों तथा विशेष विवरणों का समझौता भारतीय विक्रेताओं और विदेशी खरीददारों में हुआ हो।

आशा की जाती है कि इस अधिनियम से यह सूनिश्चित करना संभव होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय निर्यात वस्तुओं की दर हो। विदेशी खरीददारों को भारतीय माल के गुण में विश्वास उत्पन्न होगा और वह अधिक मात्रा में हमारे माल को खरीदेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा किस्म नियंत्रण केवल देश के लिये ही हितकारी सिद्ध नहीं होगा वरन गुण को होना स्वयं ही एक अच्छी बात होती है जनवरी, १९६३ से हम ३९ बड़ा भारतीय वस्तुओं को किस्म नियंत्रण पद्धति में

[श्री मनुभाई शाह]

लाये हैं। लगभग सभी कृषि वस्तुओं को इसी पद्धति में लाया गया है जैसे कपड़ा, ऊनी कपड़ा, रेशमी कपड़ा, चीनी आदि आदि कुछ किस्म नियंत्रण कृषि क्रय-विक्रय अधिनियम के अन्तर्गत प्रयोग में लाये जा रहे हैं। हाल ही में हम इस को निर्यात/प्रोत्साहन परिषद के किस्म नियंत्रण में लाये हैं। पर आशा की जाती है कि आगामी दो अथवा एक वर्ष में हम सभी महत्वपूर्ण निर्यात वस्तुओं को इस विधेयक की सीमा में ले आयेंगे।

मैं व्यापार समुदाय को आश्वासन दे सकता हूं कि उनके पूर्ण सहयोग से हम चालू वर्ष में किस्म नियंत्रण में नवीनता लाना चाहते हैं भारत के विदेशी व्यापार के इतिहास में १९६३ वर्ष किस्म नियंत्रण वर्ष कहलायगा, जिस वर्ष में इस देश के व्यापार समुदाय ने सरकार तथा इस सभा को अपनी वस्तुओं की किस्मों का मानक बनाये रख कर, पूर्ण सहयोग दिया। मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण द्वारा भारत के निर्यात व्यापार के ठोस विकास और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मैं इस प्रस्ताव का पूर्णतः समर्थन करता हूं।

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुए]

विशेषकर जब कि हमारा निर्यात नहीं बढ़ रहा है और हम उसे बढ़ाने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, किस्म नियंत्रण की महत्ता को कम नहीं किया जा सकता।

हमें अपनी वस्तुओं के निर्यात के लिये नये बाज़ारों की खोज करनी हैं चूंकि पहले के बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और कई देशों में देशीय उत्पादन भी बढ़ गया है।

किस्म नियंत्रण केवल निर्यात के लिये ही नहीं वरन् आयात के लिये भी अधिक महत्वपूर्ण है। हाल ही में अमरीका और आस्ट्रेलिया से जो स्लीपर हमने मंगाये वह निम्न स्तर के थे। इस समय भारतीय बाजार में विस्तार हो रहा है और यह माल के बेचने के लिये एक महत्वपूर्ण बाजार है। कोई भी व्यापारी निम्न स्तर का माल बेच कर फायदा उठा सकता है। इसलिए किस्म नियंत्रण बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। निम्न स्तर की वस्तुओं के कारण केवल उपभोक्ताओं का ही नहीं वरन श्रमिकों का भी शोषण होता है। श्रमिकों को मज़दूरी बहुत कम दी जाती है।

हमारे निर्यात का ४० प्रतिशत भाग नारियल जटा, चाय और कपड़े का है। परन्तु हम देखते हैं कि नारियल जटा का लाभ काश्तकार को न मिल कर मध्यमवर्ग के लोगों को मिलता है। कृषक इतनी महनत करके भी लाभ से वंचित रह जाता है। चाय के क्षेत्र में भी स्थिति अत्यन्त संतोषजनक है। विदेशों को जो चाय भेजी जाती है उस की किस्म पर नियंत्रण होना चाहिये वो और अच्छी से अच्छी चाय भेजी जानी चाहिये ताकि प्रतिस्पर्धा के होत हुए भी हमारे बाजार बने रहें, परन्तु उस का यह अर्थ नहीं है कि देश में उपयोग के लिये चाय अत्यंत घटिया की सम्भरित की जाय। इसके अलावा हम समूचा चाय का निर्यात ब्रिटेन की मार्फत करते हैं। ब्रिटेन हमारे माल पर कमीशन लेता है। अतः एसा नहीं होना चाहिये। चाय बागान की दशा में अत्यंत शोचनीय है। मज़दूरों को पूरी मज़दूरी नहीं दी जाती और अनकों कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है इसलिये, इन सब बातों को दृष्टि

---

†मूल अंग्रेजी में

में रख कर मेरा सुझाव है कि या तो सरकार चाय उद्योग को अपने नियंत्रण में ले ले या इस पर नियंत्रण का कोई अन्य उपाय ढूंढें कपड़ा उद्योग की हालत भी इसी प्रकार असन्तोषजनक है ?

काली मिर्च का निर्यात भी होता है इंडोनेशिया द्वारा सफेद मिर्च का निर्यात किया जाता है। परन्तु यह बात समझ नहीं आई कि इस मिर्च का निर्यात क्यों किया जाता है ? हमारी शुद्ध मिर्च नहीं हो सकती। कई प्रकार के बीजों को जंगलों और झाड़ियों से एकत्रित करके इसमें मिला दिया जाता है। इस प्रकार अपमिश्रण होता है।

इसके अतिरिक्त, मुनाफा खोर लोगों कृषकों से मिर्च खरीद का संग्रह कर लेते हैं और कीमतें बढ़ने पर उनका निर्यात करते हैं। कृषक धन प्राप्त करने के लालच से मिर्च पकने से पूर्व ही बेच देता है। फलतः जब वह अमरीका में खोली जाती है तो वह ठीक नहीं निकलती। इस कारण भाव कम हो गये और कृषकों को हानि उठानी पड़ी।

मेरा सुझाव है कि कोचीन जैसे स्थान में या किसी अन्य स्थान में नीलाम कमरे होने चाहिएं जहां काश्तकार अपना माल कुछ धन लेकर रख सकें और जब कीमतें बढ़ और उस माल का नियतें किया जाना हो तो उस माल की नीलामी की जाय। इससे काश्तकार को उचित कीमत मिलेगी और माल पकने से पूर्व नहीं बेचा जायेगा, फलतः अप मिश्रण में कमी आयेगी।

इन वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तुओं का निर्यात करने का भी प्रयत्न किया जाना चाहिए, जैसे निर्मित वस्तुयें, इंजीनियरिंग वस्तुयें, आदि।

इस विधेयक का समर्थन करते हुये में सावधानी के तौर पर एक दो बात कहूंगा। काली मिर्च आदि वस्तुओं के बारे में कुछ एक बड़े बड़े व्यापारियों का एकाधिकार है। यह छोटे छोटे व्यापारियों को टिकने नहीं देते। अब ऐसा न हो कि इन छोटे लोगों को निरीक्षण अधिकारियों द्वारा भी तंग किया जाय। छोटे लोगों को संरक्षण देना चाहिए। यदि निरीक्षण में अधिक समय लिया गया तो निर्यात समय पर नहीं हो सकेगा।

बड़े बड़े लोगों के लिये, जो अप मिश्रण के आरोप पर पकड़े जायें, कड़ी सजायें होनी चाहिएं। केवल जुर्माना प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा। वेहतर है कि कैद की सज़ा आवश्यक कर दी जाय।

जिस परिषद् की स्थापना का उपबंध है उस में केवल बड़ी संस्थाओं को ही नहीं वरन छोटे छोटे व्यापारियों और निर्यातकों की संस्थायें बना कर उन्हें भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

लदान पूर्व निरीक्षण का कार्य अधिकतर प्रोत्साहन परिषदों को सम्भालना चाहिए। पंच निर्णय के संबंध में विशेषकर कुछ कहना चाहूंगा। कई बार ऐसा होता है कि बार बार भाव कम हो जाने पर आयातकों द्वारा कई प्रकार की अड़चन डाली जाती है। यह भी कहा जाता है कि निर्यात किया गया माल अपमिश्रित है। इसलिये सदैव ही आयातक सच नहीं कहता इस प्रकार के मामले पंच निर्णय के लिये आते हैं। ऐसे मामलों में निर्यातकों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जिन में धोखेबाजी से झगड़े पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है निर्यातक को अवश्य संरक्षण मिलना चाहिए।

इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि विधान की कार्यान्विति में सावधानी बरती जाय।

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई नगर-मध्य दक्षिण): प्रस्तुत विधेयक तदर्थ समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप लाया गया है। इस समिति ने किस्म नियंत्रण संबंधी सुझाव दिया और एक परिषद्

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री व० बा० गांधी]

नियुक्त करने संबंधी सुझाव भी दिया। इस परिषद् में जिस प्रकार प्रतिनिधित्व का उपबंध है वह उचित है। इस में ४ विशेषज्ञों को प्रतिनिधित्व मिलेगा और ११ प्रतिनिधि विभिन्न अभिकरणों के होंगे। मुझे आशा है कि निजी निरीक्षण अभिकरणों को भी प्रितिनिधित्व दिया जायगा।

सरकार निर्यात को प्रोत्साहन देने के योजनार्थ विभिन्न कार्यवाहियां करती रही है। निर्यात नियंत्रण में ढील हो गई है, निर्यात योजनाओं को प्रोत्साहन दिया गया, निर्यात वस्तुओं पर भाड़े में रियायत दी गई. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क में छूट दी गई. निर्यात निकायों को मान्यता प्रदान की गई. ऋण संबंधी सुविधायें दी गईं, कुछ एक निर्यात वस्तुओं की कम से कम कीमत निर्धारित की गई, बहुत से देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार करार सम्पन्न किये गये, और अन्त में व्यापार प्रतिनिधि मंडल संसार के विभिन्न देशों में भेजे गये आदि आदि। ऐसे प्रोत्साहन देने पर में सरकार को मुबारकबाद देता हूं।

प्रस्तुत प्रस्ताव इन कार्यों में और भी सहायक होगा।

देश के अन्दर ही व्यापार करने की प्रवृति हमारे व्यापारियों में पाई जाती है इसलिये बेहतर होगा यदि यह निर्धारित कर दिया जाय कि एक वस्तु की अमुक प्रतिशत का निर्यात किया जाय।

अन्त में मैं कहूंगा कि हमारी वस्तुओं की किस्म बढ़िया और उच्च स्तर की होनी चाहिए। मूल्य भी प्रतिस्पर्धी होने चाहिएं।

†**श्री अ० चं० गुह** (वारसाट) : इस विधेयक को बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। मैं इस का स्वागत करता हूं परन्तु सरकार को इस विधान के तैयार करने में लगभग ३ वर्ष का समय नहीं लेना चाहिए था।

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** (फतेहपुर) : सभा में गणपूर्ति नहीं हैं।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : सदस्य गण बाहर बैठे हुए हैं।

†**सभापति महोदय** : क्या आप इस पर आपत्ति करते हैं ?

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** : मैं विशेषतया इस पर इसलिये आपत्ति करता हूं क्योंकि दोनों मुख्य सचेतक सभा में उपस्थित हैं इसके बावजूद भी सभा में गणपूर्ति नहीं है।

†**श्री सत्यनारायण सिन्हा** : हम आपको सहायता से कल इसका उपचार करेंगे। गणपूर्ति संबंधी समस्या का हल करने के लिये एक विधेयक हम कल ला रहे है।

†**सभापति महोदय** : घंटी बजाई जा रही है....अब गणपूर्ति है। श्री गुह अपना भाषण जारी रखें।

†**श्री अ० चं० गुह** : कुछ समय पहले यह बात सभा के ध्यान में आई की विदेशों में खरीदार हमारा सामान लेने से प्रायः इन्कार कर देते थे, क्योंकि वे घटिया किस्म के थे।

विदेशी खरीदारों ने प्रायः आई० एस० आई० मार्क और ऐगमार्क को मानने से इन्कार कर दिया। सरकार को राष्ट्रीय और वाणिज्य सम्मान की रक्षा के लिए स्थिति बदलनी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

विश्व के व्यापार के मुकाबले में हमारा निर्यात नहीं बढ़ा है। इसके दो कारण हैं। एक तो उत्पादन लागत कम नहीं हुई है। दूसरे चीज़ों की क्विस्म को अच्छा बनाने का प्रयत्न नहीं किया गया है।

सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि हमारे सामान की किस्म बढ़िया हो और कीमत कम हों।

हम अधिकांश सूती कपड़े, पटसन और चाय का निर्यात करते है। सरकार को निर्यात कायम रखने के लिए इन चीज़ों की किस्म की ओर ध्यान देना चाहिए।

विधेयक में जो परिषद् बनाने की व्यवस्था है उस पर अधिक खर्च आएगा। हमारे पदार्थ विदेशी पदार्थों से अधिक कीमतों वाले हैं। परिषद् आदि पर व्यय से पदार्थ और अधिक मूल्यवान होने नहीं देने चाहिए। सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

खण्ड (१३) में शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में व्यवस्था की गई है। पता नहीं यह नियम समझे जायेंगे। यदि नहीं, ऐसी अधिसूचनाएं संसद् के सामने रखी जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था विधेयक में की जानी चाहिए।

संक्षिप्त पश्चिमी बाजार का लाभ उठा कर कुछ निर्माता अपने पदार्थों की काफी ऊंची कीमत रखते है। यदि वही चीज़ आयात द्वारा किसी साधन से मिलती तो उसका मूल्य कम रखा जाता। सरकार इस प्रकार से अधिनियम को कार्यान्वित करेगी कि हमारा निर्यात बढे।

श्री ओंकारलाल बेरवा (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, में इस बिल का समर्थन करता हूं। अगर इस बिल को उसी समय लाया गया होता, जब कि हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो हमारा एक्सपोर्ट इतना न गिरता। आज हमारा साठ परसेंट एक्सपोर्ट गिर गया है और इस कारण हम को काफ़ी नुक्सान हो रहा है। हमें मिलने वाली विदेशी मुद्रा में भी कटौती हो गई है। अगर सवेरे का भूला हुआ शाम को भी घर आ जाता है, तो उसे भूला हुआ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ग़लती करता है और बाद में उसकी दवा ढूंढ़ता है, तो वह उचित ही है। अगर इस बिल को पहले ही लाया जाता, तो हमारे माल की क्वालिटी इतनी न गिरती और एक्सपोर्ट भी न कम होता।

हमारे यहां से विदेशों में माल का जो सैम्पल भेजा जाता है, बाद में माल उस सैम्पल के विपरीत भेजा जाता है जिससे हमारे देश की बदनामी होती है और इसके साथ ही माल लेने वाले भी उस सौदे से मुकर जाते हैं।

सरकार का विचार जांच करने के लिये एक समिति बनाने का है। हमें तो यह चाहिये कि कारख़ाने के ऊपर ही ऐसे एक्सपर्ट इंजीनियर या एक्सपर्ट आफ़िसर रखे जायें, ताकि वहां माल के बनते ही उसको देख लिया जाय। अगर वह माल निश्चित क्वालिटी से नीचे हो, तो उसे उसी वक्त डिस्मेंटल करके कम्पनी को वापस कर दिया जाये। सरकार की ओर से कहा गया है कि माल की प्रीशिपमेंट इंस्पैक्शन की व्यवस्था की जायगी और माल की क्वालिटी ख़राब होने पर उसे कम्पनी को वापस भेज दिया जायगा। में समझता हूं कि इस में गवर्नमेंट का भी बहुत खर्च होगा और कम्पनी वालों का भी बहुत खर्च पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि एक्सपर्ट आफ़िसर कारख़ाने पर ही माल को एग्ज़ामिन करके आवश्यकता पड़ने पर वहीं उस को कम्पनी को वापस कर दें।

यह समिति बनाने से एक तो ख़राब माल नहीं बनेगा, दूसरे, देश की बदनामी नहीं होगी और तीसरे, उद्योगपतियों को प्रेरणा मिलेगी। कि वे अच्छा माल बनाय, ताकि दूसरे देशों में

[श्री ओंकारलाल बेरवा]

हमारे माल की इज्जत हो। मैं आप को बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले जापान का माल हमारे यहां काफ़ी तादाद में आता था, लेकिन उस की कोई कद्र नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी। सब उस माल को हमारे यहां ठुकराते थे, लेकिन उस के मुकाबले में इंग्लैंड के बने माल को पसन्द करते थे, क्योंकि इंग्लैंड वाले अपनी चीज़ों को इतना अच्छा बनाते थे कि वे सालों तक चलती थी, जब कि जापान का माल दो चार महीनों में टूट-फूट जाता था। आज हमारे माल को भी वही स्थिति है। अगर हम पहले से इस बारे में ध्यान रखते, तो इंग्लैंड और कई दूसरे देशों की तरह हम भी अपना नाम कमा सकते थे। उदाहरण के लिए हम ने 'लैंडमास्टर' ट्रक बनाया, लेकिन चूंकि वह कुछ दिनों के बाद ख़राब हो जाता है और नहीं चलता है, इसलिए लोग उस को 'बैंडमास्टर' कहने लगे हैं। क्वालिटी ख़राब होने से हमारे देश की बदनामी होती है।

हमारी एक गलती यह भी है कि जितनी इंडस्ट्रीज़ और फ़ैक्ट्रीज़ आदि हैं, उन पर साइन-बोर्ड लगा दिया जाता है : जवाहरलाल फ़ैक्ट्री, गांधी फ़ैक्ट्री, गांधी आइसक्रीम, जवाहर सोप गांधी सोप आदि। इन नामों को आधार बना कर उन फैक्ट्रीज़ का उद्घाटन किसी मिनिस्टर साहब से करा लिया जाता है। उसके बाद वे लोग अंट-शंट माल बनाते हैं और समझते हैं कि मिनिस्टर साहब से उद्घाटन तो करा ही लिया है, अब हमारे ख़िलाफ़ क्या कार्यवाही होगी। मेरे विचार में ऐसी कम्पनीज़ पर ज्यादा निगाह रखनी चाहिए। हम को केवल क्वान्टिटी की तरफ़ ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उस के साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी बनाए रखनी चाहिए। चाय, जूट और टैक्स्टाइल वग़ैरह जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, उन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी अच्छी न होने की वजह से हमारा एक्सपोर्ट गिरता जा रहा है और करोड़ों रुपयों का नुक्शान हो रहा है। कुछ समय पहले हमारे यहां से रुस को जूतों का जो सैम्पल भेजा गया, जूते उस सैम्पल से भिन्न भेजे गए, जिस का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने आधे जते ख़राब कह कर वापस कर दिये। ऐसी बातों से हमारे देश की बदनामी होती है

इसलिए जो जांच कमेटी बनाई जा रही है, उस का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि उस कमेटी में सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही रखे गए हैं और बाहर के लोगों या पार्लियामेंट के सदस्यों को उसमें स्थान नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं कि उसमें इस बारे में जानकारी रखने वाले बाहर के लोग भी होने चाहिए। आज तक यह देखा गया है कि जितनी जांच समितियों बनी हैं, उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस जांच समिति में ऐसे आदमी नहीं होने चाहिए, जिन के कारण भ्रष्टाचार बढ़े। यह न हो कि जांच समिति भ्रष्टाचार कर के अंट-शंट माल को चलातीर हे। इसलिए उस पर ऐसी निगरानी रखनी चाहिए कि उस जांच समिति के लिए भी किसी और जांच समिति को न रखना पढ़े। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए इस जांच समिति पर भी कुछ प्रतिबंध होना चाहिए, ताकि अंट-शंट माल बाहर न भेजा जा सके और हमारा देश बदनाम न हो।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : जो माल विदेशों को भेजना है उस को नमूने के तौर पर ही नहीं देखना चाहिए, परन्तु उत्पादन के समय उसे देखना चाहिए।

किसी पूंजीपति दल की बनाई गई चीजों के निर्यात के मामले में पक्षपात नहीं होना चाहिए।

जो माल निर्यात करना है उस के बारे में निर्माताओं को पूरे आदेश दिए जाने चाहिएं। यदि वे उन के अनुसार कार्यवाई न करें तो उस के लिए कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। उस के बारे में भी उन्हें पहले बता देना चाहिए।

मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** (फतेहपुर) : निर्यात की जाने वाले वस्तुएं उत्पादन के समय ही देखी जानी चाहिएं। निर्यात करते समय देखने का लाभ नहीं।

हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। अतः हमें अपने निर्यात में कमी नहीं आने देनी चाहिए।

निर्यात के लिए वस्तुएं न केवल बढ़िया किस्म की होनी चाहिएं परन्तु, दूसरे देश जो उन्हीं वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं उन के मुकाबले में कम मूल्य वाली होनी चाहिए।

उत्पादन के समय ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वस्तु बढ़िया किस्म की बनाई जा रही है। जो निर्माता घटिया माल का प्रयोग करता है, उसे ऐसी वस्तुओं का निर्माण करने से मना कर देना चाहिए।

विधेयक का कार्यान्वियन इस के पारित करने से अधिकतर महत्वपूर्ण है। आशा है कि इस के कार्यान्वियन से निर्यात को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

†**श्री अब्दुल वहीद** (वेल्लोर) : इस विधेयक का कार्यान्वियन बहुत कठिन है।

हमारा इरादा निर्यात को प्रोत्साहन देने का है न कि निर्यात के रास्ते में रुकावट डालने का। अतः बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए।

वस्तुओं की किस्मों पर नियंत्रण को लागू करते समय बहुत ध्यान पूर्वक काम करना चाहिए। सम्बन्धित व्यापार के सहयोग से किस्मों पर नियंत्रण लागू करना चाहिए।

विधेयक का स्वागत है, क्योंकि इस से निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। आशा है कि हमारा निर्यात बढ़ेगा और हम तीसरी योजना के लक्ष्य की पूर्ति कर पाएंगे।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं सभा का धन्यवादी हूं कि उन्होंने एक मत से इस विधेयक का स्वागत किया।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, ३ मई, १९६३। १३, वैशाख १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

---

†मूल अंग्रजी में

[दैनिक संक्षेपिका]

गुरुवार, २ मई, १९६३
१२ वैशाख, १८८५ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		५७४५–७१
तारांकित प्रश्न संख्या		
११३२	राजस्थान-पाकिस्तान की सीमा पर तस्कर व्यापार	५७४५—४७
११३३	विदेश यात्रा करने वाले भारतीय	५७४७—४९
११३४	आगरा में मुख कैंसर केन्द्र	५७४९—५२
११३५	विदेशों में पढ़ने वाले अनर्हविद्यार्थी	५७५२—५६
११३६	दामोदर घाटी निगम	५७५६—५९
११३७	भीमड़ी में भूमिगत जल	५७५९–६०
११३८	लवण आयोडीकरण संयंत्र	५७६०–६१
११३९	दिल्ली में चेचक	५७६२—६४
११४०	हीराकुद बांध परियोजना	५७६४–६५
११४१	परिवार नियोजन	५७६५—६८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१०	पीने का पानी सप्लाई करने वाला बोर्ड	५७६८—७१
प्रश्नों के लिखित उत्तर		५७७१—९५
तारांकित प्रश्न संख्या		
११४२	बर्मा में राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंक	५७७१
११४३	स्कूल स्वास्थ्य समिति	५७७२
११४४	कोलार की सोने की खाने	५७७२
११४५	दिल्ली में पानी की कमी	५७७३
११४६	चीनी के कारखानों द्वारा गन्दे पानी का निष्कासन	५७७३–७४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

११४७ राज्य विद्युत बोर्डों के अध्यक्षों का सम्मेलन ५७७४
११४८ जल सम्भरण योजना ५७७४–७५
११४९ मंत्रियों के निवास स्थानों पर पानी तथा बिजली पर होने वाले खर्च की सीमा का निर्धारण ५७७५
११५० अखिल भारतीय जल ग्रिड ५७७५–७६
११५१ स्थायी सिन्धु आयोग ५७७६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२६२६ राष्ट्रीय ऋण निधि से दिये गये ऋण ५७७६
२६२७ कटक और रायगाडा में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क ५७७७
२६२८ उड़ीसा में राज्य बैंक की शाखायें ५७७७
२६२९ नर्सिंग होम के शुल्क की दरें ५७७७–७८
२६३० दिल्ली में निर्वाह व्यय देशनांक ५७७८
२६३१ आयकर अधिनियम का गोआ में विस्तार ५७७८
२६३२ अन्तर्राज्यीय बिक्री कर ५७७८–७९
२६३३ केन्द्रीय बिक्री कर ५७७९
२६३४ केन्द्रीय बिक्री कर ५७८०
२६३५ बहु प्रयोजन नदी घाटी एवं विद्युत परियोजनायें ५७८०
२६३६ अल्प-बचतें ५७८१
२६३७ बिना बारी के मकान दिया जाना ५७८१
२६३८ संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि ५७८१–८२
२६३९ गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा उत्पादन ५७८२
२६४० प्रोटीन सम्बन्धी आवश्यकता के लिए सोयाबीन ५७८२–८३
२६४१ यात्रा अभिकरण ५७८३
२६४२ पाकिस्तान में बह कर चले गए लकड़ी के स्लीपर ५७८३
२६४३ "एम्पायर आफ़ इंडिया लाइफ़ एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड" ५७८३–८४
२६४४ "एम्पायर आफ़ इंडिया लाइफ़ एश्योरेंस कम्पनी" के लिए परिसमारक ५७८४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२६४५	चुंगी अधिकारियों द्वारा भारत-नेपाल सीमा पर तिब्बती ऊन का रोका जाना	५७८४
२६४६	तम्बाकू की अनधिकृत खेती	५७८४—८५
२६४७	आन्ध्र प्रदेश में फाइलेरिया उन्मूलन	५७८५
२६४८	कृष्णा तथा गोदावरी के जल का वितरण	५७८६
२६४९	लघु जल-विद्युत् यंत्र	५७८६
२६५०	नार्थ तथा साउथ ऐवेन्यू नई दिल्ली में बन्दरों और चूहों का उत्पात	५७८६
२६५१	नये मेडिकल कालिज	५७८७
२६५२	असम के लिये उच्च शक्ति सम्पन्न बाढ़ नियंत्रण, बोर्ड	५७८७
२६५३	विद्यार्थियों के लिये विदेशी मुद्रा	५७८७—८८
२६५४	फील्ड चेनल का निर्माण	५७८८
२६५५	समेकित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कार्यालय	५७८८
२६५६	पालना	५७८८—८९
२६५७	ग्वालियर में सोना पकड़ा जाना	५७८९
२६५८	राजसम्पत्ति अधिकारी	५७८९
२६५९	केन्द्रीय सिंचाई तथा बिजली बोर्ड के वरिष्ठ इंजीनियरिंग अफसर	५७९०
२६६०	व्यावसायिक फर्मों में वरिष्ठ अधिकारी	५५९०
२६६१	कोलार स्वर्ण खनन उपक्रम	५७९०—९१
२६६२	कोलार सर्ण क्षेत्र	५७९१
२६६३	कोलार स्वर्ण क्षेत्र का अस्पताल	५७९१—९२
२६६४	कोलार स्वर्ण खानें	५७९२
२६६५	केरल में समुद्र कटाव रोधक परियोजनायें	५७९२
२६६६	कोटा में अफीम की खेती	५७९३
२६६७	रूसी डाक्टर द्वारा हृदय का आपरेशन	५७९३
२६६९	मकानों के लिये नियत धन का अन्यत्र उपयोग	५७९३
२६७०	दिल्ली कैनल क्लब	५७९४
२६७१	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक	५७९४
२६७२	भारत में नेत्र दान	५७९४
२६७३	समवायों की आय	५७९५

विषय पृष्ठ

राज्य सभा से सन्देश ५७९५

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा, लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत हो गई है कि वह वर्ष १९६३-६४ के लिए लोक सभा की लोक-लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के हेतु अपने में से सात सदस्यों को मनोनीत करे ।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित

पहला प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ५७९५

सदस्य के निलम्बन की समाप्ति के बारे में प्रस्ताव ५७९६-९७

श्री बड़े द्वारा श्री कछवाय के निलम्बन की समाप्ति के बारे में १ मई, ६३ को प्रस्तुत प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । कुछ चर्चा के बाद प्रस्ताव पर आगे विचार स्थगित हुआ ।

विधेयक पारित ५७९७—५८११

विधि मंत्री श्री अ० कु० सेन ने प्रस्ताव किया कि संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये । चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ । पक्ष में २६१ और विपक्ष में ८ मत मिले । खंडवार चर्चा के बाद विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया ; मत विभाजनों का परिणाम इस प्रकार रहा :—

खंड २ पक्ष में २९५ विपक्ष में १

खंड ३ पक्ष में २९३ विपक्ष में कोई नहीं

खंड ४ पक्ष में २९१ विपक्ष में कोई नहीं

खंड ५ पक्ष में २९७ विपक्ष में कोई नहीं

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित करने का प्रस्ताव पक्ष में ३०० विपक्ष में कोई नहीं ।

विधेयक विचाराधीन ५८११—१९

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) ने प्रस्ताव किया कि निर्यात (क्स्मि नियंत्रण तथा निरीक्षण) विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार, ३ मई, १९६३ / १३ वैशाख, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) विधेयक, १९६३ पर अग्रेतर चर्चा तथा इस का पारित किया जाना संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक, १९६३ पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में चर्चा तथा इसका पारित किया जाना तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा ।

विषय-सूची--जारी

	पृष्ठ
र्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) विधेयक	५८११—१९
विचार करने का प्रस्ताव	५८११
श्री मनुभाई शाह	५८११—१४
श्री वारियर	५८१४–१५
श्री व० बा० गांधी	५८१५–१६
श्री अ० चं० गुह	५८१६–१७
श्री ओंकारलाल बेरवा	५८१७–१८
श्री प्रिय गुप्त	५८१८
श्री गौरी शंकर कक्कड़	५८१९
श्री अब्दुल वहीद	५८१९
श्री मनुभाई शाह	५८१९
क संक्षेपिका	५८२०—२४

P.L.S. 41 XVIII. 57. 63.
160

१९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।